अध्याय–7
सहकारिता
(Co-operative)

उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता विभाग द्वारा 671 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपैक्स), 10 जिला सहकारी बैंकों व उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 की कुल 327 बैंक शाखाओं के माध्यम से सहकारी सदस्यों को आर्थिक व सामाजिक रुप से सशक्त किये जाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में विभिन्न प्रकार की 4267 सहकारी समितियाँ संचालित है, जिनके द्वारा राज्य की आबादी को बहुआयामी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें पीडीएस के तहत उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण, उर्वरकों और अन्य कृषि सम्बन्धी उपकरणों का वितरण, कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद एवं उनका विपणन, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का उत्पादन, मत्स्य पालन, मानव संसाधन उपलब्ध कराना आदि गतिविधियाँ संचालित कर सहकारी समिति/संस्था को लाभप्रद कर उसके सदस्यों के जीवनस्तर को भी ऊँचा उठाने का सतत् प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार हैः–

7.1 राज्य सेक्टर योजनायें:–

7.1.1सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आहूत कर 275 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजना के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 20.00 लाख के सापेक्ष कुल रू0 4.95 लाख का व्यय किया गया है। सहकारी समितियों के विभिन्न कार्मिकों को उर्वरक लाइसेन्स, पैक्स कम्प्यूटरीकरण एवं विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विभाग के क्रियाकलापों में दक्षता प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लगभग 400 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

7.1.2 उर्वरक परिवहन पर राज सहायता–

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 117467.0361 मै0टन रसायनिक उर्वरक का वितरण कर योजना के संचालन हेतु अवमुक्त धनराशि ₹ 125.00 लाख के सापेक्ष शत–प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 125.00 लाख धनराशि के बजटीय प्राविधान के सापेक्ष ₹ 125.00 लाख का व्यय किया जा चुका है।

7.1.3 पैक्स मिनी बैंक में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी योजना–

ग्रामीण क्षेत्रों के मिनी बैकों में निक्षेप वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023–24 में उक्त योजनान्तर्गत ₹ 20.00 लाख धनराशि समस्त सहकारी बैंकों को उनके यहां जमा समिति निक्षेपित धनराशि ₹ 124860.63 लाख की गारन्टी हेतु आवंटित की गयी। उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित धनराशि ₹ 20.00 लाख के सापेक्ष ₹ 20.00 लाख का व्यय किया गया।

7.2 जिला सेक्टर योजनायें:–

7.2.1 ऋण एवं अधिकोषण योजना–

इस योजना के अन्तर्गत पैक्स के सचिवों को वेतन हेतु कॉमन केडर अनुदान, पैक्स/मिनी बैंक की स्थापना, क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ब्याज में राहत एवं अंशक्रय हेतु ब्याज रहित ऋण अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 664.59 लाख अनुमोदित होने के सापेक्ष ₹ 664.59 लाख धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 632.13 लाख अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष नवम्बर 2024 तक ₹ 565.33 लाख का व्यय किया जा चुका है।

7.2.2 सहकारी क्रय–विक्रय योजना–

उक्त योजनान्तर्गत पैक्स के क्षतिग्रस्त गोदामों के जीर्णोद्वार/मरम्मत तथा क्रय विक्रय समितियों के कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल ₹ 345.43 लाख के सापेक्ष ₹ 345.43 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2023–24 में विभाग अन्तर्गत विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा 105.00 मै०टन गेहूँ व 123456.000 मै० टन धान की खरीद स्थानीय कृषकों से की गयी है। योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 320.05 लाख अनुमोदित होने के सापेक्ष नवम्बर 2024 तक ₹ 260.87 लाख धनराशि व्यय की गयी।

7.2.3 सहकारी उपभोक्ता योजना–

इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक जटिलता तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के कृत्रिम अभाव को समाप्त करने और उनकी निरन्तर आपूर्ति बनाये रखने तथा उच्च गुणवत्ता वाली दैनिक उपभोग की वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित है। योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में कुल 35.14 लाख के सापेक्ष ₹ 35.14 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 9.80 लाख के अनुमोदित होने के सापेक्ष नवम्बर 2024 तक ₹ 9.45 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

7.3 अन्य योजनायें

7.3.1 दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनाः–

किसानों की आय दो गुना करने के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 से संचालित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमान्त तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्यो हेतु ₹ 01.00 लाख तथा कृषियेत्तर कार्यो यथा पशुपालन, जड़ी–बूटी, सगन्ध पादप, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य, मुर्गी पालन, मशरुम, पुष्प उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि–यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली–हाउस, आदि कार्योआदि कार्यो हेतु ₹ 3.00 लाख तक एवं स्वंय सहायता समूहों को ₹ 5.00 लाख तक की धनराशि का ब्याजरहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्षवार् विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका 7.1 (धनराशि लाख ₹ में)

क्र0स0	वित्तीय वर्ष	वितरित ऋण (धनराशि लाख रु0 में)	लाभार्थिओं की संख्या		कुल लाभार्थिओं की संख्या
			व्यक्तिगत	स्वयं सहायता समूह	
1	2017 -18	38087.46	80868	0	80868
2	2018 -19	76148.63	162472	1	162473
3	2019 -20	71130.88	125161	1246	126407

4	2020 -21	76716.15	122802	1317	124119
5	2021 -22	80476.35	119889	1167	121056
6	2022 -23	93000.34	169450	965	170415
7	2023 -24	89429	125736	594	126330
8	2024 -25	76362.15	103560	428	103988
कुल योग		**601351**	**1009938**	**5718**	**915656**

स्रोतः–सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 7.1

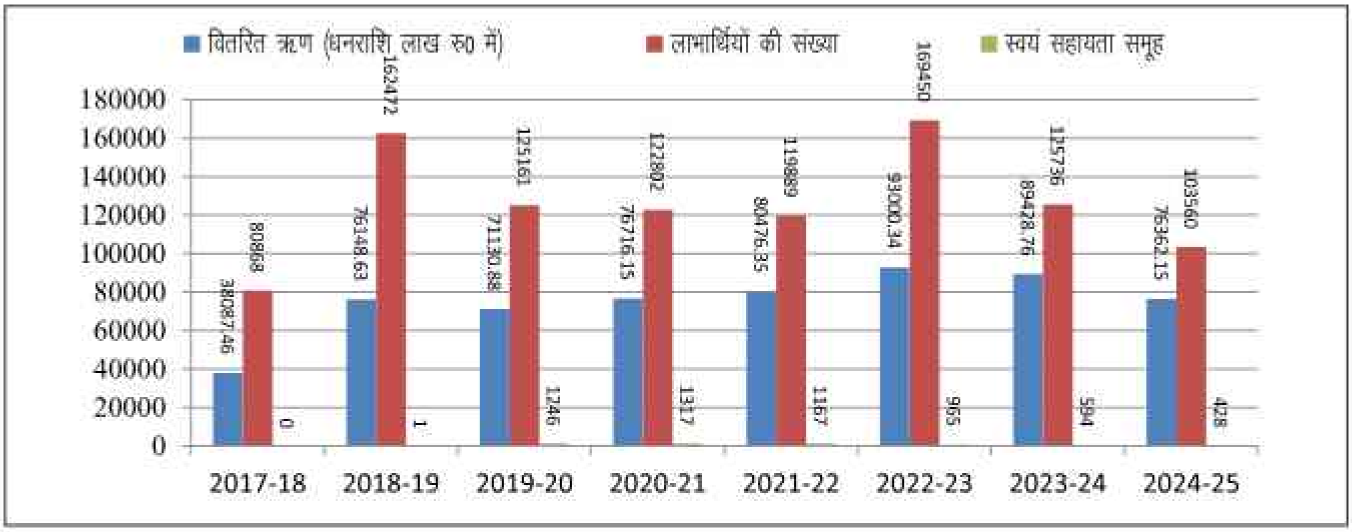

7.3.2 राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजनाः–

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से राज्य में संचालित 'राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना' के अन्तर्गत चार क्षेत्रक सहकारिता, मत्स्य, भेड़ बकरी पालन एवं डेयरी विकास के अन्तर्गत जनपदवार् विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है।

परियोजना द्वारा वर्तमान समय माह दिसम्बर, 2024 तक 200 सहकारी समितियों से जुड़ें लगभग 55,000 सीमान्त कृषकों तक पहुंच विभिन्न आयसृजक गतिविधियों के क्रियान्वयन के माध्यम से बना चुकी है, मुख्यतः संयुक्त सहकारी खेती सहकारिता कॉर्पोरेट भागीदारी द्वारा मशरूम उत्पादन, सेब उत्पादन, मौनपालन, सायलेज उत्पादन एवं विपणन, अदरक बीज उत्पादन, आलू बीज उत्पादन, कॉआपरेटिव भागीदारी से बंजर जमीनों पर सहकारिता के माध्यम से कृषक उन्नयन परियोजना, समितियों का ई–मार्किटिंग प्लेटफार्म एवं ढांचागत विकास किया जा रहा है। परियोजना द्वारा किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त आख्या निम्नवत् है:–

क. सहकारिता क्षेत्रक :–

1. सायलेज उत्पादन एवं विपणनः– परियोजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून की 06 सहकारी समितियों से जुड़े 2330 कृषकों की 8075 एकड़ भूमि पर कुल 38633.80 मीट्रिक टन सायलेज का उत्पादन किया गया है तथा 27000 से अधिक पशुपालकों को साइलेज की आपूर्ति की गयी। आगामी द्वितीय चरण में सायलेज की मांग को देखते हुए मक्का उत्पादन क्षेत्र का विस्तार कर जनपद हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर के लगभग

1000 कृषकों की 2000 एकड़ कृषि भूमि पर मक्का बुआई की जानी है एवं सायलेज वितरण राज्य के समस्त पर्वतीय क्षेत्र की 152 सहकारी समितियों के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

2. माधो सिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेतीः— परियोजना के माध्यम से संयुक्त सहकारी खेती के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 तक 70 सहकारी समितियों में 1235 एकड़ भूमि चयनित कर ली गयी है जिसमें माधो सिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेती हेतु 2400 किसानों का चयन किया गया है। पायलट परियोजना हेतु 24 सहकारी समितियों से जुड़ें कुल 1200 किसानों द्वारा 849.71 एकड़ भूमि पर वीर माधो सिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेती किया जाना प्रस्तावित है। जिनमें से 23 समितियों ने परियोजना द्वारा प्रेषित माइक्रोप्लान पर अपनी सहमति दे दी गयी है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस परियोजना में किसानों से ली जाने वाली भूमि की लीज राशि हेतु रू0 10.00 करोड़ की राजकीय सहायता की सहमति भी प्रदान की गयी है। भूमि जांच और किसानों से समझौते की प्रक्रिया प्रगति पर है। रूद्रप्रयाग में अदरक की कटाई 40 क्विंटल तथा आलू की 120 क्विंटल अनुमानित है। रूद्रप्रयाग, अल्मोडा टिहरी एवं पिथौरागढ में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

3.मुर्गीपालनः— परियोजना द्वारा जनपद देहरादून के जाड़ी, काण्डोईभरम एवं त्यूनी की सफलता के बाद पशुपालन विभाग एवं परियोजना द्वारा संयुक्त रूप से पोल्ट्री वैली स्कीम का गठन किया गया है जिसमें 10 जनपदों के 26 ब्लॉकों में 79 सहकारी समितियों के 2255 मुर्गीपालकों का चयन किया गया है जिनमें से दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत 2091 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत कर दिया गया है, एवं 11 नोडल मदर यूनिट गढ़वाल मण्डल में स्थापित किये गये हैं। किसानों के द्वारा 2134 पोल्ट्री यूनिट तैयार किये गये हैं। लाभार्थियों को कुल 3.60 लाख चूजे वितरित किये गये। साथ ही कुल 1,58,256 जीवित मुर्गीयों की बिक्री की गयी जिससे परियोजना को कुल ₹ 348.16 लाख की आय अर्जित हुई है।

4. लेमनग्रासः— परियोजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार की लालढांग सहकारी समिति के माध्यम से 61 कृषकों की 100 एकड़ भूमि के सापेक्ष 56 एकड़ भूमि पर लेमनग्रास का उत्पादन कर समिति द्वारा प्रोसेसिंग कर तेल उत्पादन एवं विपणन का कार्य किया जा रहा है जिससे कृषक एवं समिति लाभान्वित हो रहे हैं।

5. विक्रय केन्द्र / विपणन केन्द्रः— बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 301.49 मीट्रिक टन ताजी सब्जियों एवं 98.76 मी0टन अदरक का विपणन किया जा चुका है जिससे ₹ 138.68 लाख की आय अर्जित की गयी है। बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 2500 से अधिक किसानों ने 430 मीट्रिक टन कृषि उपज उत्पादित की गई है जिससे रू0 100.01 लाख की आय अर्जित की गयी है।

6. मशरूम उत्पादनः— वर्तमान में संशोधित मशरूम उत्पादन का कार्य संयुक्त उपक्रम के माध्यम से किया जा रहा है साथ ही मशरूम उत्पादन से जुड़ें 247 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया 175 मशरूम यूनिट का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है। मशरूम का कुल वार्षिक उत्पादन 2.5 मीट्रिक टन अर्जित किया गया।

7. मौनपालनः— वर्तमान में मौनपालन गतिविधि हेतु संशोधित प्लान तैयार किया गया है जिसमें तेजस अपेरी एवं हिमनाद कॉरपोरेट संस्था द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा। वर्तमान में 500 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है

जिसके सापेक्ष 290 लाभार्थियों को ऋण वितरण की प्रक्रिया गतिमान है, एवं 2500 कि0ग्रा0 शहद का उत्पादन कर विक्रय किया जा चुका है।

8. होमस्टे गतिविधिः– परियोजनान्तर्गत राज्यस्तरीय होमस्टे फैडरेशन का गठन किया जा चुका है। जिसके अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

9. अदरक गतिविधिः– परियोजना द्वारा जनपद चम्पावत में अदरक बीज उत्पादन हेतु 12 सहकारी समितियों के साथ कार्य किया जा रहा है जिनके द्वारा इस वर्श लगभग 200 मीट्रिक टन अदरक उत्पादन एवं विपणन किया जाना है।

10. ई–मार्केटिंग कॉपरेटिव प्लेटफार्मः– परियोजना द्वारा प्रदेश की 09 मार्केटिंग समितियों को ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल द्वारा जोड़ दिया गया है जिनके माध्यम से समितियां अपने पास उपलब्ध जीन्सों का विवरण पोर्टल पर डाल सकती हैं जिससे कि केता सम्बन्धित सामग्री के लिए इन मार्केटिंग समितियों से ऑनलाइन सम्पर्क स्थापित कर खरीदारी कर सकते हैं।

ख. भेड़–बकरी क्षेत्रक

1. भेड़ बकरी इकाईयों की स्थापना (प्रथम चरण)

❖ योजनान्तर्गत प्रथम चरण में राज्य में गठित प्राथमिक भेड़ बकरी सहकारी सदस्यों को 10 भेड़/बकरियां तथा 01 उच्च गुणवत्ता का मेढ़ा/बकरा उपलब्ध करा कर 21(20+1) की एक इकाई स्थापित की गयी।

❖ भेड़/बकरी इकाई के स्वास्थ परीक्षण, टैगिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, टीकाकरण एवं बीमा निःशुल्क कराया गया तथा सदस्य के पास उपलब्ध सभी पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण, टैगिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, टीकाकरण के साथ अन्य आवश्यक उपचार की सुविधा भी फेडरेशन के द्वारा कराया गया।

❖ योजना अन्तर्गत 4,262 लाभार्थियों का चयन कर लाभान्वित किया गया, जिनमें से 3,134 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है।

2. गोट वैली की स्थापना (द्वितीय चरण) :–

❖ एक वैली के अन्तर्गत न्यूनतम् 100 लाभार्थीयों को लाभान्वित किया जाना है।

❖ वर्तमान तक 1579 लाभार्थीयों का चयन कर लाभान्वित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। वर्तमान तक 20,000 बकरियां व 1434 बकरों का वितरण किया जा चुका है।

3. Aggregation cum Breeding Farm & Training Center :

❖ परियोजना के माध्यम ACBF पशुलोक, ऋशिकेश में स्थापित Breeding Centre के माध्यम से माह दिसम्बर, 2023 तक 19680 लीटर बकरी के दूध के विक्रय से लगभग ₹ 58.96 लाख की आय अर्जित की गयी है।

❖ ACBF पशुलोक, ऋषिकेश में ही स्थापित Training Centre के माध्यम से 989 भेड़ बकरी पालकों अथवा अन्य को भेड़ बकरी से सम्बन्धित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा चुका है।

4.BAKRAW- The Himalayan Goat Meat :

- Meat-On-Wheel वाहन तथा आउटलेट के माध्यम से वर्तमान तक लगभग ₹ 3.5 करोड़ से अधिक का कारोबार किया जा चुका है।
- BAKRAW- The Himalayan Goat Meat के साथ–साथ UttaraFish तथा Himala Chicken

के विस्तार हेतु एक मार्केटिंग कम्पनी स्थापित की गयी है जिसके अन्तर्गत प्राईवेट पार्टनर के साथ संयुक्त उद्यम कर सभी मीट उत्पादों को एक ही कम्पनी के अन्तर्गत देहरादून तथा देश के अन्य शहरो में बिक्री जा जाएगी।

ग. डेयरी क्षेत्रक

❖ डेयरी क्षेत्रक 02 03 05 यूनिट दुधारू पशुओं की स्थापना के सापेक्ष 3456 दुधारू पशु क्रय किए गये है, जिसके फलस्वरूप 14421 ली0 प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन कर 854 उत्पादकों को लाभान्वित किया गया है।

❖ 50 दुधारू पशु यूनिट की स्थापना की गयी, जिसके परिणामस्वरूप 237.50 ली0 प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन किया गया है।

❖ 18 दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई जिसके माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को पशुआहार, साइलेज, मिनरल मिक्सचर, भूसा, भेली, चाटन भेली एवं सामान्य दवाएं इत्यादि सामग्री उनकी मांग पर तत्काल उपलब्ध करायी जा रही है। जिसके फलस्वरूप 348 DCS तथा 17543 सदस्य लाभान्वित हुए। साथ ही लगभग 76 लाख रू0 माह का टर्नओवर किया गया।

❖ 78 आंचल मिल्क बूथों और 21 आँचल कैफे की स्थापना की गई जिसके माध्यम से आंचल दही, दूध, मक्खन, पनीर, चीज इत्यादि का विक्रय किया जा रहा है।

घ. मत्स्य क्षेत्रक

❖ मत्स्य क्षेत्रक 50 ट्राउट कलस्टर विकास के सापेक्ष 61 कलस्टरों की स्थापना कर ट्रॉउट फ्रॉर्मिग किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप 300 मी0 टन ट्रॉउट का उत्पादन किया जा रहा है।

❖ 60.7 हेक्टेयर भूमि में इन्टीग्रेटेड फार्मिंग के अन्तर्गत पन्गास एवं कार्प की फार्मिंग की जा रही है, जिसके फलस्वरूप 300 मी0 टन प्रति हेक्टेयर पंगास एवं कार्प का उत्पादन किया जा रहा है।

❖ उत्तरा फिश ब्राण्ड का विकास परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है जिसके क्रम में विपणन हेतु तीन विपणन आउटलेट की स्थापना की जा चुकी है, जिसके माध्यम से 490 लाभार्थियों के उत्पादन 30 मी0 टन मछली का विपणन कर रू0 86.21 लाख की आय अर्जित की गई है।

तालिका 7.2

वित्तीय प्रगति :– रू0 लाख में

प्राप्त ऋण	सहकारिता क्षेत्रक	डेयरी क्षेत्रक	मत्स्य क्षेत्रक	भेड–बकरी क्षेत्रक	कुल
ट्रैंच 1	3300	2200	1500	3000	10000
ट्रैंच 2	3600	1200	500	2000	7300
ट्रैंच 3	4500	0870	2005	3325	10700
कुल	11400	4270	4005	8325	28000
जनवरी 2024 तक पुनर्भुगतान	4444.52	2331.21	1747.86	3624.84	12148.43

स्रोतः–सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

7.3.3 मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजनाः–

राज्य के युवाओं/युवतियों को रोजगार प्रदान किये जाने के दृष्टिगत रोजगार सृजन हेतु "मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजनान्तर्गत" सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवकों/युवतियों को ई–रिक्शा खरीद हेतु 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज

दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 44 लाभार्थियों को ₹ 1.02 करोड़ रू0 का ऋण ई–रिक्शा कल्याण योजना के तहत वितरित किया गया। उक्त योजनान्तर्गत कुल 3477 महिला एवं पुरूष लाभार्थियों को कुल ₹ 47.32 करोड़ का ऋण ई–रिक्शा खरीद हेतु वितरित किया गया है।

7.3.4 मोटर साईकिल टैक्सी योजना:–

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित "मोटर साइकिल टैक्सी योजना" अन्तर्गत आवेदनकर्ता को प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटक/यात्रियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन क्रय किये जाने हेतु ₹ 60 हजार से 01 लाख 25 हजार तक का 02 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत कुल 305 लाभार्थियों को कुल ₹ 368.49 लाख का ऋण ई–रिक्शा खरीद हेतु वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 14 लाभार्थियों को ₹ 19.18 लाख का ऋण वितरित किया गया।

7.3.5 स्टेट मिशन मिलेट्स योजना :–

राज्य में कृषि की मुख्य फसलों के अतिरिक्त स्थानीय फसलें जैसे रामदाना, मण्डुवा, झंगोरा इत्यादि फसलों का उचित मूल्य कृषकों को प्रदान कर उनकी आय दोगुनी किये जाने के उद्देश्य से मिलेट मिशन योजना अन्तर्गत सहकारिता विभाग की शीर्ष सहकारी संस्था उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून द्वारा मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्टेट मिलेट मिशन में स्थानीय कृषकों से खरीद की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 268 क्रय–केन्द्र के माध्यम से कुल 7801 कृषकों से 18961 कुन्तल मण्डुआ, 86 कुन्तल झंगोरा, 25 कुन्तल रामदाना, 74 कुन्तल सोयाबीन पर्वतीय मिलेट खरीद कर, कुल ₹ 650.00 लाख का भुगतान स्थानीय कृषकों को किया गया। इस प्रकार कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान कर उनकी आजीविका में वृद्धि की गयी।

नवोन्मेषी योजनायें

- सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य के समस्त 670 एमपैक्सों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने हेतु पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना संचालित की जा रही है जिसके माध्यम से समिति के कार्यों में पारदर्शिता होने के साथ ही समिति अभिलेखों का भी डिजिटलीकरण किया जायेगा।

- एमपैक्स ''जन औषधि केन्द्र' के माध्यम से गुणवत्ता पूर्ण दवाईयां (जेनरिक दवाईयां) विक्रय की जा रही है। राज्य की 18 एमपैक्सों द्वारा जन औषधि केन्द्र' संचालित किया जा रहा है।

- एमपैक्सों को 'जन सुविधा केन्द्र' के रूप में विकसित कर 300 से अधिक ई–सर्विस समिति स्तर पर ही प्रदान करने के उद्देय से राज्य के 638 Common Service Centres (CSC) के रूप में क्रियाशील हो गये हैं।

- सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अनाज भण्डारण योजना के लिए उत्तराखंड राज्य के बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, सहसपुर जिला देहरादून की 0.75 एकड़ भूमि पर लगभग 500 मैट्रिक टन की 1.28 करोड़ लागत से गोदाम का निर्माण किया गया है।

- ग्राम सभा स्तर पर पानी पाइपलाइन के संचालन एवं उसके रख–रखाव हेतु प्रत्येक जनपद की 5 पैक्सों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पानी समिति के रूप में चयन कर किया जाना है। वर्तमान में राज्य की 45 एमपैक्सों का पानी समिति के रूप में चयन किया गया हैं।

- सहकार से समृद्धि के ध्येय वाक्य के अन्तर्गत

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित नेशनल कॉ–ऑपरेटिव डाटाबेस के अन्तर्गत राज्य की कुल 5360 सहकारी समितियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

➢ राज्य में कार्यषील पैक्स को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से वर्तमान में 421 पैक्सों में "प्रधानमंत्री समृद्धि केन्द्र" खोले जा चुके हैं।

➢ सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारिता से समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुरूप देश की अनाच्छादित ग्राम पंचायतो में नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियो के गठन सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत 15.02.2023 के उपरान्त राज्य में 125 नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

➢ राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई प्रकार की समितियों में राज्य की 473 एमपैक्सों द्वारा National Cooperative Export Society की, 503 एमपैक्सों द्वारा National Cooperative Organic Society एवं 501 एमपैक्सों द्वारा Bharatiya Beej Sahakari Samiti की सदस्यता ग्रहण कर ली गयी है।

अध्याय–8
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
Food Civil Supplies and Consumer Affairs

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशनकार्डों का डिजिटलिकरण एवं उन पर बायोमैट्रिक अर्थोन्टिकेशन के आधार पर खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है – राज्य में वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पी0एच0एच0 एवं अन्त्योदय अन्न योजना एवं राज्य खाद्य योजना प्रचलित है। उक्त योजनाओं में वर्तमान में लगभग 23.91 लाख राशनकार्ड धारक प्रचलित हैं, जिनको मानकानुसार खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 8.1

क्र0 सं0	योजना का नाम		राशनकार्ड का रंग	राशनकार्डों की संख्या (लाख में)	मासिक नियमित देयता	वितरण स्केल (प्रति कि0ग्रा0)			वितरण की दर (रू0 प्रति कि0ग्रा0)		
						गेहूँ	चावल	चीनी	गेहू	चावल	चीनी
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	अन्त्योदय अन्न योजना	गुलाबी	1.84	35 कि0ग्रा0 प्रति राशनकार्ड	13.300	21.700	01.00	निः शुल्क		13.50
		प्राथमिक परिवार	सफेद	12.14	05 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट	02	03	-			-
2	राज्य खाद्य योजना		पीला	9.93	7.50 कि0ग्रा0 प्रति राशनकार्ड	–	7.50	-	–	11.00	-

स्रोतः–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड

8.1 मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना" –

- उत्तराखण्ड राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2022–23 से "मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना" के अन्तर्गत वर्ष में 03 गैस रिफिल निःशुल्क वितरित की जा रही है।
- उक्त योजना को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2027 तक विस्तारित कर दिया गया है।
- उत्तराखण्ड राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु उक्त योजना में ₹ 55 करोड़ का बजट प्राविधानित किया गया है।
- उक्त योजना में राज्य के लगभग 1.84 अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को लाभ दिया जा रहा है।

8.2 ''मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना'' –

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार एवं अन्त्योदय परिवार के राशनकार्ड धारकों को प्रति कार्ड 08 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 01 कि0ग्रा0 प्रति माह नमक सब्सिडाईज्ड दरों पर वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार एवं अन्त्योदय परिवार के लगभग 14 लाख परिवारों को लाभ दिया जा रहा है।

8.3 एण्ड–टू–एण्ड कम्प्यूटराईजेशन–

- वर्तमान में राज्य में प्रचलित समस्त राशनकार्डों

को यू0आई0डी0ए0आई0 (UIDAI) के माध्यम से आधार से लिंक कर लिया गया है।

• राज्य में प्रचलित समस्त राशन की दुकानों एवं राशनकार्डों का डिजिटलीकरण करने के उपरान्त बायोमैट्रिक/ऑनलाईन राशन वितरण किया जा रहा है। बेस गोदाम से आन्तरिक गोदाम एवं आन्तरिक गोदाम से राशन की दुकान तक व राशन की दुकान से उपभोक्ता तक वितरित की जाने वाले खाद्यान्न की प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की जा रही है।

• **एफ0पी0एस0 ऑटोमेशन** – वर्तमान में राज्य की 9063 राशन की दुकानों को सी0एस0सी/बेसिल के माध्यम से लैपटॉप तथा ई–पॉज उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से राशनकार्ड धारकों को बायोमेट्रिक/ऑनलाईन अर्थोन्टिकेशन के उपरान्त राशन का वितरण किया जा रहा है।

8.4 "वन नेशन वन राशन कार्ड" योजना –

• योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्डधारकों को एक राज्य से दूसरे राज्य एवं एक जनपद से दूसरे जनपद में किसी भी राशन की दुकान से आधार अर्थोन्टिकेशन के उपरान्त खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।

• इस योजना से प्रवासी मजदूरों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विशेष लाभ प्राप्त हो रहा है।

• "वन नेशन वन राशन कार्ड" (ONORC) योजना के अन्तर्गत वितरण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य देश में पांचवें स्थान पर है।

8.5 ग्रेन ए0टी0एम0 –

• संयुक्त राष्ट्र–विश्व खाद्य कार्यक्रम (UN-WFP) के शतप्रतिशत आर्थिक सहयोग से पायलट परियोजना के रूप में देहरादून शहर में पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया।

• उत्तराखण्ड ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य है। इससे पहले हरियाणा और उड़ीसा में ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है।

• ग्रेन एटीएम को e-Pos से जोड़ा गया है और बायोमैट्रिक के माध्यम से वितरण किया जा रहा है।

• उपभोक्ताओं को बायोमैट्रिक अर्थोन्टिकेशन के उपरान्त मानकानुसार खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है।

• वर्तमान में राज्य में 21 नये ग्रेन एटीएम स्थापित किये गये हैं।

8.6 जनपद नैनीताल के रामनगर में संयुक्त राष्ट्र–विश्व खाद्य कार्यक्रम (UN-WFP) के आर्थिक सहयोग से 500 मी0टन0 क्षमता का खाद्यान्न गोदाम (Flospans) की स्थापना की गयी है। उक्त फ्लोस्पेन गोदाम देश का पहला खाद्यान्न गोदाम है।

8.7 "मंडुवा" वितरण की व्यवस्था –

• खरीफ खरीद सत्र 2022–23 से राज्य मे प्रथमवार मंडुवा की खरीद की गयी।

• खरीफ खरीद सत्र 2023–24 के अन्तर्गत भारत सरकार से लगभग 0.164 लाख मी0टन मंडुवा क्रय किये जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कुल 1889 मी0टन0 मडुवा (रागी) का क्रय किया गया है।

• उक्त योजना से पर्वतीय क्षेत्र में कृषकों को जहॉ एक ओर आर्थिकी में सुधार होगा वहीं दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को भी रोका जा सकेगा एवं उपभोक्ताओं को पोषण भी प्राप्त होगा।

• खरीफ खरीद सत्र 2024–25 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मंडुवा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4290 प्रति कु0 निर्धारित किया गया है। महिला एवं बाल

विकास विभाग द्वारा WBNP (Wheat Based Nutrinational Programme) संचालित योजनाओं तथा खाद्य विभाग द्वारा उपलब्धता के आधार पर पी0डी0एस0 के अन्तर्गत मंडुवा का वितरण किया जा रहा है।

• खरीफ खरीद सत्र 2024–25 के अन्तर्गत दिनांक–31.12.2024 तक 238 क्रय केन्द्रों के माध्यम से 3138.00 मी0टन0 मंडुवा क्रय कर लिया गया है।

8.8 रबी (गेहूँ) खरीद सत्र 2024–25 –

• रबी खरीद सत्र 2024–25, गेहूँ का समर्थन मूल्य रू0 2275.00 प्रति कुन्तल घोषित किया गया है। इस सत्र में 1700.600 मी0टन0 गेहूँ का क्रय किया गया।

8.9 खरीफ (धान) खरीद सत्र 2023–24 –

• राज्य सरकार द्वारा धान क्रय का लक्ष्य 8.30 लाख मी0टन0 निर्धारित किया गया। (कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2183 तथा ग्रेड । का समर्थन मूल्य 2203 रू0 प्रति कुन्तल।)

• कृषकों की सुविधा हेतु ई–खरीद पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कृषकों से ही धान का क्रय कर कृषकों के खाते में पी0एफ0एम0एस0 / आर0टी0 जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किये जाने की व्यवस्था का प्राविधान किया गया।

• नामित क्रय संस्थाओं (खाद्य विभाग, सहकारिता, यू0पी0सी0यू0, एन0सी0सी0एफ0) के संचालित क्रय केन्द्रों में वृद्धि करते हुये 758 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये।

8.10 खरीफ (धान) खरीद सत्र 2024–25 –

खरीफ विपणन सत्र 2024–25 हेतु धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 प्रति कुन्तल एवं ग्रेड । का न्युनतम समर्थन मूल्य 2320 रू0 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन सत्र 2024–25 हेतु 7.50 लाख मी0टन0 धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके साक्षेप दिसम्बर 2024 तक 687 क्रय केन्द्रों के माध्यम से 6.588 लाख मी0टन0 धान क्रय किया गया है।

8.12 फोर्टिफाइड (विटामिन B-12, फोलिक एसिड तथा आयरन पोशणयुक्त) चावल का वितरण–

• प्रधानमंत्री पोषण योजना भारत सरकार तथा मा0 प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है।इस योजना के अन्तर्गत अप्रैल, 2022 से राज्य के दो जनपदों हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत समस्त लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारम्भ किया गया।

• 01 अप्रैल, 2023 से पूरे राज्य में पी0डी0एस के अन्तर्गत समस्त योजनाओं (अन्त्योदय, प्राथमिक परिवार एवं राज्य खाद्य योजना) में फोर्टिफाईड चावल का वितरण किया जा रहा है।

8.11 "मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना" – उत्तराखण्ड राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के राषनकार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2022–23 में तीन गैस रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु उक्त योजना में ₹ 55 करोड़ का बजट प्राविधानित किया गया है। उक्त योजना में राज्य के लगभग 1.83 अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को लाभ दिया जा रहा है।

"राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून"

• राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के गठन की तिथि अप्रैल, 2002 से दिसम्बर, 2024 तक 9176 वाद दर्ज हुए, इनमें से दिसम्बर, 2024 तक 8268 वाद निस्तारित हो चुके हैं। माह अप्रैल, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक कुल 24 वाद दर्ज हुए

हैं तथा कुल 208 वाद निस्तारित हुए हैं।"

• जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में गठन की तिथि से नवम्बर, 2024 तक 55,141 मामलें दर्ज हुए, इनमें से नवम्बर, 2024 तक 50,449 मामलें निस्तारित हो चुके हैं। माह अप्रैल, 2024 से नवम्बर, 2024 तक कुल 422 वाद दर्ज हुए हैं तथा कुल 152 वाद निस्तारित हुए हैं"।

तालिका 8.2

FILING, DISPOSAL & PENDENCY OF CASES IN THE STATE COMMISSION AS ON 31.12.2024

S.No.	State Commission	No. of cases filed since inception (O.P.+F.A.+Misc.+ Rev.+Exe.+Caveat+T.A+ R.A.)	No. of cases disposed of since inception (O.P.+F.A.+Misc.+ Rev.+Exe.+Caveat+T.A+ R.A.)	No. of cases pending (O.P.+F.A.+Misc.+ Rev.+Exe.+Caveat+T.A +R.A.)
1.	**Uttarakhand**	9176	8268	908{11 Restore Cases not included}

स्रोतः–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड

तालिका 8.3

DISTRICT COMMISSIONS AS ON 30.11.2024

S.No.	Name of District Commission	No. of cases filed since inception (O.P.+ Misc.)	No. of cases disposed of since inception (O.P.+ Misc.)	No. of cases pending (O.P.+ Misc.)
1.	Dehradun	15728	14103	1625
2.	Haridwar	11911	10501	1410
3.	Almora	3692	3182	510
4.	Udham Singh Nagar	4219	3871	348
5.	Nainital	6945	6742	203
6.	Chamoli	1711	1596	115
7.	PauriGarhwal	2384	2273	111
8.	Uttarkashi	2666	2562	104
9.	Pithoragarh	1841	1777	64
10.	TehriGarhwal	2571	2518	53
11.	Bageshwar	612	560	52
12.	Champawat	323	272	51
13.	Rudraprayag	539	492	47
Grand Total		**55141**	**50449**	**4692**

स्रोतः–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड

तालिका 8.4

क्र0सं0	जिला उपभोक्ता फोरम	दर्ज वादों की संख्या	निस्तारित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या
1-	हरिद्वार	11742	10476	1266
2-	देहरादून	15577	14086	1491
3-	उधमसिंहनगर	4167	3864	303
4-	उत्तरकाशी	2641	2559	82
5-	नैनीताल	6828	6665	163
6-	अल्मोड़ा	3644	3122	522
7-	पिथौरागढ़	1833	1777	56
8-	चमोली	1698	1596	102
9-	पौड़ी गढ़वाल	2346	2262	84
10-	चम्पावत	318	271	47
11-	टिहरी गढ़वाल	2556	2514	42
12-	बागेश्वर	590	535	55
13.	रूद्रप्रयाग	524	489	35
	योग	**54464**	**50216**	**4248**

स्रोतः—खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड

अध्याय–9
वन तथा पर्यावरण
Forest and Environment

वन, प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई एक अमूल्य निधि हैं और ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि एवं प्रगति के प्रतीक हैं। यह प्राकृतिक सौन्दर्य में वृद्धि करने के साथ–साथ हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकते हैं, जलवायु को संयत रखते है, भूमि तथा जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करते हैं तथा हमारे जीवन को आनन्दमय बनाते हैं। इनके विवेकपूर्ण संरक्षण और पृथ्वी पर इनकी एक निर्धारित मात्रा में उपस्थिति पर समस्त मानव एवं प्राणी जाति का अस्तित्व निर्भर करता है।

उत्तराखण्ड में विस्तृत वन क्षेत्र हैं जिसमें प्रचुर जैविक विविधता विद्यमान है। उत्तराखण्ड के भौगोलिक क्षेत्रफल का दो तिहाई से अधिक वनों से आच्छादित है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जड़ी–बूटियों के अतिरिक्त उच्च कोटि के साल, चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस एवं बांज आदि के वन हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव वास करते हैं। महत्वपूर्ण वन्यजीवों में बाघ, गुलदार, हाथी, कस्तूरी मृग, हिम तेन्दुआ (स्नो लैपर्ड) आदि एवं विभिन्न प्रकार के पक्षी, वनस्पति, सरीसृप, कीट–पतंगे आदि विद्यमान हैं। वन्यजीवों के संरक्षण हेतु प्रदेश में 6 राष्ट्रीय पार्क, 7 वन्यजीव विहार व 4 संरक्षण आरक्षिति उपलब्ध हैं, जहाँ वन्यजीवों एवं पक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2022 की भारतीय वन्यजीव संस्थान–एन.टी.सी.ए. की गणना के अनुसार उत्तराखण्ड में बाघों की संख्या 560 हो गयी है। एक भौगोलिक रूप से कम क्षेत्रफल व पर्वतीय राज्य होने के बावजूद भी उत्तराखण्ड बाघों की संख्या की दृष्टि से देश में तीसरे नम्बर पर आता है।

संवहनीय विकास लक्ष्यों के लक्ष्य–15 के अन्तर्गत वन एवं पर्यावरण विभाग को रखा गया है, जिसमें 2030 तक फायर लाईन निर्माण हेतु 49524 कि0मी0 का लक्ष्य रखा गया है।

ग्राफ संख्या–9.1 में राज्य में वानिकी क्षेत्र में आंवटित बजट की स्थिति कुल बजट तथा सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रदर्शित है। वर्ष 2005–06 से वर्ष 2022–23 तक वन क्षेत्र में बजट आवंटन कुल बजट का 1.35 प्रतिशत से 3.98 प्रतिशत के मध्य रहा है। विभिन्न वर्षो में बजट आवंटन में

ग्राफ संख्या:– 9.1

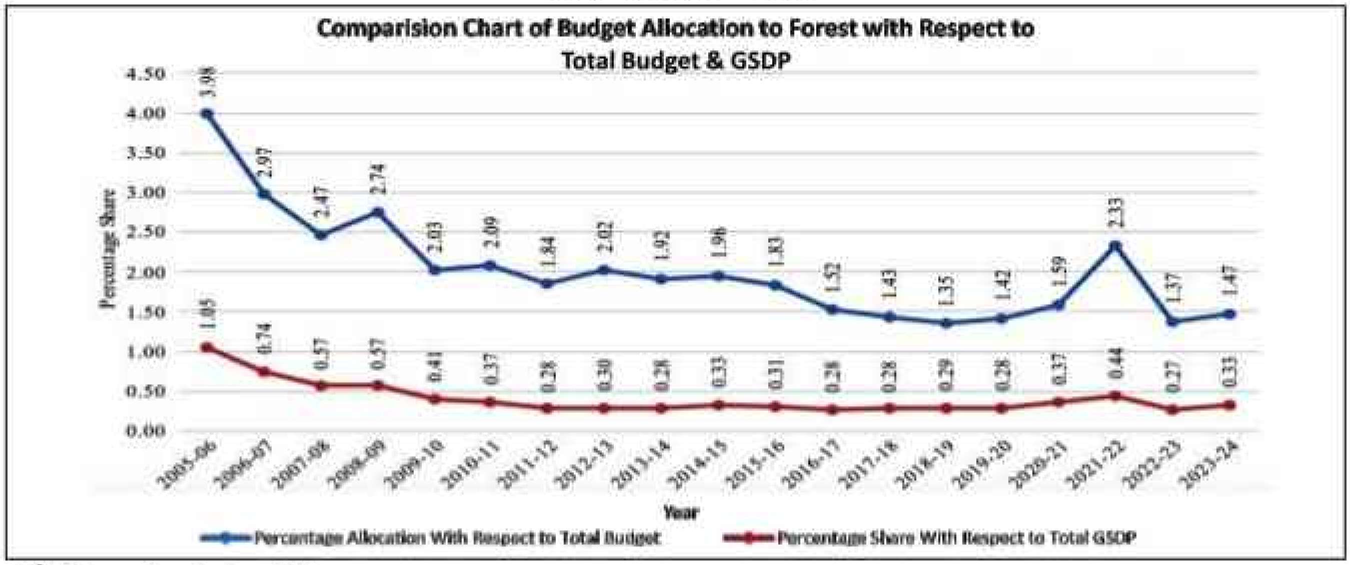

स्रोत :– अर्थ एवं संख्या निदेशालय

जनपदवार वनावरण
तालिका 9.1

India State of Forest Report - 2023 के अनुसार प्रदेश में वनावरण 24,305.83 वर्ग किमी. है, जिसका जनपदवार विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	जनपद	भौगोलिक क्षेत्रफल	वनावरण (वर्ग कि.मी.)				
			अत्यन्त घन वन	मध्यम घने वन	खुले वन	योग	भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अल्मोड़ा	3,144.05	222.24	817.89	682.83	1722.96	54.80
2	बागेश्वर	2,241.00	167.73	741.21	354.43	1263.37	56.38
3	चमोली	8,030.21	442.65	1522.23	676.42	2641.30	33.89
4	चम्पावत	1,765.78	382.01	571.36	266.02	1219.39	69.06
5	देहरादून	3,088.00	680.99	588.99	370.32	1640.30	53.12
6	पौड़ी गढ़वाल	5,328.55	588.44	1847.84	924.27	3360.55	63.07
7	हरिद्वार	2360.20	76.86	274.35	213.55	564.76	23.93
8	नैनीताल	4,251.35	780.03	1583.17	503.35	2866.55	67.43
9	पिथौरागढ़	7,090.05	518.02	978.53	640.78	2137.33	30.15
10	रूद्रप्रयाग	1,984.14	272.76	582.17	291.68	1146.61	57.79
11	टिहरी गढ़वाल	3,642.17	305.87	1149.08	767.73	2222.68	61.03
12	ऊधमसिंह नगर	2,542.25	157.69	216.42	120.06	494.17	19.44
13	उत्तरकाशी	8,016.81	671.29	1644.39	708.18	3023.86	37.72
	योग	53,483.36	5266.58	12517.63	6519.62	24303.83	45.44

स्रोत :– India State of Forest Report, 2023

ग्राफ संख्या 9.2

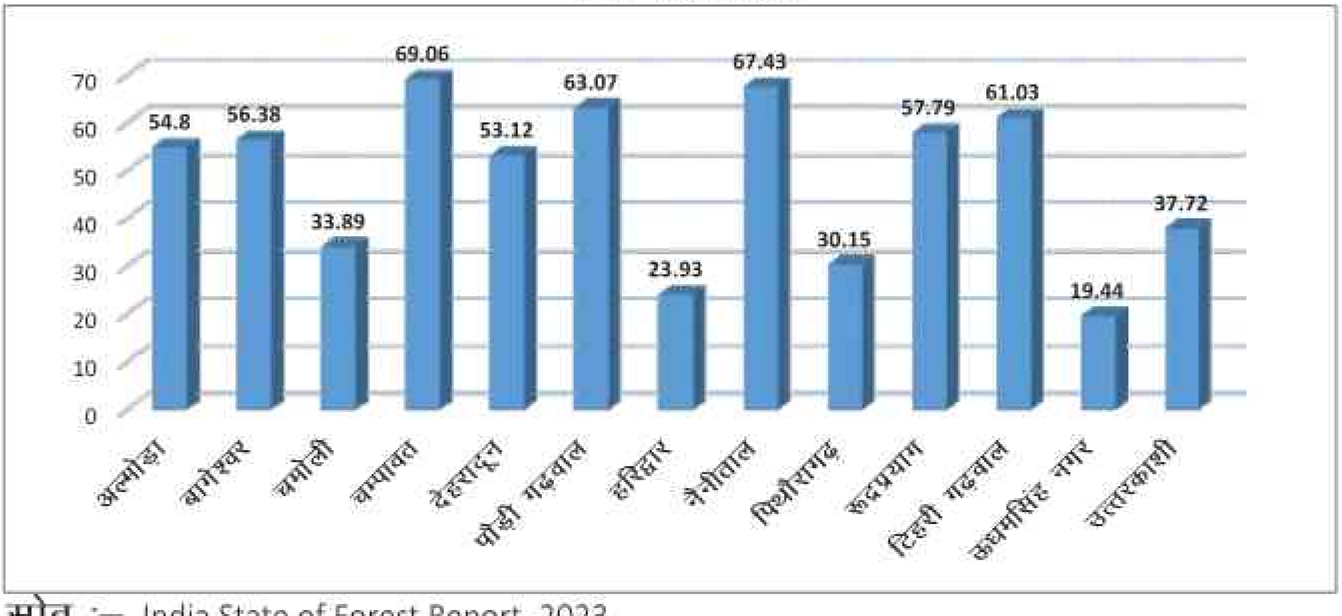

स्रोत :– India State of Forest Report, 2023

उतार–चढ़ाव देखने को मिला है, जबकि वन क्षेत्र में आवंटित बजट जी0एस0डी0पी0 का 0.27 प्रतिशत से 1.05 प्रतिशत के मध्य रहा है।

9.1.1 वनावरण में वृद्धि–वर्ष 2021 की भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 24,305.13 वर्ग किमी0 पाया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 24,303.83 वर्ग किमी0 पाया गया। दो वर्षों की अवधि में वनावरण में 1.3 वर्ग किमी0 की कमी पायी गयी है।

विभागीय योजनाए– वित्तीय वर्ष 2022–23 से विभाग में शासन के अनुमोदन से वित्तीय सुधार के रूप में राज्य सेक्टर की 52 योजनाओं को मर्ज व सुसंगत (Rationalize) कर 7 योजनाओं में परिवर्तित किया गया है। विभाग के अन्तर्गत वनों के संरक्षण एवं सवर्द्धन हेतु वर्तमान में संचालित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

9.2.1 अधिष्ठान एवं क्षमता विकास– पूर्व में संचालित सामान्य अधिष्ठान, वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति, अधिकारियों और कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास, उत्तराखण्ड वन पंचायत सलाहकार परिषद तथा उत्तराखण्ड पारिस्थितकीय पर्यटन सलाहकार परिषद योजनाओं को सम्मिलित करते हुए योजना का नाम अधिष्ठान एवं क्षमता विकास कर दिया गया है। उक्त योजना का उद्देश्य प्रशासन, क्षमता विकास है जिसके अन्तर्गत निम्न भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी हैं जो निम्नानुसार है–

भौतिक लक्ष्य
विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वेतन भत्तों आदि का भुगतान तथा प्रशासनिक व्यय।
प्रशिक्षण केन्द्रों का रखरखाव, प्रशासनिक व्यय पुस्तको का क्रय
उत्तराखण्ड वन पंचायत सलाहकार परिषद के प्रशासनिक व्यय हेतु
उत्तराखण्ड पारिस्थितकीय पर्यटन सलाहकार परिषद के प्रशासनिक व्यय हेतु

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹ 62430.01 लाख के स्वीकृत आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष 03 जनवरी, 2025 तक ₹ 44378.01 लाख व्यय किया गया है।

9.2.2 वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन – पूर्व में संचालित आरक्षित वनों की अग्नि से सुरक्षा, सिविल/सोयम वन पंचायतों में अग्नि से सुरक्षा, वनों की सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण, वन बंदोबस्त, इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरण द्वारा निकाली गई वन उपज, बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्धन, लीसा, कार्य योजना का निर्माण एवं पुनरीक्षण कार्य, ईको–टूरिज्म योजना, ग्रामीण ईको–पर्यटन योजना आरक्षित वनों की अग्नि से सुरक्षा, वनों की सुरक्षा तथा ईको–टूरिज्म योजनाओं को सम्मिलित करते हुए वनों की सुरक्षा एंव प्रबन्धन कर दिया गया है। उक्त योजना का उद्देश्य वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन है, जिसके अन्तर्गत निम्न भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है, जो निम्नानुसार है–

भौतिक लक्ष्य
कन्ट्रोल बर्निंग– 35000 है0, क्रू स्टेशन निर्माण–31 सं0, क्रू स्टेशन रखरखाव– 286 सं0, फायर वाचर– 3393 सं0, वाच टावर निर्माण –9 स0,मोटर मार्गो के दोनो ओर कटना फुकान कार्य–95 किमी0 पैदल

मार्गों के दोनो ओर कटान फुकान कार्य–117 किमी0, मास्टर कन्ट्रोल रूम का सुदृढ़ीकरण–8, बाउण्ड्री पिलर निर्माण–484, वाटर हॉल निर्माण– 142, वाटर टेंक निर्माण–105
संवेदनशील क्षेत्रों में बाउण्ड्रीवाल निर्माण– 1305 किमी0, संवेदनशील क्षेत्रों में वृक्षारोपण–100 है0, चेक पोस्ट / वैरियर का सुदृढ़ीकरण–251 सं0, बाउन्ड्री पीलर निर्माण –368 स0, पेट्रोलिंग मार्गों का रखरखाव–325 किमी0, बाउण्ड्री पीलर मरम्मत–1520 सं0, क्षतिग्रस्त दीवाल की मरम्मत–517 सं0, वृक्षारोपण अनुरक्षण–280 है0, खाईयों का नवीनीकरण–27
सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं जी0आई0 एस0 यूनिट का रखरखाव –01
सीमांकन कार्य पिलरों का अनुरक्षण एवं निर्माण कार्य
छपान हेतु घनों का निर्माण, वन निगम से छपान कार्य हेतु अग्रिम के रूप में ली गयी धनराशि के वापसी एवं छपान कार्य।
बुग्यालो में भूमि एवं जल सं0कार्य– 550 सं0 बुग्यालों की सुरक्षा –220 सं0, चैकडैम निर्माण–50 सं0, व्यू पांइन्ट –03 स0, हट / चहल निर्माण –210 स0, बुग्यालों का संरक्षण (जियो जूट विधि से उपचार)–20
लीसा उत्पादन – 1,10,000 कुन्तल
कार्य योजना का निर्माण एवं पुनरीक्षण कार्य पर होने वाले व्यय हेतु।
ट्रेकिंग रूट / वन मोटर मार्ग / ब्राइडल पाथों का जीर्णोद्धार– 127 किमी0, वन विश्राम भवनों का रखरखाव–94, ट्रेकिंग मार्ग मरम्मत–40 किमी0, पर्यटन हब विकास–75 सं0, पार्क के अन्दर शौचालय निर्माण–10 सं0, पार्क के अन्दर छतरियों का निर्माण–8 सं0, पार्क के अन्दर कूड़ादान का निर्माण–30 सं0, गंगा वाटिका का अनुरक्षण–2, शोभास्थली निर्माण कार्य–2

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹ 6900.00 लाख के स्वीकृत आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष 03 जनवरी, 2025 तक ₹ 4323.52 लाख व्यय किया गया है।

9.2.3 वनीकरण एवं संरक्षण– पूर्व में संचालित बहुउददेशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण, औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्द्धन, हमारा पेड़ हमारा धन, हमारा स्कूल हमारा वृक्ष, हरेला कार्यक्रम में पौध वितरण योजना, वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण, बागान, वर्षा जल संरक्षण योजना, भू–क्षरण की रोकथाम तथा रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी डवलपमेन्ट योजनाओं को सम्मिलित करते हुए वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन कर दिया गया है। उक्त योजना का उद्देश्य वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन है। जिसके अन्तर्गत निम्न भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है जो निम्नानुसार है–

भौतिक लक्ष्य
वृक्षारोपण – 3721.67 है0, अग्रिम मृदाकार्य – 4080 है0 वृक्षारोपण अनुरक्षण–8198.02 है0,ए0एन0आर0 – 230 है0, भू0सं0कार्य – 2758 स0, चैक डेम / चरी निर्माण– 1010 सं0, कन्टूर ट्रैच निर्माण–270, वृक्षारोपण– 100 है0, अग्रिम मृदा कार्य –305 है0

भू0सं0कार्य–379 सं0, पौधालय स्थापना–1, हर्बल गार्डन सुदृढ़ीकरण कार्य–1 सं0 हर्बल गार्डन का अनुरक्षण–1, वृक्षारोपण अनुरक्षण–21 है0, पौधालय अनुरक्षण–16 सं0, सुरक्षा वाल फेंसिंग कार्य– 0.2 किमी0, रखरखाव कार्य–150 सं0,
पौध रोपण –29000 पौध
पौध उगान का लक्ष्य– 150500 पौध
पौध उगान– 104750 लाख सं0
वन पंचायतों में जागरुकता वृद्धि जिससे वन पंचायतें वनों की सुरक्षा में रुचि उत्पन्न हो रही है तथा वन पंचायतें वनों के प्रति जागरुक हो रही है।
सिल्विकल्चर कार्य–500 है0 एवं नर्सरियों का अनुरक्षण–20
जलाशय / जल कुन्ड / चालखाल –1200 स0, चहल निर्माण –75 स0, पिरूल / तारजाल चैक डेम निर्माण–800 सं0, कन्टूर ट्रेंच–690 है0, सूखे जल स्रोत रिचार्ज–86 सं0, भू0स0कार्य0–576 स0,
भू जल संरक्षण कार्य–300, चैक डेम / क्रेटवायर निर्माण –2242 सं0, आर0आर0ड्राई चैकडेम–20, भू–क्षरण की रोकथाम सम्बन्धी विभिन्न कार्य
विभिन्न वानिकी अनुसंधानों के माध्यम से वानिकी तथा वन्य जीवों के वास स्थल सुधार करने हेतु नवीनतम तकनीकी का प्रयोग किया जाना।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹ 9833.00 लाख के स्वीकृत आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष 03 जनवरी, 2025 तक ₹ 3838.22 लाख व्यय किया गया है।

9.1.4 वन मार्ग, अश्व मार्ग, पुल एवं अन्य अवस्थापना विकास – पूर्व में संचालित वन मोटर मार्गों तथा अश्व मार्गो का सुदृढ़ीकरण योजना का नाम वन मार्ग, अश्व मार्ग, पुल एवं अन्य अवस्थापना विकास कर दिया गया है है। उक्त योजना का उद्देश्य वन मोटर मार्गों, का सुदृढ़ीकरण करना हैं, जिसके अन्तर्गत निम्न भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है जो निम्नानुसार है–

भौतिक लक्ष्य
वन मोटर मार्गों का रख रखाव–1798.2 किमी0, वन पैदल मार्गों का रख रखाव–496.82 किमी0, पुलिया / काजवे / ब्रस्टवाल निर्माण– 23 सं0,
वन विश्राम भवनों का सुदृढ़ीकरण प्रतिवर्ष लगभग–15 सं0।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹ 2100.00 लाख के स्वीकृत आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष 03 जनवरी, 2025 तक व्यय शून्य है।

9.2.5 आवासीय, अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण– पूर्व में संचालित वन विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण एवं वन संचार साधन–पुल,

टेलीफोन तथा भवन योजनाओं को सम्मिलित करते हुए आवासीय, अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कर दिया गया है। उक्त योजना का उद्देश्य आवासीय, अनावासीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण एवं उनका रखरखाव इत्यादि कार्य है। जिसके अन्तर्गत निम्न भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है जो निम्नानुसार है–

भौतिक लक्ष्य
आवासीय/अनावासीय भवनों का रखरखाव–315,भवनों में बिजली एवं पानी संयोजन–25 सं0 एवं आवासीय/अनावासीय भवनों का जीर्णोद्वार, विभिन्न राजकीय आवासीय भवनों की मरम्मत विभिन्नों रेंजों में भवन मरम्मत–15

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹ 655.00 लाख के स्वीकृत आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष 03 जनवरी, 2025 तक ₹ 468.53 लाख व्यय हुआ है।

9.2.6 मानव वन्यजीव संघर्ष एवं गूजर पुनर्वास– पूर्व में संचालित जंगली जानवरों द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता की जान–माल नुकसान पर क्षतिपूर्ति, मुठभेड़ में मृत्यु होने तथा शासकीय कार्यों हेतु वनाधिकारियों/कर्मचारियों को सहायता/पुरुस्कार, गूजर एवं अन्य प्रभावित पुर्नवास योजना, मानव–वन्यजीव संघर्ष रोकथाम योजना, मानव–वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना तथा मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीवों से खेती सुरक्षा योजनाओं को सम्मिलित करते हुए मानव वन्यजीव संघर्ष एवं गूजर पुनर्वास योजना कर दिया गया है।

उक्त योजना का उद्देश्य मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम , जंगली जानवरों द्वारा जान–माल की क्षतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि तथा वन्य जीवों से खेती सुरक्षा आदि है। जिसके अन्तर्गत निम्न भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है जो निम्नानुसार है–

भौतिक लक्ष्य
मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि 2012 के अनुसार मानव क्षति, पशु क्षति, भवन क्षति एवं फसल क्षति के मामलों का निस्तारण किया जायेगा।
बाथरूम एवं टॉयलेट–110, हैण्डपम्प–150, ट्यूबवैल मेन्टनेंस–3 पुनर्वासित गूजर बस्तियों में अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्य एवं उनका रखरखाव तथा पुनर्वास सम्बन्धी अन्य विविध व्यय
एलीफेंट प्रूफ ट्रैंच निर्माण–11.5 किमी0, एलीफेंट प्रूफ वाल निर्माण–3 किमी0, खाई खुदान–5 कि0मी0, सोलर फैंसिंग– 8 कि0मी0, सोलर फैंसिंग मरम्मत– 10 कि0मी0, हेबीटेट इम्प्रूवमेन्ट/लैण्टाना आदि अनावश्यक वीड उन्मूलन–524 है0, चाल–खाल एवं जल संरक्षण–60 सं0, खाई खुदान–22 कि0मी0, मुआवजा वितरण
उत्पाती वानरों का बान्ध्याकरण हेतु केन्द्र का रखरखाव–3 स0, वानरों को पकडकर बन्ध्याकरण के पश्चात दूरस्थ वनों में छोडना–12000।
बायोफसिंग का निर्माण, जंगली सुअररोधी दीवाल निर्माण–61.42 किमी0, हाथी/नील गाय रोधी खाई–10 कि0मी0, सोलर फेसिंग–4 किमी0, लैण्टाना एवं अनावश्यक वीड उन्मूलन–520 है0।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹3090.00 लाख के स्वीकृत आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष 03 जनवरी, 2025 तक ₹ 1520.34 लाख व्यय किया गया है।

9.2.7 वन्य जीव, प्रबन्धन, राष्ट्रीय पार्कों एवं पक्षी विहारों का विकास तथा 'जू' प्रबन्धन– पूर्व में संचालित जीवों के वास स्थलों का विकास, वन्यजन्तु परिरक्षण, बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रों का विकास, मालसी मिनी जू का विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, जंगली सूअरों के आखेट हेतु कारतूसों का वितरण, पक्षियों का संरक्षण एवं उनके वास स्थलों का विकास, हिम तेन्दुयें का संरक्षण/विकास तथा हल्द्वानी में जू निर्माण योजनाओं को सम्मिलित करते हुए वन्य जीव, प्रबन्धन, राष्ट्रीय पार्कों एवं पक्षी विहारों का विकास तथा 'जू' प्रबन्धन कर दिया गया है। उक्त योजना का उद्‌देश्य वन्य जीवों का संरक्षण, उनके वास स्थलों का सुधार, चिड़ियाघर/रेस्क्यू सेन्टर्स (जू) का प्रबन्धन है। जिसके अन्तर्गत निम्न भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है जो निम्नानुसार है–

भौतिक लक्ष्य
लैण्टाना उन्मूलन कर चारा/घास रोपण– 370 है0, मगरमच्छों के वास स्थल का विकास कर संरक्षण केन्द्र की स्थापना–1, वाटर होल निर्माण–112, जल कुण्ड निर्माण– 110, लैण्टाना आदि अनावश्यक वीड उन्मूलन–1720 है0, पूर्व वर्षों में किये गये लैण्टाना उन्मूलन का अनुरक्षण– 1053 है0
देहरादून जू, नैनीताल जू एवं अल्मोड़ा जू का रखरखाव एवं अनुरक्षण कार्य, वन चेतना केन्द्र का विकास–3, वन चेतना केन्द्र का अपग्रेडेशन–2, वाटर हॉल/भूमि संरक्षण–64, पर्यटक केन्द्रों का रखरखाव–12, वाच टावर रखरखाव–8, नेचर इन्टरपिटेशन सेन्टर रखरखाव–12
मलसी ''जू'' सुदृढीकरण एवं उसमें रखे जानवरों का रखरखाव
आखेट हेतु कारतूसों की व्यवस्था।
पक्षियों के संरक्षण हेतु जल संरक्षण कार्य।
उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिम तेन्दुये का संरक्षण।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹ 3400.00 लाख के स्वीकृत आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष 03 जनवरी, 2025 तक ₹ 191.81 लाख व्यय किया गया है।

9.2.8 विभिन्न बोर्डों, परिषदों एवं फॉउण्डेशन को सहायता– पूर्व में संचालित बांस एवं बायोफ्यूल प्रजातियों का रोपण, उत्तराखण्ड बांस एवं रेसा विकास परिषद, वोमैन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य, वाईल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता तथा टाईगर फाण्डेशन को सहायता योजनाओं को सम्मिलित करते हुए विभिन्न बोर्डों, परिषदों एवं फॉउण्डेशन को सहायता योजना कर दिया गया है। उक्त योजना का उद्‌देश्य वभिन्न बोर्डों, परिषदों से सम्बन्धित कार्य है। जिसके अन्तर्गत निम्न भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है जो निम्नानुसार है–

भौतिक लक्ष्य
बांस से जुडी आजीविका में वृद्धि व बाघ संरक्षण के प्रयासों में सहायता, महिला पौधालयों की स्थापना, प्रशिक्षण कार्य।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये स्वीकृत आय–व्ययक ₹ 1800.00 लाख के स्वीकृत आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष 03 जनवरी, 2025 तक ₹ 1371.21 लाख व्यय किया गया है।

9.2.9 उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण दंडित प्रतिपूरक वनीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण / प्रतिकारात्मक वनीकरण प्राधिकरण (कैम्पा):– वर्ष 2010–11 से कैम्पा परियोजना सोसाइटी मोड में गठित की गयी। वर्तमान में कैम्पा का संचालन उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) के माध्यम से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक प्रावधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय का योजनावार सारांश

<u>तालिका– 9.2</u>

दिनांक 03.01.2025 की स्थिति (धनराशि– लाख में)

वित्तीय वर्ष	योजना	स्वीकृत आय–व्ययक प्रावधान	भाासन से अवमुक्त धनरा शि	03 जनवरी 2025 तक का व्यय
1	2	3	4	5
2024 – 25	क्षतिपूरक वनीकरण योजना	6000.01	5352.08	1724.05
	जल संग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान	3500.01	3423.37	968.07
	समेकित वन्यजीव प्रबन्धन योजना	1000.01	1000.00	330.78
	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	20000.00	20000.00	7028.01
	कैम्पा योजना से अर्जित ब्याज	2000.00	1567.78	583.24
	अन्य कार्य	1800.00	1800.00	396.28
	योग	34300.03	33143.23	11031.33

<u>उत्तराखण्ड में वनावरण (forest Cover)</u>

तालिका–9.3

(वर्ग कि0मी0)

श्रेणी (Class)	क्षेत्रफल (Area)	भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनावरण क्षेत्र का प्रतिशत
अत्यन्त घने वन	5266.58	9.85
मध्यम घने वन	12517.63	23.40
खुले वन	6519.62	12.19
कुल	24303.83	45.44
स्क्रबलैंड	412.88	0.77

स्रोत :– India State of Forest Report, 2023

अग्नि संवेदनशील वन भूभागः–

तालिका–9.4

संवेदनशीलता	क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
अति संवेदनशील	24.39	0.10
उच्च संवेदनशील	3193.95	12.92
अधिक संवेदनशील	6832.16	27.64
मध्यम संवेदनशील	4946.88	20.01
कम संवेदनशील	9719.33	39.33

स्रोत :– India State of Forest Report, 2023

तालिका– 9.4 से स्पष्ट है कि एफ0एस0आई 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 40.56 प्रतिशत वन भाग अग्नि के प्रकोप के लिहाज से उच्च/अधिक संवेदनशील है। जिसका क्षेत्रफल 10026.11 वर्ग कि0मी0 है तथा 24.39 वर्ग कि0मी0 का क्षेत्रफल अति संवेदनशील बताया गया है।

9.3 प्रमुख वन्य जीव गणनाः– वन्य जीव प्रबन्धन में वन्य जीव गणना व संख्या का अनुमान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यवाही है जिसके द्वारा महत्वपूर्ण वन्य जीवों का आंकलन किया जाता है। कुछ प्रमुख वन्यजीवों के आंकडे निम्नानुसार हैः–

9.3.1 बाघः–बाघों की संख्या का आंकलन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा–निर्देशानुसार प्रत्येक 04 वर्ष मेंकिया जाता है। विगत वर्षो के आंकलन के आंकडे निम्नानुसार हैः–

तालिका–9.5

गणना वर्ष	2006	2010	2014	2018	2022
बाघों की संख्या	178	227	340	442	560

9.3.2 गुलदार गणना 2022

प्रदेश में वर्ष 2022 में भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से पहली बार वैज्ञानिक आधार पर गुलदारों की संख्या का आंकलन किया गया, जो कि 3115 पाया गया। प्रदेश मे वर्ष 2008 की गणना में गुलदारों की संख्या 2335 आंकलित की गयी थी। इस प्रकार वर्ष 2022 की गणना में गुलदारों की संख्या में 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

9.3.3 स्नो लैपर्ड गणना–वर्ष 2023–24 में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा की गयी गणना में देश में स्नो लैपर्ड की संख्या 718 आंकलित की गयी है। उक्त गणना में उत्तराखण्ड राज्य में स्नो लैपर्ड की संख्या 124 आंकलित की गयी है।

विभिन्न राज्यों में स्नो लैपर्ड की संख्या का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका–9.6

राज्य	स्नो लैपर्ड की संख्या
लद्दाख	477
उत्तराखण्ड	124
हिमाचल प्रदेश	51
अरूणाचल प्रदेश	36
सिक्किम	21
जम्मू एवं कश्मीर	9
कुल योग	718

स्रोतः कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2023–24

9.3.4 हाथी गणना–

तालिका–9.7

प्रभाग / वृत्त	हाथियों की संख्या (वर्ष वार)								क्षेत्र वर्ग किमी0 में
	2001	**2003**	**2005**	**2007**	**2012**	**2015**	**2017**	**2020**	
रामनगर टाइगर रिजर्व	441	477	560	515	429	850	-	1011	661.62
कालागढ़ टाइगर रिजर्व	149	150	78	107	314	185	-	213	626.73
कार्बेट टाइगर रिजर्व	**590**	**627**	**638**	**622**	**743**	**1035**	-	**1224**	**1288.35**
देहरादून वन प्रभाग	90	85	27	27	26	27	-	89	504.82
लैन्सडौन वन प्रभाग	125	139	157	180	186	160	-	150	433.43
कालसी वन प्रभाग	0	0	0	0	0	2	-	0	233.31
हरिद्वार वन प्रभाग	88	77	130	31	52	59	-	113	390.74
शिवालिक वृत्त	**303**	**301**	**314**	**238**	**264**	**248**	_	**352**	**1562.3**
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग	13	12	18	3	0	0	-	0	39.52
भागीरथी वृत्त	**13**	**12**	**18**	**3**	**0**	**0**	_	**0**	**39.52**
तराई पूर्वी वन प्रभाग	18	13	28	38	11	21	-	10	824.3
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग	7	8	13	7	23	10	-	30	404.97
रामनगर वन प्रभाग	21	36	25	4	116	84	-	16	487.37
हल्द्वानी वन प्रभाग	75	92	29	5	43	55	-	30	595.79
तराई पश्चिमी वन प्रभाग	0	6	20	1	31	27	-	41	384.07
पश्चिमीवृत्त	**121**	**155**	**115**	**55**	**224**	**197**	_	**127**	**2696.5**

राजाजी राष्ट्रीय पार्क	**453**	**469**	**416**	**418**	**302**	**309**	-	**311**	**851.62**
चम्पावत वन प्रभाग	27	18	9	10	26	8	-	12	205.21
उत्तरी वृत्त	**27**	**18**	**9**	**10**	**26**	**8**	_	**12**	**205.21**
कुल योग	**1507**	**1582**	**1510**	**1346**	**1559**	**1797**	**1839**	**2026**	**6643.5**

स्रोतः कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2023–24

9.3.5 बंदर गणना 2015:–

तालिका–9.8

Uttarakhand	No. of Adult Male	No. of Adult Female	No. of Infants	No. of Young	No. of Unknown	Total
Grand Total	**34110**	**49743**	**27281**	**21363**	**13919**	**146423**

स्रोतः कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2023–24

Total number of **rhesus macaque** (sex/age classes) recorded in different forest divisions during Uttarakhand state macaque and langur population **estimation exercise, December 2021**

तालिका–9.9

Uttarakhand	Total	Adult male	Adult Female	Sub adults	Infants	Unknown
Total	110840	28482	35220	19193	19705	8240

स्रोतः कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2023–24

वर्ष 2015 की गणना में बंदरो की संख्या 146423 आंकलित की गई थी एवं वर्ष 2021 में 1,10,840 आंकलित की गयी। वर्ष 2015 के सापेक्ष वर्ष 2021 में बन्दरों की संख्या मे लगभग 35,500 (24.30 प्रतिशत) की कमी आयी है। बन्दर जनित समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखण्ड मे बन्दर बन्ध्याकरण किया जा रहा है, जिसके भविष्य में सकारात्मक परिणाम परिलक्षित होंगे।

9.3.6 लंगूर गणना 2021:–

Total number of langur (sex/age classes) recordedin different forest divisions during Uttarakhand state macaque and langur population estimation exercise, December 2021

तालिका–9.10

Uttarakhand	Total	Adult male	Adult female	Sub adults	Infants	Unknown
Total	38011	9635	11899	6165	6343	3969

स्रोतः कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2023–24

9.3.7 जलीय जीवों (मगरए घडियाल और उद बिलाव) की गणनाः–

वर्ष 2020 में प्रदेश में जलीय जीवों की गणना की गयी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका–9.11

प्रभाग	मगर	घडियाल	उद बिलाव
कार्बेट टाइगर रिजर्व	145	75	133
राजाजी टाइगर रिजर्व	0	01	12
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग	0	0	11
चम्पावत वन प्रभाग	0	0	19
हल्द्वानी वन प्रभाग	0	0	10
तराई पूर्वी वन प्रभाग	255	0	03
रामनगर वन प्रभाग	0	0	05
हरिद्वार वन प्रभाग	51	01	01
योग	451	77	194

स्रोतः कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2023–24

उभरती हुयी चुनौतियां (Emerging Issues and Risks)

- बढ़ती जनसंख्या से वनों पर दबाव में भारी वृद्धि।
- शहरीकरण व मानवीय दबावों के कारण वन्य जीवों के वास स्थलों पर प्रभावों के कारण मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनायें।
- जलवायु परिवर्तन के कारण वनों में प्रजातियों पर प्रभाव तथा जल स्रोतों की कमी।
- ग्लेश्यिरों का पिघलना।
- आपदा से भू–स्खलन होने से वनों को हानि।
- गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के कारण वनावरण का प्रभावित होना।
- वनों के प्रबन्धन में स्थानीय समुदाय विषेशकर महिलाओं की सहभागिता।
- पंचायती वनों का सर्वेक्षण व सीमा स्तम्भों की स्थापना।
- जनता को गैर प्रकाष्ठ वन उपज (NTFP) के माध्यम से आजीविका के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना।
- विकास कार्यों एवं वनों के संरक्षण में सामंजस्य स्थापित करना।
- वनों एवं वन्य जीवों के प्रबन्धन हेतु कार्ययोजनाओं / प्रबन्ध योजनाओं के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु समुचित बजट स्वीकृत किया जाना।
- प्रदेश के वनों से यद्यपि पर्याप्त राजस्व प्राप्त किया जा रहा है, फिर भी इसमें वृद्धि के उपायों पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Uttarakhand Pollution Control Board

9.4 वायु गुणवत्ता की विशेशताएँः– राज्य के चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर में वायु गुणवत्ता मापन केन्द्र स्थापित है। जहॉ पर नियमित रूप से पी0एम0 10, पी0एम0 2.5, सल्फर डाई ऑक्साइड तथा नाईट्रिक्स आक्साईड के पूर्व निर्धारित मानकों के सापेक्ष वायु की गुणवत्ता का मापन किया जाता है। राज्य में वायु गुणवत्ता के मानक आवासीय तथा औद्योगिक / व्यवसायिक क्षेत्रों हेतु पृथक–पृथक

निर्धारित है। राज्य इन केन्द्रों में वर्ष 2024 के माह नवम्बर में औसत वायु गुणवत्ता का विवरण निम्न तालिका– 9.5 में प्रदर्शित है:–

Uttarakhand Ambient Air Quality Characteristics

Uttarakhand Pollution Control Board

तालिका–9.11

Category					**PM10**		**PM2.5**		**SO2**		**NO2**	
Unit					**µg/m3**							
Time					**Annual**	**24Hr**	**Annual**	**24Hr**	**Annual**	**24Hr**	**Annual**	**24Hr**
Industrial, Residential, Rural and other Area												
Ecologically sensitive area (notified by Central Govt.)					**60**	**100**	**40**	**60**	**20**	**80**	**30**	**80**
S. No.	**Name of City**	**Location**	**Monitoring**	**Category**	**PM 10**	**PM2.5**	**SO2**	**NO2**				
1	Dehradun	Clock Tower	Manual	Residential	191.14	103.55	9.40	21.12	**Good (0-50)**		**Minimal Impact**	
		ISBT		Residential	201.26	101.62	11.13	21.12				
		Raipur		Residential	186.21	90.62	8.13	20.24				
		Doon University	CAAQMS	Residential	100.60	74.94	0.78	2.30				
Cumulative concentration									Satisfactory (51-100)		Minor beathing discomfort to sensitive people	
2	Rishikesh	Nagar Nigam	Manual	Commercial	141.35	64.27	4.43	22.92				
		SPS Hospital		Commercial	143.44	61.55	3.02	22.65				
		Natraj Hotel		Commercial	141.58	65.37	3.68	22.79				
		Shivaji Nagar	CAAQMS	Residential	80.71	59.91	4.95	9.32				
Cumulative concentration												
3	Kahsipur	Govt. Hospital	Manual	Sensitive	113.69	57.79	12.70	18.99	Moderate (101-200)		Breathing discomfort to the people with lung, heart disease, children and older adults	
		Govt.Girls Inter College	CAAQMS	Sensitive	110.34	66.45	5.74	28.07				
Cumulative concentration									Poor (201-300)		Breathing discomfort to people on prolonged expoeure	
4	Haridwar	SIDCUL	Manual	Industrial	133.05	74.57	6.16	21.36				
		Rishikul		Industrial	-	-	-	-				
		Nagar Nigam Roorkee		Commercial	134.19	-	-	-				
5	Rudrapur	Govt. Hospital	Manual	Sensitive	111.70	-	13.00	18.87				
6	Haldwani	Jal Sansthan	Manual	Commercial	116.08	36.01	8.07	28.30				
7	Uttarkashi	CMO OFFICE	Manual	Commercial	30.38	21.92	-	-				
8	Tehri	Nagar Palika Parishad	Manual	Commercial	48.54	17.12	-	-	Very Poor (301-400)		Respiratory illness to the people on pronged exposure	
9	Pauri	Nagar Palika Parishad	Manual	Commercial	42.25	30.71	-	-				
10	Gopeshwar	Nagar Palika Parishad	Manual	Commercial	25.62	10.09	-	-				
11	Almora	Vikas Bhawan	Manual	Commercial	45.12	29.01	-	-	Severe (>401)		Respiratory effects even on healthy people	
12	Bageshwar	Nagar Palika Parishad	Manual	Commercial	45.18	26.90	-	-				
13	Nainital	Nagar Palika Parishad	Manual	Commercial	70.25	-	-	-				

स्रोत: वन विभाग उत्तराखंड

ध्वनि प्रदूशणः–

9.5 राज्य के चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर में ध्वनि प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापित है। जहॉं पर नियमित रूप से ध्वनि को न्यूनतम मानक, अधिकतम मानक व औसत मानक डेसिबल ईकाई में मापा जाता है। राज्य के इन केन्द्रों में वर्ष 2024 के माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर में ध्वनि गुणवत्ता का विवरण निम्न तालिका– 9.6 में प्रदर्शित है:–

तालिका–9.12

NOISE DATA -2024						
NOISE LEVEL DB(A) L AVERAGE						
	AUGUST			SEPTEMBER		
	L Min	L Max	L AV	L Min	L Max	L AV
Survey Chowk, Dehradun	75.40	86.30	80.85	80.10	90.20	85.15
Doon Hospital, Dehradun	75.60	82.70	79.15	64.40	79.60	72.71
Clock Tower,Dehradun	80.60	90.70	85.65	77.20	87.40	81.83
Gandhi Park,Dehradun	81.40	86.70	84.05	71.20	83.50	77.35
Race Course,Dehradun	65.50	79.40	72.45	60.30	74.80	68.94
CMI Hospital Chowk,Dehradun	76.30	81.70	79.00	65.20	83.40	73.18
Nehru Colony,Dehradun	53.70	70.10	61.90	53.10	60.50	56.78
Pentagon Mall Chowk, SIDCUL, Haridwar	66.21	84.64	75.63	68.70	83.25	73.48
Mallital Near NPP Office Nainital	51.70	69.50	60.50	54.20	71.90	63.80
Awas Vikas Colony, Haldwani	44.30	57.70	51.50	46.30	59.60	53.50
Beersheba School Nainital Road, Haldwani	51.50	69.20	61.30	54.50	70.40	63.70
Tikonia Chauraha Nainital Road, Haldwani	54.20	71.60	64.10	56.30	73.60	65.50
Govt. Hospital, Kashipur	39.50	64.83	58.10	31.83	59.00	67.99
M.P. Chowk Kashipur	53.50	91.50	84.02	74.00	99.00	92.04
Residential Area Awas Vikas kashipur	44.00	84.00	76.65	34.33	76.17	71.33
Govt. Hospital, Rudrapur	40.33	69.00	61.61	30.17	58.17	67.95
DD. Chowk Rudrapur	77.83	98.67	93.45	72.17	99.00	92.74
Residential Area Awas Vikas Rudrapur	45.83	82.00	76.13	33.50	75.33	71.32

स्रोतः वन विभाग उत्तराखंड

सेवा क्षेत्र

अध्याय–10
परिवहन एवं संचार
Transport and Communication

परिवहन एवं संचार साधनों का आर्थिक गतिविधियों के विकास के मध्य सकारात्मक संबंध है, परिवहन के माध्यम से ही हमारी अर्थिक क्रियाएं सम्पादित होती हैं। यह मानव समाज का अभिन्न अंग हैं, संचार के माध्यम से ही मनुष्य विकास की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आज सम्पूर्ण दुनिया को अपनी मुठ्ठी में किये हुए हैं । इनका महत्व न केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य संपर्क के विषय में है, बल्कि दुनिया के हर क्षेत्र में लोगों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के विषय में भी है। उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र हों या राज्य के सुदूर क्षेत्रों में प्रदेश के दूरदराज में रहने वाली आबादी, सड़क परिवहन उन इलाकों की आबादी को देश के विकसित इलाकों से जोड़ने का प्रमुख माध्यम है। संसाधनों के परिवहन की बात हो या लोगों को एक स्थान से दूसरी स्थान ले जाने की, सड़क नेटवर्क उन प्रमुख माध्यमों में से एक है जिसे लोग चुनते हैं।

10.1 उत्तराखण्ड परिवहन निगम–

उत्तराखण्ड राज्य जहाँ एक ओर पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों के लिए सदैव आकर्षण का केन्द्र रहा है वहीं दूसरी ओर तीर्थाटन की दृष्टि से भी देश/विदेश के अन्तर्गत राज्य की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। इसके अतिरिक्त विश्व प्रसिद्ध चारधाम (श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री) सहित पावन तीर्थ स्थल हरिद्वार, ऋषिकेश, ऊखीमठ, पाण्डुकेश्वर, जागेश्वर, बागेश्वर, माँ पूर्णागिरी, पाताल भुवनेश्वर आदि तथा पहाड़ों की रानी नाम से विख्यात 'मसूरी' के साथ ही नैनीताल, औली, रानीखेत, पिथौरागढ़, कौसानी आदि मनोरम/दर्शनीय पर्यटक स्थल भी उत्तराखण्ड राज्य में स्थित होने से देश/विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फलतः राज्य में स्थानीय यातायात व्यवस्था के अतिरिक्त देश–विदेश से भी तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों का आवागमन अनवरत रूप से वर्षभर बना रहता है। प्रदेश में आने वाले तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों को सुलभ, आरामदायक एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत् विभाग द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम के साथ–साथ निजी एवं ठेका यात्री वाहनों को उदारनीति से परमिट जारी किये जाते हैं। इस प्रकार परिवहन विभाग राज्य के अन्तर्गत यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सतत् प्रयत्नशील है।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213 के अन्तर्गत राज्यों में परिवहन विभाग की स्थापना का प्राविधान है। उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत ही राज्य में परिवहन विभाग की स्थापना की गयी है।

10.1.1 परिवहन विभाग द्वारा कृत कार्यों एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है–

चार्ट–10.1
परिवहन विभाग में (वित्तीय वर्ष 2001–02 से वर्तमान तक) कुल राजस्व प्राप्तियों का विवरण

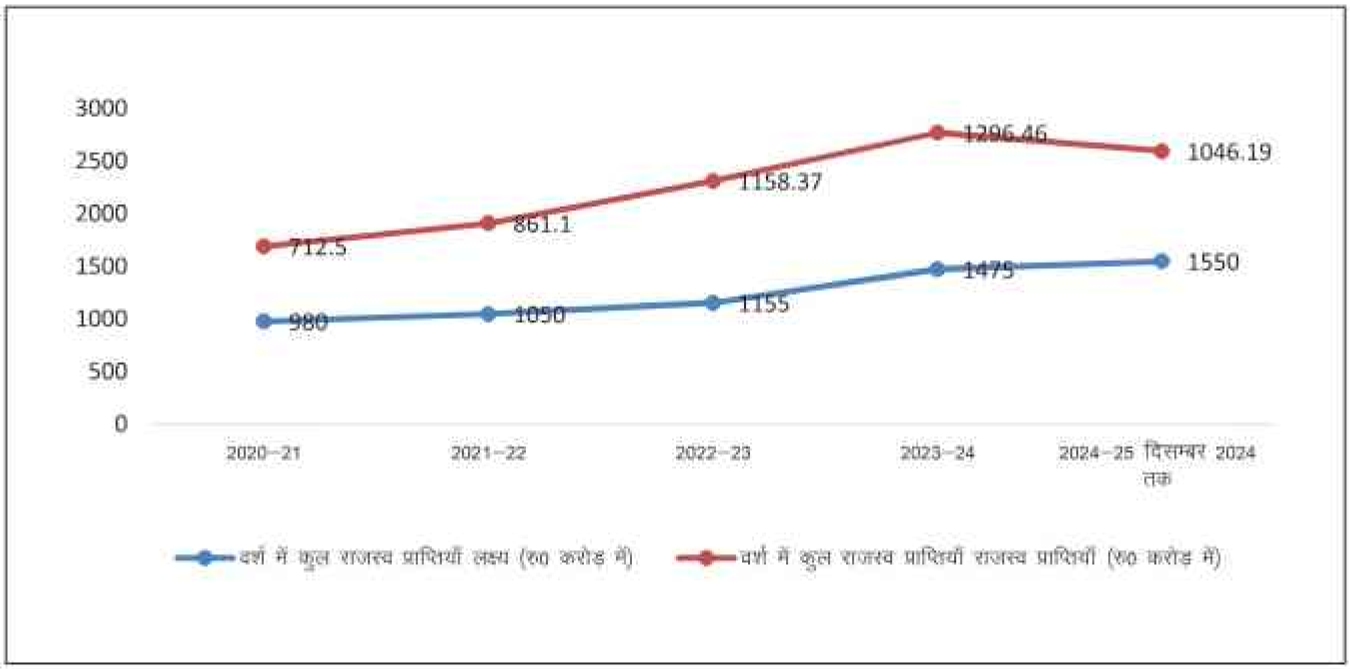

स्रोतः परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चार्ट–10.2
परिवहन विभाग में (वित्तीय वर्ष 2001–02 से वर्तमान तक) कुल पंजीकृत वाहनों का विवरण

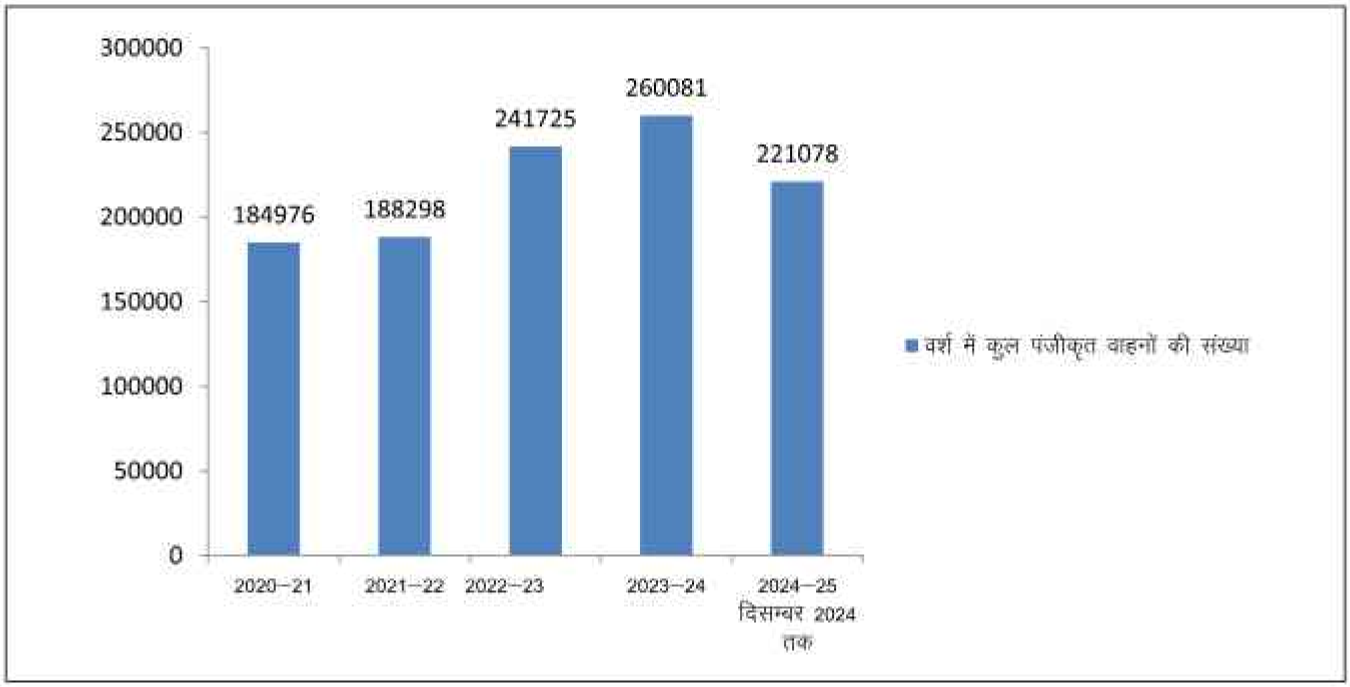

स्रोतः परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चार्ट–10.3
प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य

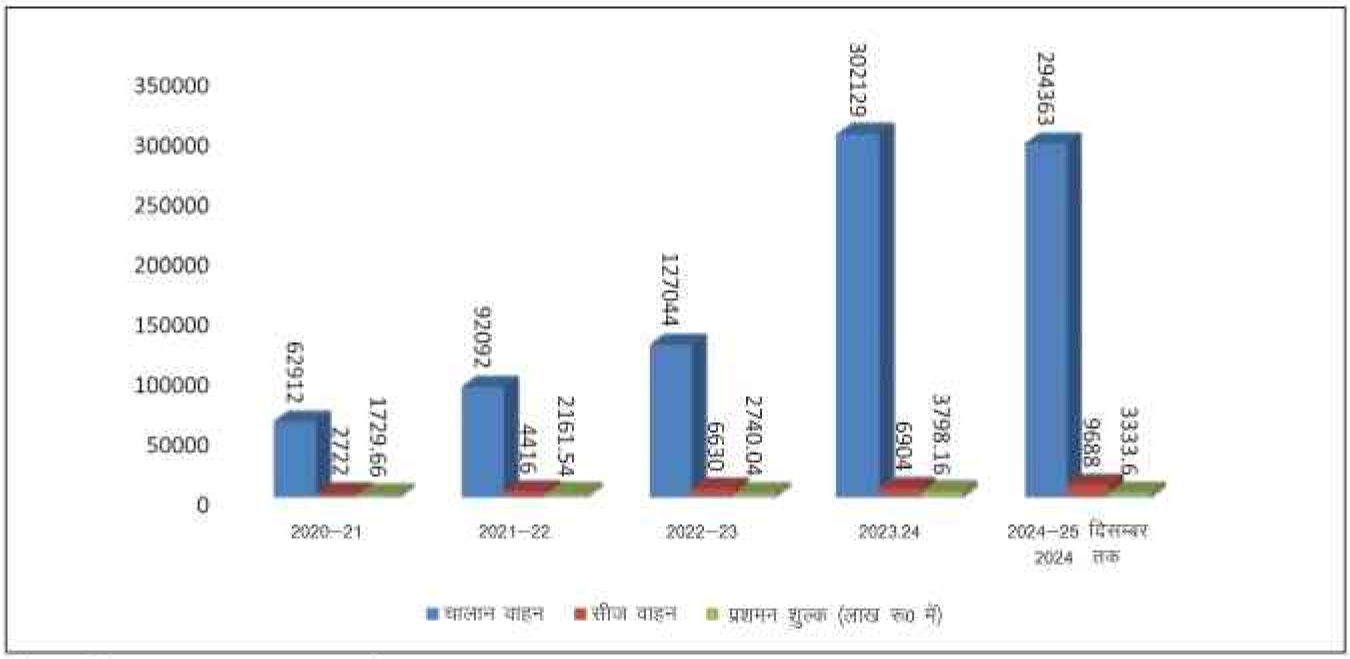

स्रोतः परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चार्ट–10.4
राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण

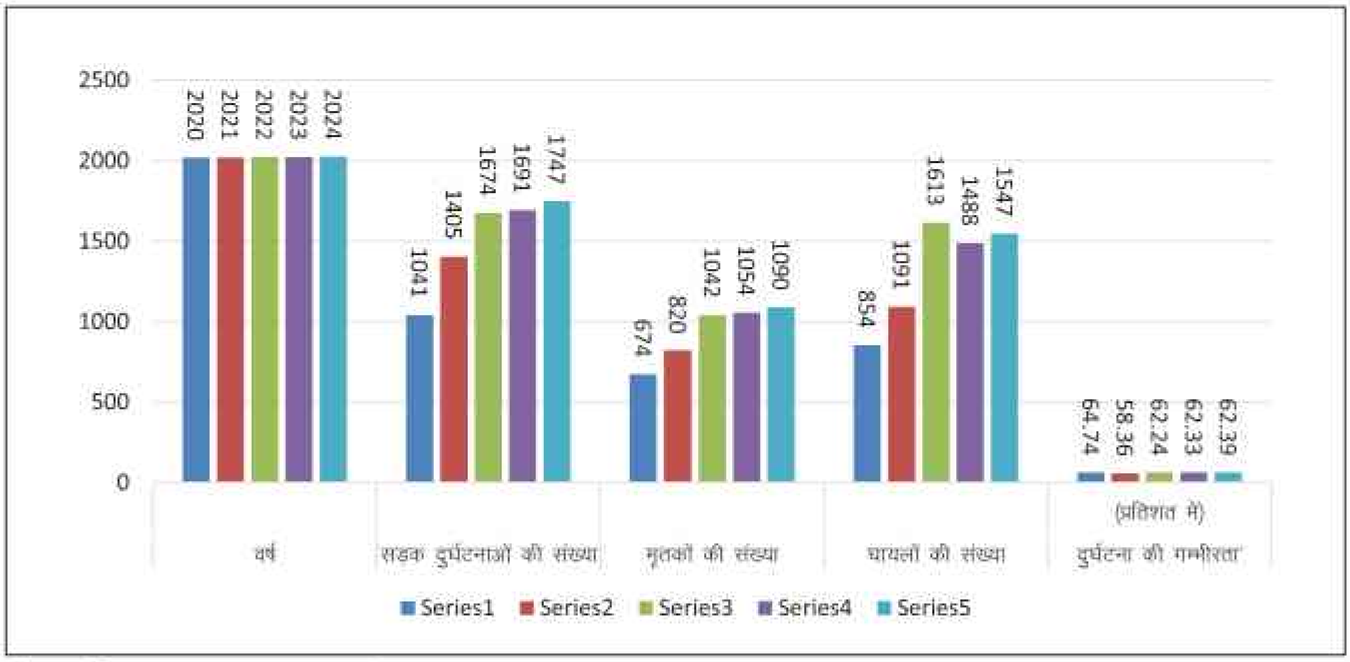

स्रोतः परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

10.1.2 रोजगार–

- **प्रत्यक्ष रोजगार**– वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2024–25 के माह दिसम्बर–2024 तक 171 नियमित नियुक्तियाँ एवं 26 आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुल 197 नियुक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।
- **अप्रत्यक्ष रोजगार**– वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2023–24 (माह दिसम्बर–2024

तक) कुल 188952 परमिट जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से लगभग 283000 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023–24 के माह दिसम्बर, 2024 तक कुल 366 प्रदूषण जॉच केन्द्र, 22 मान्यता प्राप्त गैराज, 55 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एवं रेन्ट ए मोटर साईकिल (स्कीम), 1997 के अंतर्गत जारी लाईसेंसों (391 लाईसेंस) के माध्यम से भी लगभग 1000 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

10.1.3 ई–गवर्नेन्स के माध्यम से जनता को ऑनलाईन सेवाएं– ऑनलाईन सेवाएं देने के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा ई–व्हीकल पालिसी, रेन्ट ए कैब स्कीम, रेन्ट ए मोटर साईकिल स्कीम तथा एग्रीगेटर स्कीम लागू की गई है। प्रदेश में पर्यटन एवं रोजगार को बढावा देने के लिए मोटर साइकिल किराए पर दिए जाने हेतु 543 लाइसेन्स जारी किये गये हैं। जनता को सस्ती सुलभ यातायात व्यवस्था प्रदान करने के लिए दुपहिया/तिपहिया एवं चौपहिया वाहनों के संचालन हेतु 08 एग्रीगेटर लाइसेंस जारी किये गये हैं।

10.1.4 उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 – के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 2,10,19,264.00 एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के माह दिसम्बर–2024 तक ₹ 3,26,07,953.00 की धनराशि जिलाधिकारियों को आंवटित की गयी है। उत्तराखण्ड में सड़क सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा सड़क सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन हेतु पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में एकत्रित किये गये प्रशमन शुल्क की धनराशि को 25 प्रतिशत से बढाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

10.1.5 विभागांतर्गत गतिमान एवं प्रस्तावित योजनाओं का विवरण–

i) ऑटोमेटिड फिटनेस टेस्टिंग लेन की स्थापना–

- राज्य में वाहनों की फिटनेस में गुणवत्ता विकास एवं फिटनेस संबंधी कार्य मानवीय हस्तक्षेप के बिना कम्प्यूटरीकृत रूप से किये जाने के दृष्टिगत आटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना की जा रही है।
- ऋषिकेश तथा कोटद्वार कार्यालय में भारत सरकार के सहयोग से निरीक्षण एवं सर्टिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है।
- मैदानी जनपदों में 07 कार्यालयान्तर्गत निजी क्षेत्र के सहयोग से टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किये जा रहे है जिनमें से 06 कार्यालय (देहरादून, रूद्रपुर, हल्द्वानी, विकासनगर, रूड़की तथा हरिद्वार) में संचालित एवं टनकपुर में कार्यवाही गतिमान है।
- पर्वतीय जनपदों में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा उत्तरकाशी में निर्माण कार्य गतिमान एवं पौड़ी में टेस्टिंग स्टेशन हेतु भूमि चयनित/कार्यदायी संस्था नामित तथा डी0पी0आर0 (Detailed Project Report) तैयार की गई है।

ii) ऑटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना–

- वाहन चालकों की परीक्षा कम्प्यूटरीकृत रूप में लिये जाने हेतु राज्य के प्रत्येक कार्यालय क्षेत्रान्तर्गत आटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स की स्थापना प्रस्तावित है।
- देहरादून के IDTR (Institute of Driver Training and Research) झाझरा में ट्रैक्स संचालित है।

- ऋषिकेश, कोटद्वार एवं हरिद्वार में निर्माण कार्य एवं ऑटोमेशन का कार्य मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) के सहयोग पूर्ण है।
- 06 स्थानों (अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रूड़की, रामनगर, एवं काशीपुर) में ट्रैक निर्माण का कार्य गतिमान है।
- 02 स्थानों में डी0पी0आर0 प्रतीक्षित, 08 स्थानों में भूमि हस्तान्तरण तथा शेष में भूमि चयन की कार्यवाही की जा रही है।

(iii) वाहनों की रीयल टाईम मॉनिटरिंग हेतु वाहनों में वी0एल0टी0 डिवाईस एवं आपातकालीन अलर्ट सिस्टम की स्थापना–

- दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक 86,529 वाहनों में वीएलटी डिवाईस संस्थापित की जा चुकी है।
- वी0एल0टी0 Vehicle location Tracking कन्ट्रोल रूम परिवहन मुख्यालय, देहरादून में स्थापित किया गया है।
- संभाग स्तर पर वाहनों की मॉनिटरिंग को सशक्त किये जाने के लिए संभागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी, अल्मोड़ा एवं पौड़ी में वी0एल0टी0 कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(iv) ए0एन0पी0आर0 Automatic Number Plate Recognition कैमरों की स्थापना–

- राज्य की सीमा पर परिवहन विभाग की चैकपोस्टों को समाप्त करते हुए ए0एन0पी0आर0 कैमरों की स्थापना की जा रही है। उक्त कैमरों के माध्यम से इलैक्ट्रानिक इनफोर्समेन्ट की कार्यवाही गतिमान है। उक्त ए0एन0पी0आर0 कैमरों के माध्यम से दिसंबर, 2024 तक 102872 चालान किए गए एवं ₹ 250.99 लाख का प्रशमन शुल्क वसूल किया गया है।

(v) इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना–

- उत्तराखण्ड राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सड़को पर 35 से 40 किमी0 की दूरी पर इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जा रही है।
- प्रथम चरण में चारधाम मार्ग पर भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के सहयोग से 12 स्थलों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की गयी है।
- गढ़वाल मंडल के अन्तर्गत 25 स्थलों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की गयी है।
- द्वितीय चरण में कुमाउँ मंडल के अन्तर्गत 41 स्थलों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की कार्यवाही गतिमान हैं।

(vi) रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा–

- वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में ऐसे शासकीय वाहनों हेतु, जिनकी मॉडल सीमा 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, के स्क्रैपिंग हेतु पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की व्यवस्था की गई है। जिसके अंतर्गत उत्तराखण्ड परिवहन विभाग द्वारा अभी तक 05 फर्मों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गई है।
- स्क्रैप किए गए वाहनों के सापेक्ष क्रय किए गए वाहनों को कर में छूट का प्रावधान है।

(vii) डायनैमिक टास्क फोर्स –

- सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के साथ ही कर अपवंचना, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों, तीव्र गति से संचालित वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही एवं चैकिंग हेतु 14 डायनैमिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो 24*7 प्रवर्तन कार्य करते हैं।

(viii) चार धाम यात्रा मार्गों पर वाहन चालकों हेतु विश्राम, चिकित्सा एवं अन्य सुविधा–

- चारधाम यात्रा के वाहन चालक/परिचालकों के सुविधार्थ विश्राम स्थलों का निर्माण किया जा रहा हैं।
- प्रथम चरण में बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर तथा उत्तराखण्ड परिवहन निगम के ऋषिकेश एवं श्रीनगर बस अड्डों में उपलब्ध भूमि पर निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
- इसी प्रकार की स्थायी सुविधा हेतु रूद्रप्रयाग (केदारनाथ) तथा उत्तरकाशी (गंगोत्री एवं यमुनोत्री) में भूमि चयन/हस्तांतरण की कार्यवाही गतिमान है।

10.1.6 सड़क सुरक्षा जागरूकता के दृष्टिगत गतिमान कार्यवाही का विवरण–

(i) सड़क सुरक्षा एक पहल पुस्तक का प्रकाशन–

- स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से परिवहन विभाग द्वारा कक्षा–3 से 12 तक के बच्चों के लिये सड़क सुरक्षा एक पहल पुस्तक का संकलन किया गया है। उक्त पुस्तक की 52000 प्रतियां मुद्रित कराते हुए सभी स्कूलों में अध्यापकों के उपयोगार्थ वितरित कराई गई है।
- कक्षा 9 से 12 तक के छात्र–छात्राओं हेतु सड़क सुरक्षा नियमों से सम्बन्धित पुस्तिका का प्रकाशन किए जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- स्कूलों में सड़क सुरक्षा जागरूकता के अंतर्गत वर्ष 2022 में 350 एवं वर्ष 2023 में 475 कार्यक्रम संचालित किये गये है।
- ओवरस्पीडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु व्यावसायिक वाहनों में गति नियन्त्रक (Speed Limiting Device) उपकरण की अनिवार्यता की गई है।
- दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक 131113 वाहनों में गति नियन्त्रक उपकरण संयोजित किए जा चुके हैं।
- परिवहन उपनिरीक्षक स्तर पर 30 प्रवर्तन दलों (बाईक स्क्वॉड) का गठन।
- 25 बॉडीवार्न कैमरों के माध्यम से प्रवर्तन दलों का सुदृढ़ीकरण।
- 08 इन्टरसेप्टर वाहनों का क्रय।
- 13 स्पीड रडार गन का क्रय।

10.1.7 आई–रैड परियोजना का शुभारम्भ–

- दिनांक 24–05–2022 से उत्तराखण्ड राज्य में आई–रैड (Integrated Road Accident Database) परियोजना को लागू कर दिया गया है। उक्त परियोजना के लागू होने से राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का डाटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगा, जिससे दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु भविष्य की कार्ययोजना बनाने में सहायता मिलेगी। उक्त सॉफ्टवेयर में पुलिस, परिवहन, लो0नि0वि0 एवं चिकित्सा विभाग द्वारा सूचनाएं अंकित की जा रही है।

10.2 उत्तराखण्ड परिवहन निगम–

परिवहन व्यवस्था का दूसरा मुख्य घटक राज्य सड़क परिवहन निगम (State Road Transport Corporation) है, जिसे उत्तराखंड में भी उत्तराखंड परिवहन निगम के रूप में पुनर्गठित किया गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना ने 31 अक्टूबर 2003 को हुई और यह राष्ट्रीयकृत मार्गों के साथ–साथ अंतरराज्यीय मार्गों पर भी सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

परिवहन निगम के देहरादून, नैनीताल तथा टनकपुर में निगम के तीन क्षेत्रीय कार्यालय तथा 20 डिपो कार्यरत हैं। परिवहन निगम के कुल 574 मार्ग हैं जिनमें से 311 मार्गों पर बसें संचालित हो रही हैं जिन मार्गों पर निगम 967 सेवायें प्रदान कर रहा है जिनमें से 263 बस सेवाऐं पर्वतीय एवं मिश्रित मार्गों पर एवं 704 बस सेवाऐं मैदानी मार्गों पर संचालित हो रही हैं। वर्ष 2023–24 में निगम की 1311 बसों द्वारा कुल 1549.55 लाख संचालित किमी0 के द्वारा 420.35 लाख यात्रियों द्वारा यात्रायें की गयी। वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2024 तक निगम द्वारा संचालित 1490 यात्री बसों में 1161.78 लाख किमी0 की संचालन से 344.56 लाख यात्रियों ने यात्रायें की। वर्तमान में निगम के बस बेड़े में कुल 1485 बसें हैं जिनमें 185 सी0एन0जी0 बसों सहित 1425 साधारण बसें, 7 ए0सी0 जनरथ बसें एवं 53 वोल्वो बसें शामिल हैं। बसों में कुल 1731 चालक एवं 2536 परिचालक हैं।

10.2.1– परिवहन निगम की मुख्य उपलब्धियां वर्ष 2024–25 (माह दिसम्बर तक) में परिवहन निगम की बसों की बस उपयोगिता 329, लोड फैक्टर 68 प्रतिशत तथा प्रतिबस प्रतिदिन आय ₹ 15532 रही।

10.2.2– वर्ष 2023–24 में परिवहन निगम का कुल व्यय तथा प्राप्तियां क्रमशः 712.28 करोड़ तथा 727.60 करोड़ हो गयी। चार्ट 10.6 में परिवहन निगम की वर्षवार आय, व्यय तथा लाभ/हानि के आंकडें प्रदर्शित किये गये हैं:–

चार्ट–10.5
उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वर्षवार प्राप्तियां एवं व्यय एवं लाभ/ हानि (रू0 करोड़ में)

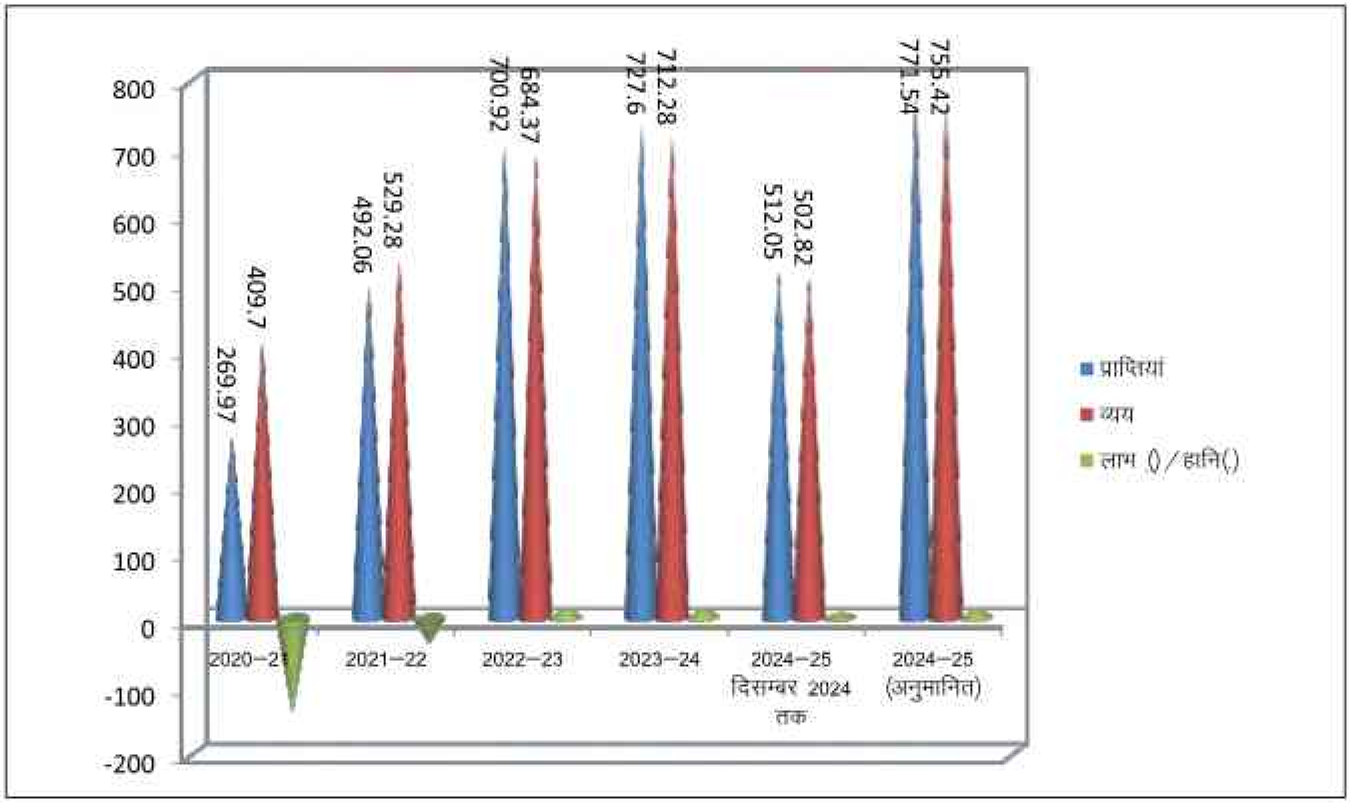

स्रोतः परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

10.2.3 – परिवहन निगम द्वारा संचालित योजनाएं:– परिवहन निगम विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों हेतु निम्न योजनायें संचालित करता है:–

i) **मासिक पास योजना:–** परिवहन निगम की बसों में दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों हेतु माह में 30 ट्रिप यात्राओं मासिक पास योजना वर्ष 2011 से लागू है। जारी किये गये पास की वैधता 30 दिन है। 2023–24 में 17546 तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2024 तक 19518 पास जारी किये गये जिनका वित्तीय वर्ष 2024–25 में 24500 होने का अनुमान है।

ii) **छात्राओं हेतु निःशुल्क यात्रा:–** परिवहन निगम की बसों में छात्राओं को अपने घर से विद्यालय तक आवागमन हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा 2013 में प्रारम्भ की गई। 2023–24 में 682042 छात्राओं को तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2024 तक 501260 छात्राओं को निःशुल्क सुविधा प्राप्त हुई।

iii) **रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को निःशुल्क यात्रा:–** महिलाओं को रक्षा बन्धन के अवसर पर निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा 2008 में प्रारम्भ की गई है। अगस्त, 2022 में 41500 महिलाओं को तथा चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त 2024 में 48763 महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त हुई।

iv) **दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा:–** निगम द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के व्यक्तियों को निगम की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा 2003 से संचालित है। 2023–24 में 282272 तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2024 तक 214309 विकलांग यात्रियों को निःशुल्क सुविधा प्राप्त हुई।

v) **वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा:–** निगम की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा की सुविधा वर्ष 2015 में प्रारम्भ की गई। वर्ष 2023–24 में **2310160** यात्रियों को तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2024 तक **1761038** यात्रियों को सुविधा प्राप्त हुई।

vi) **स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा दिवगंत हुये स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं एवं उनके प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकरियों को परिवहन निगम की साधारण बसों मे निःशुल्क यात्रा सुविधा:–** वर्ष 2023–24 में **8684** यात्रियों को सुविधा प्राप्त हुयी तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2024 तक 7284 यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

vii) **उत्तराखण्ड राज्य के आंदोलनकारियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा:–** वर्ष 2023–24 में 95023 तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2024 तक **72365** यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

viii) **मान्यताप्राप्त पत्रकारों को निःशुल्क यात्रा:–** वर्ष 2006 मे प्रारम्भ हुयी इस योजना के अन्तर्गत 2023–24 में 13623 तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2024 तक **9559** यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

10.2.4 आई0टी0 सैल में प्रस्तावित कार्यों का विवरण:–

i) जी0पी0एस0 (Global Positioning System)

उक्त सुविधा के अन्तर्गत निगम के वाहनों में जी0पी0एस0 युक्त उपकरण लगाये जायेगें, जिनके द्वारा निगम के वाहनों की Live Location को Track किया जा सकेगा एवं निगम के वाहनों को अनाधिकृत मार्गो पर संचालित होने से रोका जा सकेगा।

ii) इन्वैन्ट्री मैनेजमेंन्ट

उत्तराखण्ड परिवहन निगम के कार्यशालाओं मे उपलब्ध भण्डारो को Computerized किये जाने हेतु NIC, देहरादून के सहयोग से Inventory Management System Software Develop किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भण्डारो के समस्त कार्य Online Portal से सम्पादित किया जााना प्रस्तावित है, जिसके लिये मण्डल स्तर पर उक्त Software की Testing हेतु Team का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही उक्त Software Testing उपरान्त निगम को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

10.3 डाक संचार

1950 से अधिक वर्षों से डाक विभाग देश की रीढ है। इनसे देश के संचार और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने मे महत्वूपर्ण भूमिका निभाई है यह कई मायनों में भारतीय नागरिकों के जीवन को छूता है, मेल डिलीवर करना, लघु बचत योजनाओं के तहत जमा स्वीकार करना, डाक जीवन बीमा (PCI) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) के तहत जीवन बीमा कवर प्रदान करना और बिल जैसी रिटेल सेवाएँ प्रदान करना संग्रह, प्रपत्रों की ब्रिक्री, आदि कार्य करता है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत मजदूरी वितरण और वृद्धावस्था पेंशन भुगतान जैसे नागरिकों के लिए अन्य सेवाओं के निर्वहन में भारत सरकार के लिए एक एजेन्ट के रूप में कार्य करता है। डाक विभाग, अंतर्देशीय और अंर्तराष्ट्रीय दोनों तरह की डाक संभालता है।

तालिका 10.1
डाकघरों की कुल संख्या

वर्ग	शहरी	ग्रामीण	कुल
जी0पी0ओ0	01		01
प्रधान डाकघर	12		12
उपडाकघर	286	96	382
शाखा डाकघर	80	2261	2341
कुल	379	2357	2736

स्रोत: डाक संचार परिमंडल, उत्तराखण्ड।

तालिका 10.2
उत्तराखण्ड डाक परिमण्डल में बचत बैंक खातों की संख्या (31.12.2024 तक)

बचत खाते (SB)	1411892
आवर्ती जमा (RD)	1781168
मासिक आय योजना (MIS)	154503
सावधि जमा (TD)	474679
लोक भविष्य निधि (PPF)	52720
सुकन्या समृद्वि योजना (SSA)	564113
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)	30952
राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)	764479
किसान विकास पत्र (KVP)	481832
महिला सम्मान बचत पत्र (MSSC)	44692

स्रोत: डाक संचार परिमंडल, उत्तराखण्ड।

तालिका 10.3
वित्तीय सेवा

क0सं0	विवरण	दिसम्बर, 2024 तक
1	खोले गए पी0ओ0एस0बी0(पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक) खाते	440681
2	बंद हुए पी0ओ0एस0बी0 खाते	331193
3	Opened Net कुल पी0ओ0एस0बी0 खाते	109488
4	जारी किए गए बचत पत्र	45730

स्रोत: डाक संचार परिमंडल, उत्तराखण्ड।

तालिका 10.4
डाक जीवन बीमा(पी0एल0आई0) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर0पी0एल0आई0) में उपलब्धियाँ

क्र0सं0	दिसम्बर, 2024 तक	
	विवरण	डाक जीवन बीमा
1	नई पॉलिसियों की संख्या	5799
2	प्रीमियम से प्राप्त धनराशि (करोड़ रूपये में)	2.83
ग्रामीण डाक जीवन बीमा(आर0पी0एल0आई0)		
1	नई पॉलिसियों की संख्या	13192
2	प्रीमियम से प्राप्त धनराशि (करोड़ रूपये में)	03 -07

स्रोतः डाक संचार परिमंडल, उत्तराखण्ड।

तालिका 10.5
वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2024 तक प्राप्त शिकायतें व निपटान का विवरण

क0 सं0	शिकायतों का प्रकार	प्राप्त की संख्या	निस्तारण की संख्या
1	सीपीग्राम (Centalised Public Grievance Redress and Monitoring)	1514	1506
2	सीआरएम पोर्टल (Customer Relationship Management Portal)	17365	17220

स्रोतः डाक संचार परिमंडल, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड परिमण्डल में कुल 6 डाकघर पासपोर्ट सेवा है। अल्मोडा प्रधान डाकघर, रूडकी प्रधान डाकघर, नैनीताल प्रधान डाकघर, काठगोदाम उपडाकघर, रूद्रपुर मुख्य डाकघर, श्रीनगर उपडाकघर।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2024 तक परिमण्डल के डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से कुल 68385 पासपोर्ट आवेदनों का प्रसंस्करण किया गया।

गंगाजल परियोजना

गंगोत्री (उत्तराखण्ड में गंगा नदी के उद्गम) से गंगा नदी के पवित्र जल गंगाजल का संग्रह किया जा रहा है, जिसका निस्पंदन और बॉटलिंग दिनांक 01.01.2019 से उत्तकाशी मुख्य डाकघर में 250 मिलीलीटर की आकार की बोतलों में किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2024 तक गंगाजल की कुल 2690 बोतलें उत्तराखण्ड परिमण्डल के डाकघरों के माध्यम से वितरित की गयी।

तालिका 10.6
आधार पंजीकरण एवं अद्यतन केन्द्र (माह दिसम्बर, 2024 तक)

क्र0सं0	विवरण	संख्या
1	आधार पंजीकरण एवं अद्यतन केन्द्र	208
2	आधार पंजीकरण एवं अद्यतन किये गये	96630
3	आधार सेवाओं से प्राप्त कुल राजस्व (लाख रूपये में)	54-548

स्रोतः डाक संचार परिमंडल, उत्तराखण्ड।

जन सेवा केन्द्र (सीएससी):–

सीएससी के माध्यम से समस्त प्रकार की सेवायें जैसे बिजली का बिल,पानी का बिल, आदि आर सी टी सी बुकिंग,प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एवं मोबाइल / डिश टी0वी0 रिचार्ज प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2024 तक सीएससी लेनदेन से डाक विभाग उत्तराखण्ड परिमण्डल ने 71345 रूपये का राजस्व अर्जित किया।

यात्री आरक्षी तन्त्र (पी.आर.एस):–

उत्तराखण्ड परिमण्डल में कुल 10 पैसेन्जर रिजर्वेशन सिस्टम (पी.आर.एस) अल्मोड़ा (05), नैनीताल (02), पिथौरागढ़ (03) स्थापित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2024 तक 9456 टिकट बुक किये गये और 1.69 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया।

डाकघर निर्यात केन्द्र (डी.एन.के):–

वर्तमान में उत्तराखण्ड परिमण्डल में 19 डाकघर निर्यात केन्द्र स्थापित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2024 तक 6129 सामान बुक किये गये जिससे 65.46 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया है।

पार्सल पैकेजिंग यूनिट :–

पार्सल के सुरक्षित प्रेषण के लिये उत्तराखण्ड परिमण्डल में 36 पार्सल पैकेजिंग यूनिट की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2024 तक 2.78 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया है।

अध्याय–11
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन
Tourism and Civil Aviation

उत्तराखण्ड की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियां इस प्रकार की है कि राज्य में आय के अवसरों की तीव्रता से गति प्रदान करने के लिये तीव्र औद्योगिकरण एवं विनिर्माण सम्बन्धी गतिविधियों पर आवश्यकता से अधिक दबाव नहीं दिया जा सकता है। पर्यावरण के अनुरूप तथा राज्य में पर्यटन की दिशा में विकास की असीम सम्भावनाओं के मध्यनजर पर्यटन राज्य के आय में नये अवसरों को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, मोटल, पर्यटन वाहन, होम–स्टे, टूरिस्ट गाइड, पर्वतारोहण के संस्थान, प्रशिक्षक, साहसिक खेलों की परियोजनायें तथा तत्सम्बन्धी मानव संसाधनों का विकास आदि ऐसे क्षेत्र हैं, जिनसे न केवल अवसर प्राप्त हो सकते हैं वरन् पलायन जैसी गम्भीर समस्या को भी नियंत्रित किया जा सकता है। राज्य में प्रत्येक वर्ष 2.5 करोड़ देशी–विदेशी पर्यटक भ्रमण करने आते हैं। इससे राज्य की पर्यटन क्षमता का पता चलता है, स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने तथा रोजगार के नवीन अवसरों को सृजित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वीर चन्द्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना, होम–स्टे योजना जैसे विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

पर्यटन आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण दिन प्रतिदिन आर्थिकी का प्रमुख क्षेत्र बनता जा रहा है। राज्य में पर्यटन के विकास की अपार सम्भावना मौजूद होने के कारण राज्य सरकार द्वारा पर्यटन विकास पर अत्यधिक फोकस किया गया है। पर्यटन क्षेत्र राजस्व, रोजगार सृजन एवं रिवर्स माइग्रेसन के रूप में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है।

राज्य सरकार द्वारा व्यापक पर्यटन नीति 2023 लागू की गई है। विविधतापूर्ण पर्यटन स्थलों का विकास, स्वास्थ्य पर्यटन, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य में ऑल वेदर रोड का निर्माण, अधिक से अधिक रोड कनेक्टिविटी, मोबाईल कनेक्टिविटी के साथ–साथ पर्यटकों को बेहतरीन सुविधायें प्रदान करने हेतु होम–स्टे योजना पर विशेष बल दिया गया है। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड (यूटीडीबी) नये पर्यटन व्यवसायों की स्थापना हेतु कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करता है। उत्तराखण्ड राज्य धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। धार्मिक पर्यटन के अन्तर्गत चारधाम यात्रा, हेमकुण्ड साहिब यात्रा के साथ ही ''मानसखण्ड माला मिशन'', टिहरी फेस्टिविल आदि कार्यक्रमों को पर्यटन विभाग द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। राज्य में चार धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या वर्ष 2024 दिसम्बर तक 48.01 लाख हो गई है।

राज्य सरकार द्वारा ''होम–स्टे नीति'' साहसिक पर्यटन नीति, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के संचालन से स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार प्रदान किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विभिन्न पर्यटक स्थलों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। ''हिमालय दर्शन योजना'', विभिन्न शहरों को हवाई यातायात से जोड़ने, रोप–वे बनाने के साथ–साथ विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु निवेशकों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखण्ड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में एक प्रमुख केन्द्र बनाया जा रहा है।

राज्य गठन के उपरान्त 24 वर्ष की विकास यात्रा में पर्यटन के अन्तर्गत सराहनीय प्रगति हुई है, परन्तु फिर भी अनेक पर्यटक स्थल विकसित होने से छूट गये हैं। इन स्थलों को पर्याप्त महत्व दिया जाना आवश्यक है। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार सम्भावनायें हैं। राज्य में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर के स्मार्ट पर्यटन को बढावा दिया जाना चाहिये। होम–स्टे की ऑनलाइन बुकिगं तथा प्रत्येक जनपद में एक ''पर्यटन गांव'' विकसित करने के साथ ही स्थानीय उत्पादनों को बढावा देने हेतु नीति तैयार किये जाने की आवश्यकता है

उत्तराखण्ड हमेशा से ही देश–विदेश के पर्यटकों / यात्रियों को आकर्षित करता रहा है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ–गंगोत्री–यमुनोत्री तथा हेमकुण्ड–लोकपाल, नानकमत्ता, मीठा–रीठा साहिब एवं पिरान कलियर नामक विभिन्न धर्मो के पवित्र तीर्थ स्थलों युक्त इस प्रदेश में पर्यटन की प्रमुख विधा, तीर्थाटन प्राचीन काल से ही प्रभावी रही है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक, नैसर्गिक, साहसिक, वन्य–जन्तु, इको टूरिज्म, मनोरंजन (आमोद–प्रमोद) आदि अनेक विधाओं के लिये संसाधन उपलब्ध है। भारत के उत्तरी भू–भाग को हरा–भरा करने वाली पतित पावनी गंगा–यमुना के उद्‌गम स्थलों के इस प्रदेश की सांस्कृतिक परम्परा, अलौकिक / नैसर्गिक सौन्दर्य तथा शीतल व प्राणदायिनी शुद्ध जलवायु पर्यटकों को आर्कषित करने के लिये प्रमुख संसाधन है। पर्यटन विभाग राज्य में विविध एवं मनमोहक पर्यटन स्थलों के स्तत एवं सुनियोजित विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग स्थायी पर्यटन प्रथाओं, सामुदायिक जुडाव और प्रोद्यागिकी के एकीकरण के लिये प्रतिबद्ध है। राज्य में पर्यटन क्षेत्र की सफलता सरकार स्थानीय समुदाओं, निजी उद्यमियों के साथ ही यात्रियों/पर्यटको के सहयोगात्मक प्रयासो पर निर्भर है। राज्य की आर्थिकी में पर्यटन की महत्तवपूर्ण भूमिका है जिसे सभी हितधारको के सहयोग एवं प्रयासों से निश्चित रूप से बढाया जा सकता है।

चार्ट – 11.1

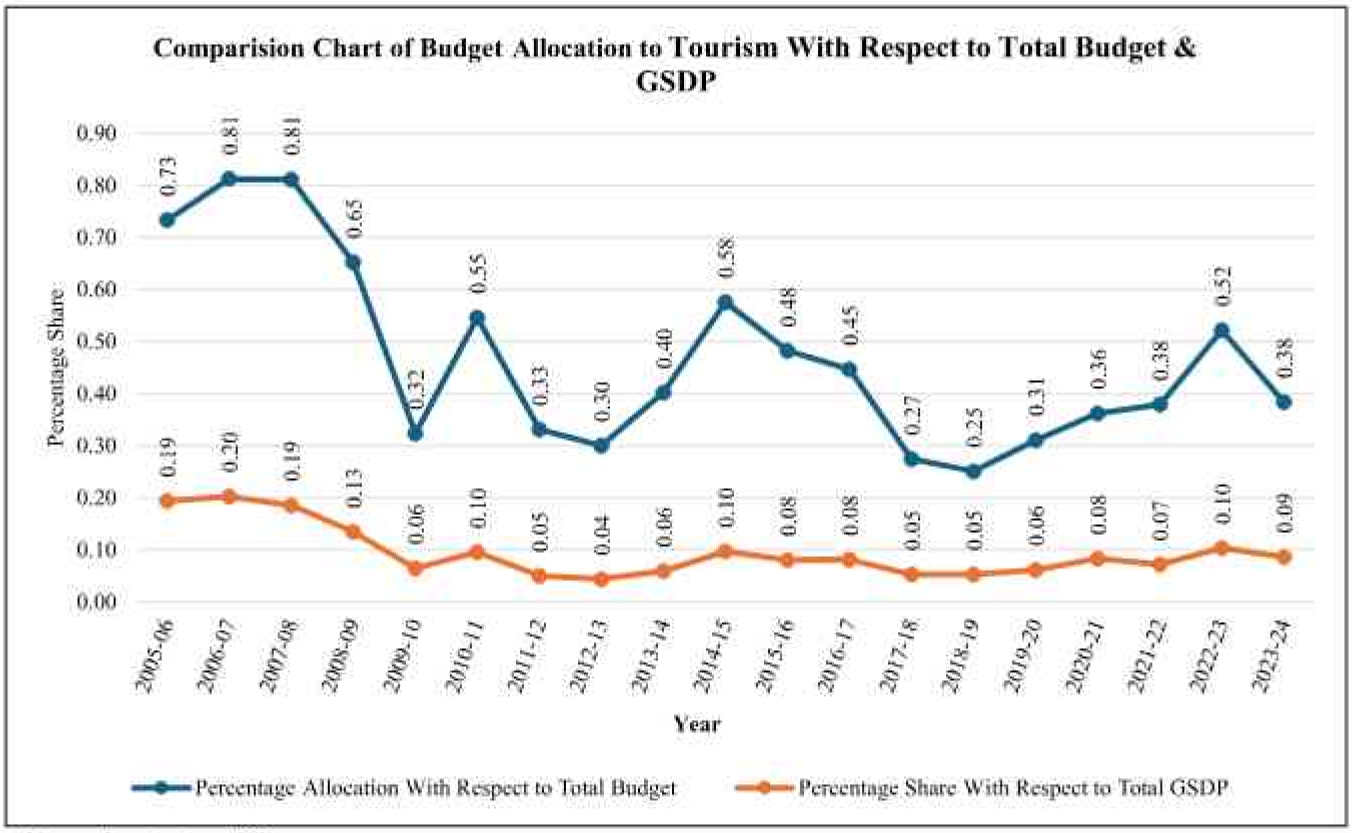

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

11.1 पर्यटन विभाग के बजट परिव्यय का कुल बजट एवं GSDP से प्रतिशतः– वर्ष 2005–06 में पर्यटन विभाग का बजट परिव्यय कुल बजट का 0. 73 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2023–24 में घटकर 0. 38 प्रतिशत है । GSDP में पर्यटन विभाग का योगदान वर्ष 2005–06 में 0.19 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2023–24 में घटकर 0.09 प्रतिशत है।

11.1.1 उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना–2024

पर्यटन नीति– 2023 के उद्देश्यों के साथ–साथ स्थानीय समुदाय को समानुपाती पर्यटन लाभ प्रदान किये जाने व पर्यटन गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी बढानें, आजीविका तथा रोजगार सृजन के लाभ का संतुलित वितरण किये जाने तथा वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने की परिकल्पना की गई है।

प्रदेश की भौगोलिक एवं आर्थिक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड़ सरकार द्वारा उत्तराखण्ड़ के मूल/स्थायी निवासियों के स्वरोजगार व उद्यमिता को बढ़ावा दिए जाने हेतु छोटे स्तर पर होम स्टे विकास योजना एवं वीर चन्द्रसिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का सफल संचालन किया जा रहा है, जिसमें अधिकतम 33 प्रतिशत अथवा 33 लाख की वित्तीय अनुदान का प्राविधान किया गया है, जिसमें अधिकतम 01 करोड़ तक की परियोजनाओं पर अधिकतम वित्तीय अनुदान ही प्राप्त किया जा सकता है।

प्रदेश के स्थायी उद्यमियों हेतु चिन्हित पर्यटन गतिविधियों/क्रियाकलापों में 01 करोड़ से 05 करोड़ तक के निवेश को बढावा दिए जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है। इस क्षेत्र के समावेशी विकास को केन्द्रित तरीके से

बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर सृजित करने एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के दृष्टिगत वर्तमान परिदृश्य और अनुमानित भविष्य के अनुरूप, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना–2024 प्रख्यापित की गयी है।

उद्देश्यः–

- स्थानीय निवासियों हेतु लघु पर्यटन इकाईयों की स्थापना और विकास को प्रोत्साहित करना तथा राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था में उनके विकास और योगदान को बढ़ावा देना।

- वित्तीय प्रोत्साहन और सहायता प्रदान कर स्थानीय निवेशकों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना तथा क्षेत्र में समावेशी विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ ही अनुकूल व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय निवेश को प्रोत्साहित करना।

- 01 करोड़ से 05 करोड़ लागत के अन्तर्गत चिन्हित पर्यटन गतिविधियों/क्रियाकलापों में उच्च गुणवत्ता और स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देना।

- राज्य में छोटे व मंझोलें पर्यटन व्यवसायियों को पर्यटन के क्षेत्र में अनुदान/वित्तीय प्रोत्साहन का अधिकतम लाभ प्रदान कर नये निवेश हेतु प्रेरित कर देश विदेश के निवेशकों के अनुकूल वातावरण प्रदान करना।

- संसाधनों और सहायता के केंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित कर समावेशी पर्यटन विकास के माध्यम से उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों तक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे में वृद्धि से लाभ सुनिश्चित करना।

- यह योजना उत्तराखंड पर्यटन नीति–2023 के उद्देश्यों के साथ संरेखित है, जो राज्य के समग्र आर्थिक विकास और कल्याण में योगदान देने वाली पर्यटन संबंधी पहलों को बढ़ावा देने और समर्थन करने का प्रयास करती है।

पात्रता

- योजना उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों/उद्यमियों के लिए है।

- निवेश की सीमा ₹ 1 करोड़ से ₹ 5 करोड़ के बीच होनी चाहिए।

- चिन्हित पर्यटन गतिविधियों या परियोजनाओं में निवेश करने वाले उद्यमी ही पात्र होंगे।

- इकाई की स्थापना के लिए पूर्ण स्वामित्व/पट्टे की भूमि आवश्यक है।

क्षेत्रीय वर्गीकरण/श्रेणीकरण

श्रेणी–ए (A)

- हरिद्वार, नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर जिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र

- देहरादून जिले के ऐसे क्षेत्र जो श्रेणी 'बी' में सम्मिलित नहीं हैं

- अल्मोड़ा जिले की रानीखेत तथा अल्मोड़ा तहसील

श्रेणी–बी (B)

- अल्मोड़ा जिले का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी 'ए' में सम्मिलित नहीं हैं)
- देहरादून जिले की कालसी, चकराता तथा त्यूनी तहसील
- बागेश्वर जिले की गरूड़ तहसील
- पौड़ी गढ़वाल जिले की कोटद्वार, लेंसडाउन, यमकेश्वर तथा धूमाकोट तहसील
- टिहरी गढ़वाल जिले की धनोल्टी तथा नरेन्द्रनगर तहसील

श्रेणी–सी (C)

- उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग तथा पिथौरागढ़ जिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र
- बागेश्वर, पौडी गढवाल तथा टिहरी गढ़वाल जिलों का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी 'बी' में सम्मिलित नहीं है)

वित्तीय प्रोत्साहन का विस्तृत विवरण

- स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति
- नई इकाइयों की स्थापना पर 100% स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति।

पूंजीगत प्रोत्साहन / अनुदान

- ₹ 1 करोड़ के निवेश पर न्यूनतम ₹ 33 लाख अनुदान।
- ₹ 1 करोड़ से ऊपर अतिरिक्त निवेश पर:–
- श्रेणी ए में 15% अतिरिक्त अनुदान (कुल अधिकतम ₹ 80 लाख)
- श्रेणी बी में 25% अतिरिक्त अनुदान (कुल अधिकतम ₹ 1.20 करोड़)
- श्रेणी सी में 30% अतिरिक्त अनुदान (कुल अधिकतम ₹ 1.50 करोड़)

ब्याज सहायता

- 3 वर्षों तक सावधि ऋण पर ब्याज सहायता:–
- श्रेणी ए–3% (अधिकतम ₹ 4 लाख प्रति वर्ष)
- श्रेणी बी–3% (अधिकतम ₹ 5 लाख प्रति वर्ष)
- श्रेणी सी–3% (अधिकतम ₹ 6 लाख प्रति वर्ष)

11.1.2 मानसखण्ड मंदिर माला मिशन

मानसखण्ड का उल्लेख स्कन्दपुराण में वर्तमान कुमाऊँ क्षेत्र से है। प्राचीन साहित्य (पुराणों) में भौगोलिक दृष्टि से हिमालय को पाँच खण्डों में विभाजित किया गया है– नेपाल खंड, मानसखण्ड (कूर्मांचल / कुमाऊँ), केदारखण्ड (गढवाल), जालंधर खंड (हिमाचल), एवं कश्मीर खंड। प्राचीन मानसखण्ड साहित्य के अनुसार मानसखण्ड का विस्तार पर्वतीय सीमा ''नंद पर्वत''(नंदा देवी गिरि पिण्ड का पूर्वी शिखर नंदाकोट) से आरंभ होकर काकगिरि (पश्चिमी नेपाल का एक पर्वत) तक है। इस क्षेत्र में अनेकों प्राचीन मंदिर एवं गुफाएं अवस्थित है। राज्य सरकार गढवाल मण्डल में होने वाली चारधाम यात्रा की भांति मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के रूप में कुमाऊँ क्षेत्र के पौराणिक मंदिरो का चिन्हिकरण करते हुये इनमें आवश्यकतानुसार अवस्थापना सुविधाएं विकसित करना चाहती है। इससे देशी विदेशी पर्यटको को क्षेत्र की समृद्ध पौराणिक एवं सांस्कृतिक विरासत से परिचित भी कराया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागो एवं जिलाधिकारियों के सहयोग से इस मिशन के लिए कुल–48 मंदिरों को चिन्हित किया गया है। जिसमें से प्रथम चरण के 16 मंदिरों के अवस्थापना विकास कार्य करवाये जाने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा कन्सलटेंट के माध्यम से Concept Plan तैयार करवायें गये है।

योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में चयनित 16 मंदिरों मे से अब तक 9 मंदिरों जिनमें जागेश्वर धाम, मां नंदा देवी मंदिर, पाताल भुवनेश्वर, हाटकालिका मंदिर, बैजनाथ मंदिर, नैना देवी, कैंचीधाम, पाताल रूद्रेश्वर, मां बाराही देवी देवीधुरा, शामिल है के लिये कुल ₹ 106.72 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के रूप में ₹ 43.93 करोड़ निर्गत कर दिये गये हैं। इस योजना के अवस्थापना कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। जिनके स्तर पर निर्माण कार्य सम्बन्धी कार्यवाही विभिन्न चरणों में गतिमान है

मानसखण्ड मंदिरों का देशभर में प्रचार–प्रसार किये जाने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा IRCTC के साथ मिलकर **''भारत गौरव मानसखण्ड एक्सप्रेस''** ट्रेन का संचालन पुणे, बैंगलोर, मुम्बई, चेन्नई, से करवाया गया जिसमें कुल 1170 यात्रियों/श्रद्धालुओं द्वारा मानसखण्ड मंदिरों सहित ही कुमाऊँ क्षेत्र के अन्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करवाया गया। आगे भी इस ट्रेन का संचालन देश के अन्य बडे शहरों से किया जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

11.1.3 चारधाम यात्रा–2024

- चारधाम यात्रा–2024 के अन्तर्गत बद्रीनाथ में 14.35 लाख, केदारनाथ में 16.52 लाख, गंगोत्री में 8.15 लाख, यमुनोत्री में 7.15 लाख एवं हेमकुण्ड साहिब में 1.84 लाख कुल 48.01 लाख श्रद्धालुओं/यात्रियों द्वारा वर्ष 2024 में चारधाम तथा श्री हेमकुण्ड साहिब के दर्शन किये गये है।
- चारधाम यात्रा के सम्बन्ध में IIM रोहतक द्वारा चारधाम धारक क्षमता के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया उक्त अध्ययन के आधार पर चारधाम की धारक क्षमता का निम्नानुसार आंकलन किया गया है:–

तालिका 11·1

क्र0 सं0	चारधाम	धारक क्षमता
01	श्री केदारनाथ	17894
02	श्री बद्रीनाथ	15088
03	गंगोत्री धाम	9016
04	यमुनोत्री धाम	7871

स्रोत: पयर्टन विभाग उत्तराखण्ड

11.1.4 डेस्टीनेशन बेस्ड प्लानिंगः–

- जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत श्री जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान तैयार किया गया, मास्टर प्लान में प्रस्तावित ₹ एक सौ तैंतीस करोड पिच्चसी लाख (₹ 133.85 करोड़) के कार्यो के सापेक्ष ₹ इक्कीस करोड़ चौतीस लाख (₹ 21.34 करोड़) की वित्तीय स्वीकृति अब तक जारी की गयी है।

- विद्युतीकरण योजना (Illumination Project) के अंतर्गत तहसील ऋषिकेश के पर्यटक स्थलों भवनों/आश्रमों/घाटों/मंदिरों/सेतुओं आदि स्थलों पर Illumination के कार्य ₹ 1116.61 लाख की लागत से करवाये गये। ठंडी सडक, नैनीताल में Facade Illumination के कार्य हेतु ₹ 765.37 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके सापेक्ष प्रथम चरण में 100.00 लाख की लागत से Illumination कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही जागेश्वर धाम मास्टर प्लान के अंतर्गत धाम का विद्युतीकरण कार्य भी करवाये जा रहें हैं।

- ₹ 285 करोड़ की लागत से देहरादून (पुरूकल गांव) से मसूरी (लाईब्रेरी चौक) रोप–वे परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, वर्ष 2026 तक उक्त योजना पूर्ण होना अनुमानित है।

- टूलीगाड से पूर्णागिरी तथा जानकीचट्टी (खरसाली) से यमुनोत्री मंदिर तक रोप–वे परियोजना पी0पी0पी0 मोड में विकसित किये जाने हेतु निजी निवेशक का चयन करते हुए रोपवे निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

- वर्ष 2024 में माह अप्रैल से अक्टूबर तक कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश एवं ओम पर्वत के दर्शन हेतु हैली दर्शन योजना संचालित की गयी। जिसमें 144 यात्रियों को दर्शन करवाये गये।

- वाईब्रेंट विलेज योजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी के जांदुग गॉव जो कि 1962 के भारत–चीन युद्व के समय खाली करवाया गया था, गॉव में जीर्ण–शीर्ण भवनों को पुर्ननिर्मित करते हुए होम–स्टे के रूप में विकसित करने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत जांदुग गांव के 06 भवनों का जीर्णोद्वार कार्य प्रांरम्भ कर दिया गया है।

- श्री केदारनाथ एवं बद्रीनाथ की तर्ज पर महासू देवता हनोल का मास्टर प्लान तैयार करवाया जा रहा है।

11.1.5 ट्रैवल एण्ड ट्रेडः–

1–मानव संसाधन का विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकासः–

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें जनपद नैनीताल एवं पिथौरागढ़ में डैस्टिनेशन टूरिस्ट गाइड कार्यक्रम आयोजित किया गया। धारचूला (पिथौरागढ़) एवं बिनसर (अल्मोड़ा में होमस्टे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। SIDBI के Tourism Cluster Intervention कार्यक्रम के अन्तर्गत चार धाम यात्रा मार्ग पर जोशीमठ (चमोली) गुप्तकाशी, ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग), हर्षिल, नौगांव (उत्तरकाशी) में होमस्टे प्रशिक्षण आयोजित किया गया एवं ऋषिकेश तथा हरिद्वार में कैब ड्राईवर प्रशिक्षण

कार्यक्रम आयोजित किया गया।

2—जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान करना:—

विभाग द्वारा प्रशिक्षित गाइडों का रोजगार हेतु तैयार करने के लिये उनकी Upskilling करने हेतु Tour Manager, Naturalist, Street Food Vendor,Astro Tourism, Homestay Training का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। गाइडों के कार्यों को रिकॉर्ड करने हेतु Web Portal/Mobile Application विकसित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

3—प्रशिक्षण संस्थानों को सूचीबद्ध करना :—

विभाग द्वारा विभाग द्वारा गढ़वाल विश्वविद्यालय एवं INTACH संस्थान को टूरिस्ट डैस्टिनेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सूचीबद्ध किया गया था। RPL के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु THSC एवं UTDB के मध्य मार्च 2023 में 4000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया था। होम—स्टे प्रशिक्षण हेतु गढ़वाल मण्डल हेतु SIHM नई टिहरी एवं कुमाऊं मण्डल हेतु IHM देहरादून, SIHM रामनगर को सूचीबद्ध किया गया है।

4—प्रशिक्षण आवश्यकता की पहचान:—

राज्य के अन्तर्गत पर्यटन गतिविधियों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की पहचान कर स्थानीय व्यक्तियों को सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण से जोड़ा जायेगा। वाइब्रेन्ट विलेज कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले गांवों के युवाओं को भी विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

5— पर्यटन / Hospitality क्षेत्र में Skilled मानव संसाधन:—

पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार किये जाने हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हुनर से रोजगार तक एवं स्किल टैस्टिंग एण्ड सर्टिफिकेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन की कार्यवाही गतिमान है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा होम—स्टे संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, टूरिस्ट डैस्टिनेशन गाइड प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पर्यटक स्थलों के ढाबा संचालकों, गेस्टहाउस कीपर आदि को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या:—

वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न संस्थानों के माध्यम से कराये जा रहे हैं:—
विभाग द्वारा वर्ष 2024—25 में आयोजित प्रशिक्षण

तालिका 11.2

क्र0सं0	प्रशिक्षण का नाम	संस्थान का नाम
1	टूरिस्ट डैस्टिनेशन गाइड, प्रशिक्षण।	Tourism and Hospitality Skill Council(THSC)
2	होम—स्टे प्रशिक्षण	आइ0एच0एम0 देहरादून, एस0आई0एच0एम0 नई टिहरी एवं एम0आई0एच0एम0, रामनगर।
3	हुनर से रोजगार, स्किल टैस्टिंग एण्ड सर्टिफिकेशन्स एवं Entrepreneurship कार्यक्रम	आई0एच0एम0 देहरादून, जी0आई0एच0एम0 अल्मोड़ा, जी0आई0एच0एम0 देहरादून एवं एस0आई0एच0एम0 नई टिहरी

स्रोत: पयर्टन विभाग उत्तराखण्ड

तालिका 11.3

कार्यक्रमों में वर्तमान तक प्रशिक्षुओं की संख्या निम्नवत है:–

क्र0सं0	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	कुल प्रशिक्षणार्थी
1	हुनर से रोजगार तक	100
2	स्किल टैस्टिंग एण्ड सर्टिफिकेशन्स	100
3	डैस्टिनेशन टूरिस्ट गाइड कार्यक्रम	336
4	हैरिटेज टुअर गाइड	999
5	नेचर गाइड	550
6	ढाबा संचालक, गेस्ट हाउसकीपर, कोमी शेफ आदि प्रशिक्षण	1976
7	टैक्सी संचालक (टुअर ड्राईवर)	500
8	होम–स्टे प्रशिक्षण	554
9	मेक माई ट्रिप के माध्यम से प्रशिक्षण	142
10	SIDBI ds Tourism Cluster Intervention कार्यक्रम के अन्तर्गत चार धाम यात्रा मार्ग पर होमस्टे प्रशिक्षण	153
11	SIDBI ds Tourism Cluster Intervention कार्यक्रम के अन्तर्गत कैब ड्राईवर प्रशिक्षण	251
12	Airbnb द्वारा चौकोड़ी, पिथौरागढ़ में होमस्टे संचालकों को प्रशिक्षण	46
13	Airbnb द्वारा कौसानी, अल्मोड़ा में होमस्टे संचालकों को प्रशिक्षण	40
	योग	**5747**

स्रोत: पयर्टन विभाग उत्तराखण्ड

होम स्टे पंजीकरण हेतु OTA (Online Travel Aggregator) Platform विकसित किया गया है जिसमे आतिथि तक कुल 690 OTA द्वारा पंजीकरण किया गया है जिनका जनपदवार विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका 11.4

क्र0सं0	जनपद का नाम	पंजीकृत होमस्टे की संख्या
01	अल्मोड़ा	78
02	बागेश्वर	09
03	चंपावत	23
04	पिथौरागढ	12
05	उधमसिहंनगर	02
06	नैनीताल	164

07	देहरादून	58
08	पौडी	99
09	चमोली	66
10	उत्तरकाशी	64
11	टिहरी	65
12	रुद्रप्रयाग	17
13	हरिद्वार	33
	योग	**690**

स्रोत: पयर्टन विभाग उत्तराखण्ड

11.2 साहसिक पर्यटन गतिविधियां

1–वर्ल्ड एक्रो चैम्पियनशिप एवं एयरो शो टिहरीः–वर्ष 2024–25 मे दिनांक 19.12.2024 से 23.12.2024 तक पर्यटन विभाग के सौजन्य से जनपद टिहरी में वर्ल्ड एक्रो चैम्पियनशिप एवं एयरो शो का भव्य आयोजन किया गया। उक्त आयोजन में विश्व स्तर की एक्रो प्रतियोगिता में 24 विदेशी पायलट, भारतीय स्तर की एक्रो प्रतियोगिता में 12 स्वदेशी पायलट एवं भारतीय स्तर की एस0आई0वी0 प्रतियोगिता में 76 स्वदेशी पायलटों ने प्रतिभाग किया एवं फ्लाईट विंग सूट जम्पस, एक्रोबैटिक्स, डी–बैग शो का प्रदर्शन किया गया। वर्ल्ड एक्रो चैम्पियनशिप एवं एयरो शो में पर्यटन विभाग द्वारा ₹ 1.5 करोड़ (₹ एक करोड पचास लाख) की धनराशि एवं पैराग्लाईडिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये ₹ 1.41 करोड़ (₹ एक करोड़ इकतालीस लाख) की धनराशि व्यय की गई है। टिहरी स्थानीय युवाओं को निशुल्क पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण के अन्तर्गत गाइडेड कोर्स, एस0आई0वी0, क्रॉस कन्ट्री और थरमलिंग कराया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य जून 2025 तक 160 से अधिक कुशल पैराग्लाडर को सशक्त बनाने का है। यह प्रयास न केवल साहसिक खेलों को बढावा देता है, बल्कि हमारे स्थानीय युवाओं के लिये रोजगार के अमूल्य अवसर भी पैदा कर रहा है। झील की आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि और अद्वितीय स्थलाकृति से समृद्व टिहरी दुनिया की पैराग्लाइडिंग राजधानी बनने के लिये तैयार है। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद उत्तराखण्ड राज्य को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढावा देने की अपनी प्रतिबद्वता मे दृढ रहा है प्राकृतिक सुंदरता रोमांच और सांस्कृतिक विरासत का सामजस्य मिश्रण है। टिहरी एक्रो फेस्टिवल इस प्रतिबद्वता का एक प्रमाण है।

2– आदि कैलाश, ओम पर्वत तथा कैलाश दर्शन हैली यात्राः–

आदि कैलाश जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, कुमाऊँ हिमालय में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। हिन्दू पौराणिक कथाओं में इसका आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्त्व है और इस क्षेत्र में भगवान शिव के निवास एवं तप स्थल कैलाश पर्वत की सांसारिक अभिव्यक्ति माना जाता है। आदि कैलाश हिन्दुओं के लिए बहुत धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व रखना है, मान्यता है, कि इस पवित्र पर्वत की तीर्थयात्रा करने से आध्यात्मिक शान्ति स्वतः ही मिलती है। आदि कैलाश पर्वत को तिब्बत में अवस्थित कैलाश

पर्वत की प्रतिकृति माना जाता है और मान्यता है कि यहां भगवान शिव का मूल निवास है। आदि कैलाश के आस पास स्थित ऊँ पर्वत हिन्दुओं का पूजनीय एक और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। पर्वत का नाम पवित्र हिन्दू प्रतीत ''ओम'' (ऊँ) से लिया गया है, जो प्राकृतिक रूप से पूर्व से पर्वत की ढलानों पर बर्फ जमा होने से बनता है। आदि कैलाश के दर्शन जौलिंगकांग तथा ऊँ पर्वत के दर्शन नावीढांग से किये जाते है।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रथम चरण में दिनांक 08 अप्रैल से 15 मई 2024 तक कुल 77 यात्रियों एवं दिनांक 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक कुल 34 यात्रियों को आदि कैलाश एवं ओम पर्वत के दर्शन हैलीकॉप्टर के माध्यम से कराये गये, जिसमें कुल 111 (77 + 34) यात्रियों के पक्ष में प्रति यात्री @₹ 26,000.00 की दर से कुल ₹ 28,86,000.00 का राजकीय अनुदान दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी के जखोल को Best Tourism Village का पुरस्कार, जनपद बागेश्वर के सूपी को Best Adventure Village पुरस्कार, जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम गुंजी एवं जनपद उत्तरकाशी के हर्षिल को Best Vibrant Village पुरस्कार प्रदान किया गया।

3. "महिला व्हाइट वॉटर रिवर राफ्टिंग गाईड प्रशिक्षण शिविरः—

ऋषिकेश में माह अप्रैल 2024 में महिलाओं को राफ्टिंग व्यवस्था से जोड़े जाने हेतु प्रथम बार 05 दिवसीय ''महिला व्हाइट वॉटर रिवर राफ्टिंग गाईड प्रशिक्षण कराया गया तथा 03 माह की इंटर्नशिप करायी गयी। उक्त प्रशिक्षण शिविर में 16 महिला प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिस पर पर्यटन विभाग द्वारा ₹ 4.41 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है।

4— भीमताल झील में लॉइफ सेविंग टैक्निक एवं बेसिक क्याकिंगः—

साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत राफ्टिंग गतिविधियों के दौरान रेस्क्यू को प्रबलता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत 18 प्रशिक्षणार्थियों को लॉइफ सेविंग टैक्निक एवं बेसिक क्याकिंग का प्रशिक्षण कराया गया। उक्त प्रशिक्षण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा ₹ 3. 00 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है।

5— ऋषिकेश में लॉइफ सेविंग टैक्निक एवं व्हाइट वॉटर क्याकिंगः—

साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत राफ्टिंग गतिविधियों के दौरान रेस्क्यू को प्रबलता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत 14 प्रशिक्षणार्थियों को लॉइफ सेविंग टैक्निक एवं बेसिक क्याकिंग का प्रशिक्षण कराया गया। उक्त प्रशिक्षण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा ₹ 14. 00 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है।

11.1.7 पर्यटन स्वरोजगार योजनाएं

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली अंतर्गत जनपद वार लाभार्थियों का विवरण

उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासियों एवं मुख्य रूप से युवावर्ग को पर्यटन सेक्टर में अधिकाधिक स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड की प्रथम स्वरोजगार योजना **"वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना"** का प्रारम्भ 01 जून, 2002 को किया गया। यह योजना राज्य के मूल/स्थाई निवासियों को स्वरोजगार प्रदान कर स्वावलम्बी बनाने की दिशा में भी उत्तराखण्ड पर्यटन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हो रही है।

चार्ट 11.2
वीर चन्द्र सिंह गढवाली स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जनपद वार लाभार्थियों का विवरण

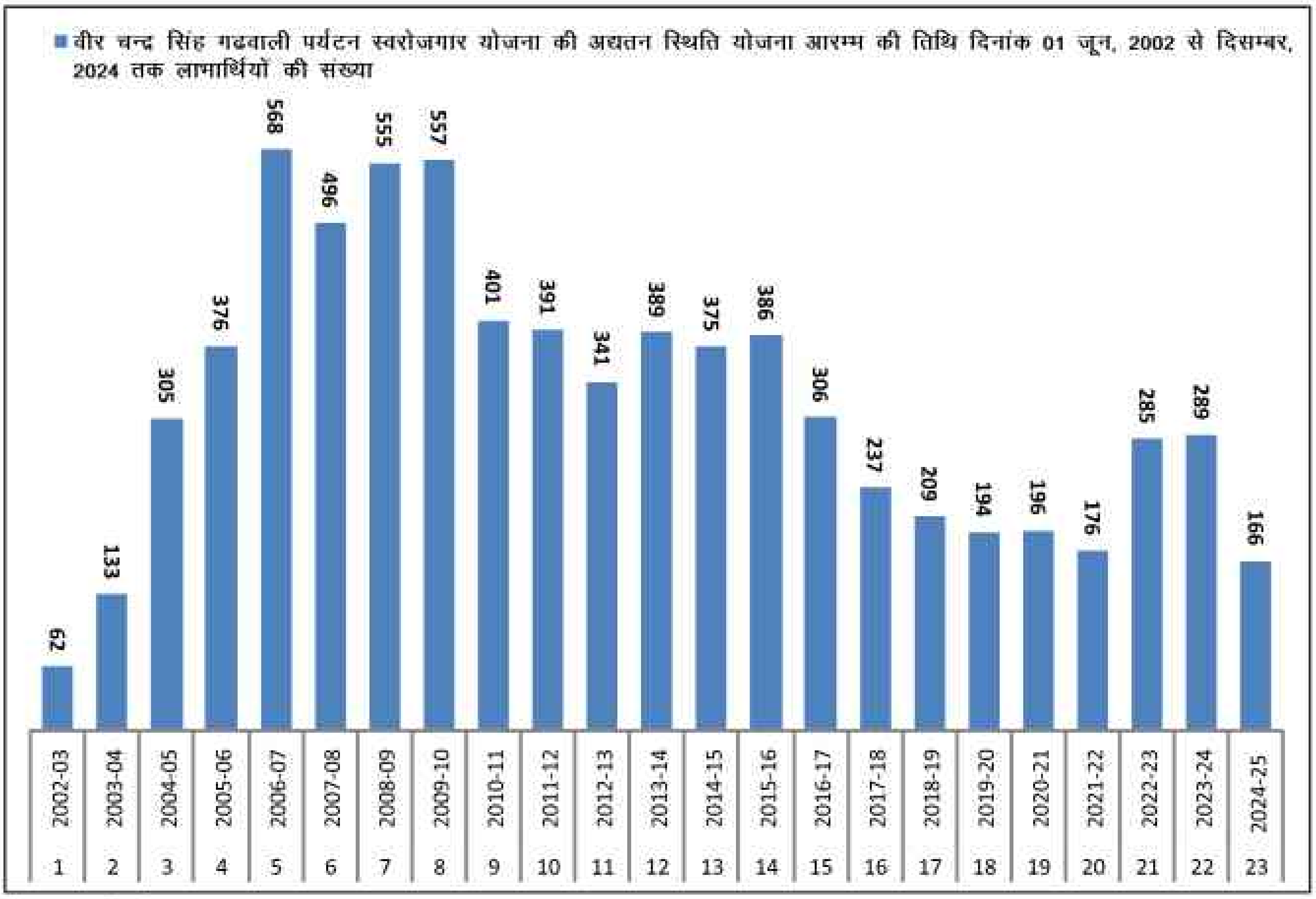

स्रोतः पयर्टन विभाग उत्तराखण्ड

11.2.1 दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे योजना)

ग्रामीण पर्यटन विकसित करने तथा पलायन को रोकने के उद्देश्य से ''दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना'' प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के निवासियों को होमस्टे निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 15.00 लाख का पूंजी अनुदान तथाा प्रथम 05 वर्षो तक अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 1.50 लाख की दर से ब्याज अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है। योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2024 तक कुल 969 व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

तालिका 11.6
दीन दयाल उपाध्याय अंतर्गत जनपद वार लाभार्थियों का विवरण

Deen Dayal Upadhyay Grah Awas (Home -Stay) Scheme								
S.No.	District	Year wise Beneficiaries						
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 upto (December 2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	10

1	Almora	4	8	7	16	19	32	13
2	Bageshwar	0	3	5	8	8	15	3
3	Champawat	1	5	3	1	14	15	8
4	Chamoli	2	17	27	14	35	32	17
5	Dehradun	2	5	2	6	6	9	2
6	Haridwar	0	0	0	0	2	4	1
7	Nainital	3	10	14	23	30	29	23
8	Pauri	1	8	15	10	18	19	8
9	Pithoragarh	3	11	23	14	13	9	8
10	Rudraprayag	0	10	2	9	18	15	4
11	Teh ri	4	18	14	13	32	29	29
12	Udham Singh Nagar	0	1	0	0	1	1	0
13	Uttarkashi	5	9	16	17	26	26	7
	Total	**25**	**105**	**128**	**131**	**222**	**235**	**123**

स्रोतः पयर्टन विभाग उत्तराखण्ड

तालिका 11.7

अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होमस्टे)''पंजीकरण योजना''

Atithi Uttarakhand Grah Awas Home -Stay Registration Scheme										
		Year wise Beneficiaries								
S.No	**District**	**2015 - 16**	**2016 - 17**	**2017 - 18**	**2018 - 19**	**2019 - 20**	**2020 - 21**	**2021 - 22**	**2023 - 24**	**2024 -25 upto (December 2024)**
1	**Almora**	0	0	0	27	20	16	36	41	55
2	**Bageshwar**	0	15	8	13	28	45	16	14	26
3	**Champawat**	0	0	0	2	6	75	44	17	16
4	**Chamoli**	0	0	0	125	195	95	42	55	70
5	**Dehradun**	0	7	59	86	108	78	58	137	48
6	**Haridwar**	2	1	2	8	5	6	7	32	6
7	**Nainital**	5	14	12	67	89	117	105	175	145
8	**Pauri**	0	0	4	16	62	26	60	30	18
9	**Pithoragarh**	0	0	0	141	177	193	70	61	16

10	**Rudraprayag**	0	0	0	57	66	38	42	23	12
11	**Tehri**	0	14	21	23	46	40	45	102	123
12	**Udham Singh Nagar**	0	0	0	0	2	1	0	1	0
13	**Uttarkashi**	0	0	0	0	13	43	88	88	40
	Total	**7**	**51**	**106**	**565**	**817**	**773**	**613**	**776**	**575**

स्रोत: पयर्टन विभाग उत्तराखण्ड

11.2.2 ''ट्रेकिंग ट्रक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना''

वर्ष 2020 में ''ट्रेकिंग ट्रक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना'' प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर मुख्य शहर से दूर ऐसे स्थानों पर विकसित किये जायेंगे जहां से अधिकतम ट्रैकिंग मार्ग गुजरते हो। इन सेंटरों से गुजरने वाले ट्रैकिंग मार्गो पर स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर से 02 किमी0 की परिधि व ट्रैकिंग मार्ग पर होमस्टे बनाये जाने पर आकर्षक राज्य सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

तालिका 11.8

ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर होम–स्टे अनुदान योजना की प्रगति मार्च–2024

क्र0स0	जनपद	लक्ष्य	प्रगति	ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर का नाम	ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर के अन्तर्गत आच्छादित गांव का नाम
1	बागेश्वर	**25**	**15**	1. खाती	1. दऊ 2. जैकुनी 3.खाती गांव।
				2. गोगिना	1. कीमू गांव 2.गोगिना 3. नामिक।
2	चमोली	**50**	**50**	1. लोहाजंग	1. लोहाजंग 2. मुन्दोली, 3. वॉक 4. कुलिंग 5. दिदिना 6. वाण 7. वलाण 8. हिमनी 9. घेस।
				2. भविष्य बद्री	1. तपोवन 2.रिंगी 3.सुभाई 4.सलधान
				3. बडगिण्डा	1.बडगिण्डा 2.देवग्राम 3.गीरा 4.डुमक 5. ल्यारी 6.थैणा 7. भैठा 8. भर्की
3	पिथौरागढ़	**50**	**19**	1. सिरमोली सुरिंग	1. सरमोली 2.सुरिंग 3.रिलकोट 4.मरतोली 5. मिलम
				2. दर	1.दर 2.नांगलिंग 3.सौन 4.डाकर 5. दुग्तू।
				3.पांगू	1. पांगू 2. बूंदी 3.गुंजी 4.कुटी 5.सोसा 6. नाबी
4	टिहरी	**50**	**71**	1. घुत्तू	1. घूत्तू 2.रानीडाल 3.ऋषिधार 4.सत्याला 5.मल्ला 6 .मेहरगांव 7 .रीचक 8 .गंगी 9 . पुजार गांव 10 सेंदवाल गांव 11.चैत्वाण गांव 12 . जोगीयाडा 13 . भाटगांव 14 . अगवा गांव 15 .मल्लागवणा 16 . तल्लागवणा 17. मेण्डू 18. सिन्धववाल
				2. बुढ़ाकेदार	1.बुढ़ाकेदार 2.कोटी 3.पिंस्वाड
				3. पंतवाड़ी	1.पन्तवाडी 2.बाण्डासारी 3. तेवा 4. औंतड़ 5. देवलसारी 6. सेन्दुल 7.नागथात

5	उत्तरकाशी	**50**	**45**	1. अगोड़ा	1. अगोडा 2भंकुली 3.गजोली 4.दासड़ा 5. नौगांव 6.दन्दालका 7. निसणी 8.बाडिया 9. पिण्डकी
				2 हर्षिल	1 हर्षिल 2 बगोरी 3धराली 4मुखवा
				3. सांकरी	1. कोट गांव 2.सांकरी 3.सौड़ 4.गंगाड 5. ओसला 6. सिदरी
				4. रैथल	1.रैथल 2. नटीण 3. बन्द्रणी 4. द्वारी 5. क्यार्क 6.बार्सू
6	रूद्रप्रयाग	**25**	**0**	1. सारी	1. दिलमी 2. दैड़ा 3.मस्तूरा 4. सारी
				2. अक्तोली भौंसार	1. रांसी 2. गौण्डार
		250	**200**	**17**	**102**

स्रोत: पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड

वर्तमान में 06 जनपदों में ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर होम–स्टे अनुदान योजना लागू है, जिसमें 17 ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर एवं 102 गावं अधिसूचित है योजना आरम्भ से लेकर माह दिसम्बर 2024 तक 553 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

11.3 नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण

तालिका 11.10

क्र.सं.	उपलब्धियॉ
1.	आर0सी0एस0 योजना के अंतर्गत 13 हैलीपोर्ट में से 08 हैलीपोर्ट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है। 1. चिन्यालीसौड (उत्तरका शी) 2. गौचर (चमोली) 3.कोटी कॉलोनी (टिहरी गढ़वाल) 4. श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) 5. फलसीमा टाट्रिक(अल्मोड़ा) 6.हल्द्वानी (नैनीताल) 7. सहस्त्रधारा(देहरादून) 8. मुन्स्यारी (पिथौरागढ़)
2.	उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न नए स्थानों पर हैलीपैड बनाये जाने हेतु सर्वे का कार्य उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। जिसमें 17 स्थानों पर भूमि हैलीपैड निर्माण हेतु उपयुक्त पायी गयी है तथा हैलीपैड निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही गतिमान है।
3.	उत्तराखण्ड राज्य में आर0सी0एस0 उड़ान योजना के अंतर्गत के कुल 22 रूटों पर हवाई सेवा गतिमान थी, जिसका विवरण निम्न है:– 1-Dehradun – Tehri 2-Tehri – Srinagar 3-Srinagar – Gauchar 4-Gauchar – Srinagar 5-Srinagar – Tehri 6-Tehri – Dehradun 7- Dehradun – Srinagar 8-Srinagar – Dehradun 9-Dehradun – Gauchar 10-Gauchar – Dehradun 11-Sahastradhara – Gauchar 12-Gauchar – Sahastradhara 13-Sahastradhara – Chinyalisaur 14-Chinyalisaur – Sahastradhara 15-Dehradun – Haldwani/Pantnagar 16-Haldwan- Pantnagar/Dehradun 17-Pantnagar – Pithoragarh 18-Pithoragarh – Pantnagarh 19-Pantnagar – Almora 20-Almora – Pantnagar 21-Almora-Pithoragarh 22-Pithoragarh-Almora आर0सी0एस0 उड़ान योजना के अंतर्गत उपरोक्त 22 गतिमान रूटों में से वर्तमान में निम्नलिखित 08 रूटों पर

	(हेलीकाप्टर) सेवा संचालित हो रही है:– 1-Dehradun-Almora 2-Almora-Dehradun 3-Haldwani-Munsyari 4-Munsyari-Haldwani 5-Haldwani-Pithoragarh 6-Pithoragarh-Haldwani 7-Haldwani-Champawat 8-Champawat-Haldwani उपरोक्त के अतिरिक्त 22 गतिमान रूटों में से निम्नलिखित 04 रूटों पर (वायुयान) सेवा सप्ताह में 06 दिन (सोमवार से शनिवार) संचालित हो रहीं है:– 1-Dehradun- Naini Saini 2-Naini Saini-Dehrarun 3-Naini Saini-Pantnagar 4-Pantnagar-Naini Saini
4.	उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड हवाई सम्पर्क योजना (UACS) के अंतर्गत निम्नलिखित रूटों पर वायुयान सेवा सप्ताह में 03 दिन (मंगलवार,वृहस्पतिवार,शनिवार) संचालित हो रही है:– 1-Delhi-Pithoragarh 2-Pithoragarh-Delhi उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड हवाई सम्पर्क योजना (UACS) के अंतर्गत निम्नलिखित रूटों पर हेलीकाप्टर सेवा सप्ताह में 06 दिन (सोमवार से शनिवार) संचालित हो रही है:– 1-Sahasrtdhara-Joshiyara
	2-Joshiyara- Sahastradhara 3- Sahastradhara -Gaucher 4-Gaucher- Sahastradhara
5.	उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड हवाई सम्पर्क योजना (UACS) के अंतर्गत निम्नलिखित रूटों पर हवाई सेवा प्रस्तावित है:– 1-Jollygtrant-Gaucher 2-Gaucher-Jollygrant 3-Jollygrant-Chinyalisaur 4-Chinyalisaur-Jollygrant 5-Dehradun-Pauri 6-Pauri-Dehradun
6	उत्तराखण्ड राज्य में क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (RCS)के अंतर्गत निम्नलिखित रूटों पर हवाई सेवा प्रस्तावित है:– 1-Dehradun -Bageshwar 2-Bageshwar-Dehradun 3-Dehradun- Nainital 4-Nainital-Dehradun

स्रोत:– नागरिक उड्डयान विभाग उत्तराखण्ड

दीनदयाल उपाध्याय गृह–आवास योजना

अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2023–24 हेतु राज्य में स्थापित 625 गृह–आवासों में से 608 का सर्वेक्षण कराया गया । जनपद नैनीताल में 06, उत्तरकाशी व रूद्रप्रयाग में 03–03, चमोली व पौड़ी गढ़वाल में 02–02 तथा टिहरी गढ़वाल में 01 गृह–आवास, इस प्रकार कुल 17 गृह–आवासों के आंकड़े, ''असहयोगी'' व ''दिये गये पते पर उपलब्ध नहीं'' श्रेणियों के अन्तर्गत पाये जाने के कारण, संग्रहीत नहीं किये जा सके। प्राप्त आंकड़ों पर आधारित निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः–

- सर्वेक्षित गृह–आवासों में 488 (80-26%) के स्वामी (Owner) पुरूष व 120 (19-74%) की स्वामिनी (Owner) महिलाएं रही, जिनमें से सर्वाधिक 269 (44-24%) के स्वामी (Owner) 35–50 वर्ष के आयुवर्ग के पाये गये।

- 32-57% सर्वेक्षित गृह–आवासों के स्वामी के परिवार की आय का मुख्य स्रोत होम–स्टे संचालन पाया गया।

- सर्वाधिक 38-41% सर्वेक्षित गृह–आवासों के स्वामियों द्वारा गृह–आवास हेतु ₹15 लाख से ₹ 30 लाख ऋण(सब्सिडी सहित) लिये जाने की पुष्टि की गई।

- 440 (72-37%) सर्वेक्षित गृह–आवासों का निर्माण पूर्ण हो गया है। 81 सर्वेक्षित गृह–आवासों का निर्माण तो पूर्ण हो गया है, किन्तु सब्सिडी अप्राप्त है।

- 34-55% निर्मित गृह–आवासों में स्थानीय उत्पादों के विक्रय की दुकान की सुविधा है।

- निर्मित गृह–आवासों में कुल 1139 एकल कक्ष तथा 1224 युगल कक्ष निर्मित है। इसके अतिरिक्त कुल 161 बड़े कक्ष (Halls) है।

- राज्य में योजनान्तर्गत निर्मित गृह–आवासों के कुल 2164 कक्षों में वर्तमान में 4254 व्यक्तियों के ठहरने की क्षमता है। निर्माणाधीन 168 गृह–आवासों के पूर्ण होने के पश्चात् व्यक्तियों के ठहरने की क्षमता में वृद्धि होकर 5879 होने का अनुमान है।

- 98-86% निर्मित गृह–आवासों के शौचालयों और स्नानघरों में नल से पानी की सुविधा उपलब्ध है। 93-64% निर्मित गृह–आवासों में पेयजल की आपूर्ति पाईप लाईन द्वारा है।

- 87-68% निर्मित गृह–आवासों में होम–स्टे के रसोई घर से पर्यटकों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

- 95-89% निर्मित गृह–आवासों के स्वामियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया कि गृह–आवास के संचालन से उनके परिवार के जीवन स्तर (Living Standard) में सुधार हुआ है।

• राज्य के निर्मित समस्त गृह–आवासों के संचालन से ₹ 344.54 लाख की सकल मूल्य वृद्धि का आंकलन किया गया है।

• योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु गृह–आवास स्वामियों / सर्वेक्षणकर्ताओं से प्राप्त बहुमूल्य सुझाव निम्न प्रकार हैः–

✓ योजना के अन्तर्गत स्थापित / पंजीकृत होम–स्टे के प्रचार प्रसार एवं आरक्षण / बुकिंग आदि की व्यवस्था हेतु राज्य स्तरीय शासकीय वेबसाइट विकसित की जाय तो आगन्तुकों को सुविधा रहेगी तथा लेन–देन ऑनलाईन होने की दशा में पारदर्शिता भी बनी रहेगी।

✓ पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर होम–स्टे की जी0पी0एस0 लोकेशन सहित उसके आस–पास के दर्शनीय स्थलों की दूरी, महत्व आदि की जानकारी दर्शाये जाने से पर्यटकों को धार्मिक, दशनीय एवं पौराणिक स्थलों के भ्रमण में लगने वाले समय का अभिज्ञान हो सकेगा।

✓ होम–स्टे स्वामियों और उनके कार्मिकों को होटल व्यवसाय के आतिथ्य सत्कार गतिविधियों के संचालनार्थ समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है, जो कि विभिन्न विभागों यथा पर्यटन, महिला कल्याण, खेल एवं कौशल विकास आदि के माध्यम से कराया जा सकता है।

✓ योजना की उपयोगिता को देखते हुए यह कहना समुचित रहेगा कि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर एवं बी0पी0एल0 परिवारों को भी दीनदयाल उपाध्याय गृह–आवास (Home Stay) के लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। साथ ही सीमान्त गाँवों में होम स्टे का बढ़ावा देने के लिए अनुदान की धनराशि को बढ़ाना श्रेयस्कर हो सकता है।

✓ दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास योजना (Home-Stay) के अन्तर्गत वित्त पोषित किये गये होम स्टे की जानकारी हेतु प्रत्येक होम–स्टे के सामने शासकीय व्यय पर बोर्ड लगाकर उसमें योजना का नाम, वित्तीय वर्ष, लागत, उद्यमी अशंदान, स्वीकृत ऋण, अनुदान सहायता, बैंक का नाम आदि का विवरण लिखने से योजना का समुचित प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जा सकता है।

✓ स्थानीय उत्पादों, व्यंजनों, साहित्य आदि के विषय में पर्यटकों को जानकारी देने हेतु होम–स्टे स्वामियों को होम–स्टे में Showcase लगाने के लिए प्रेरित किया जाना होगा।

अध्याय–12
बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त
Banking and Institutional Finance

भूमिका

उत्तराखण्ड राज्य में भारतीय स्टेट बैंक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड का संयोजक बैंक है। उल्लेखनीय है कि राज्य में 03 बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गयी है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक 09 पर्वतीय जिलों, यथाः उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में, पंजाब नेशनल बैंक को 02 मैदानी जिलों–देहरादून एवं हरिद्वार एवं बैंक ऑफ बड़ौदा को 02 मैदानी जिलों–नैनीताल एवं उधम सिंह नगर का कार्य आवंटित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दिनांक 30.06.2022 से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा आंकड़ों का संकलन Revamp Portal (SLBC India Portal) के माध्यम से किया जा रहा है। एस.एल.बी.सी. के समस्त सदस्य बैंक प्रत्येक त्रैमास के अंत में MIS/CBS से आंकड़े संकलित कर सीधे Revamp Portal में upload करते हैं, तदुपरांत आंकड़ों का संकलन system generated आंकड़ों द्वारा किया जाता है।

12.1 वर्ष 2024–25 मे 30 सितम्बर 2024 तक राज्य में कुल 2,572 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है जिनमें से 47.12 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों, 23.72 अर्द्धशहरी क्षेत्रों तथा 29.16 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। वर्तमान में 1212 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 610 शाखाएं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 750 शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। राज्य में 30.09.2024 तक क्षेत्रवार शाखाओं की संख्या एवं प्रतिशत निम्न ग्राफ–12.1 में दर्शायी गयी है–

GRAPH - A

Total Number of Branches in Uttarakhand

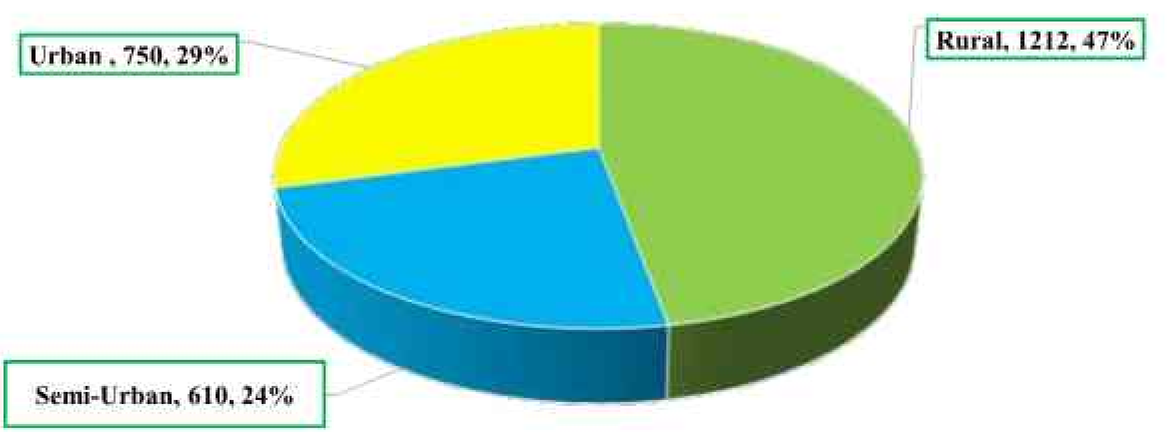

स्रोतः SLBC

12.2 जिलेवार बैंक शाखाओं के प्रसार के संदर्भ में देहरादून जिले में सबसे अधिक 623 बैंक शाखाएं तथा रुद्रप्रयाग में सबसे कम 55 बैंक शाखाएं हैं। राज्य में 30.09.2024 तक बैंकवार एवं जिलावार शाखाओं की संख्या निम्न तालिका–12.1 एवं GRAPH - B में दर्शाया गया है–

तालिका–12.1

UTTARAKHAND

DISTRICT WISE BRANCH NETWORK AS ON 30.09.2024

SR.	Name of District	Rural	Semi-Urban	Urban	Total
1	DEHRADUN	170	95	368	633
2	U S NAGAR	128	123	101	352
3	HARIDWAR	87	62	164	313
4	NAINITAL	128	57	96	281
5	PAURI GARHWAL	138	69	1	208
6	ALMORA	103	51	1	155
7	TEHRI GARHWAL	107	34	12	153
8	PITHORAGARH	81	32	3	116
9	CHAMOLI	65	40	0	105
10	UTTARKASHI	49	27	1	77
11	CHAMPAWAT	49	17	3	69
12	RUDRAPRAYAG	52	3	0	55
13	BAGESHWAR	55	0	0	55
UTTARAKHAND		**1212**	**610**	**750**	**2572**

स्रोत: SLBC

GRAPH - B

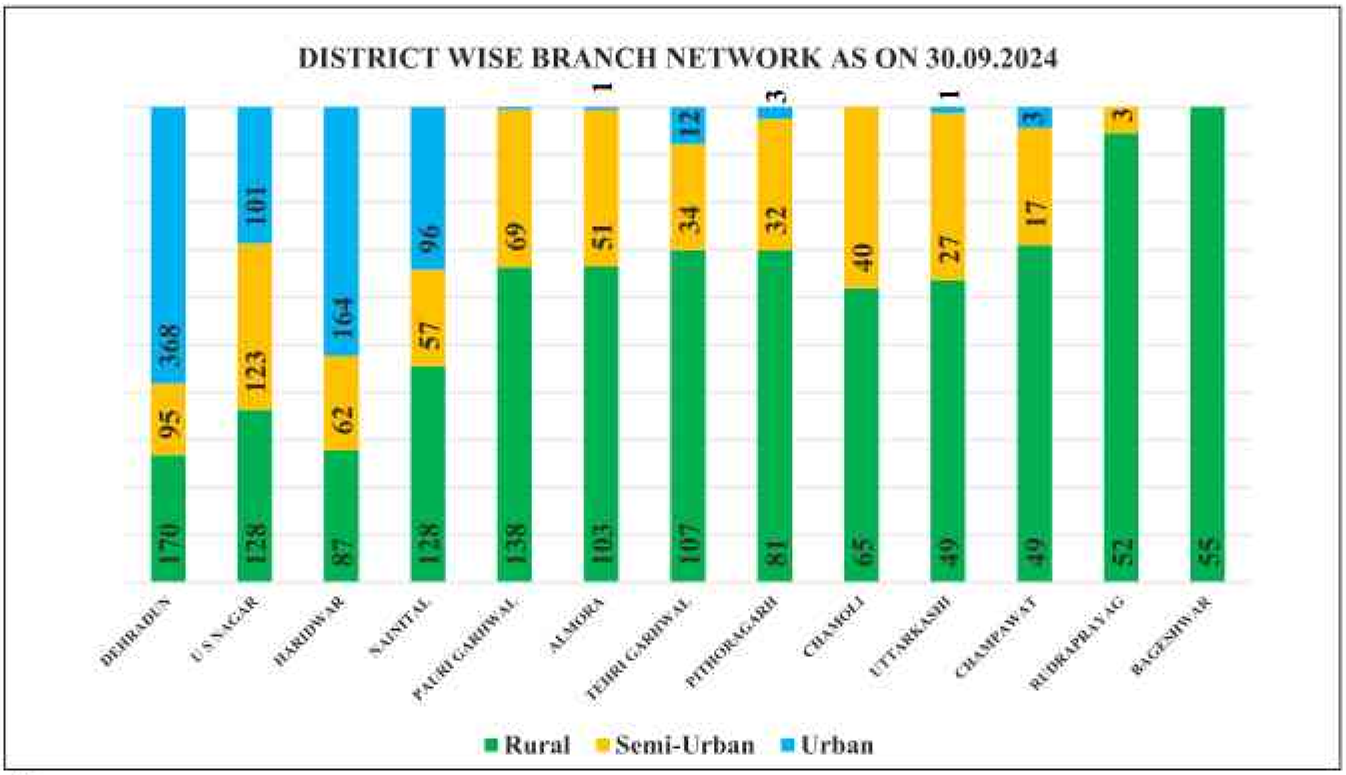

स्रोत: SLBC

12.3 30 सितम्बर 2024 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल 1417 शाखाओं का नेटवर्क है। एस.बी.आई की सबसे ज्यादा 445, पी.एन.बी. की 297 और बैंक ऑफ बड़ोदा की 134 शाखाएं हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का 490 शाखाओं का नेटवर्क हैं। शेष शाखायें अन्य बैंकों से सम्बन्धित है। राज्य में 30.09.2024 तक बैंकवार शाखाओं की संख्या निम्न तालिका–12.2 में दी गयी है–

तालिका–12.2

BANK WISE BRANCH NETWORK OF UTTARAKHAND AS ON 30.09.2024

SR.	Name of Bank	Rural	Semi-Urban	Urban	Total	Previous Qty Total
1	STATE BANK OF INDIA	278	65	102	445	445
2	PUNJAB NATIONAL BANK	154	61	82	297	297
3	BANK OF BARODA	52	29	53	134	134
	Total Lead Banks	**484**	**155**	**237**	**876**	**876**
4	UNION BANK OF INDIA	39	35	37	111	111
5	CANARA BANK	53	28	53	134	134
6	CENTRAL BANK OF INDIA	8	13	20	41	41
7	PUNJAB AND SIND BANK	16	12	16	44	44
8	UCO BANK	19	24	14	57	57
9	INDIAN OVERSEAS BANK	21	11	16	48	46
10	BANK OF INDIA	12	16	10	38	37
11	INDIAN BANK	10	18	22	50	50
12	BANK OF MAHARASHTRA	0	7	11	18	18
	Total Non-Lead Banks	**178**	**164**	**199**	**541**	**538**
	Total N. Banks (A + B)	**662**	**319**	**436**	**1417**	**1414**
13	UTTARAKHAND G.B	219	41	30	290	290
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	1	0	0	1	1
	Total R.R.B.	**220**	**41**	**30**	**291**	**291**
15	CO-OPERATIVE BANK	180	95	60	335	337
	Total Cooperative	**180**	**95**	**60**	**335**	**337**
	Total (C+D+E)	**1062**	**455**	**526**	**2043**	**2042**
16	THE NAINITAL BANK LTD	53	25	21	99	99
17	AXIS BANK	13	20	40	73	70
18	ICICI BANK	26	16	6	48	48
19	IDBI BANK	10	13	8	31	31
20	HDFC BANK	29	31	54	114	108
21	J & K BANK	0	0	3	3	3
22	FEDERAL BANK	0	0	2	2	2
23	INDUSIND BANK	4	7	15	26	26

24	SOUTH INDIAN BANK	0	0	1	1	1
25	KARNATAKA BANK	0	0	4	4	4
26	YES BANK	3	3	8	14	14
27	KOTAK MAHINDRA BANK	0	3	11	14	14
28	BANDHAN BANK	8	26	15	49	49
29	IDFC FIRST BANK	0	0	11	11	11
30	RBL BANK	0	0	1	1	1
	Total Private Bank	**146**	**144**	**200**	**490**	**481**
31	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	0	1	5	6	6
32	UTKARSH SMALL FIN. BANK	4	10	12	26	24
33	JANA SMALL FIN. BANK	0	0	2	2	2
34	SHIVALIK SMALL FINANCE BANK	0	0	3	3	3
35	EQUITAS SMALL FIN. BANK	0	0	2	2	2
	SMALL FINANCE BANK	**4**	**11**	**24**	**39**	**37**
	Total All Bank	**1212**	**610**	**750**	**2572**	**2560**

स्रोत: SLBC

12.4 वर्ष 2024–25 मे 30 सितम्बर 2024 तक राज्य में कुल 2630 ए०टी०एम० का नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है। 47.15 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों, 27.26 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों तथा 25.59 प्रतिशत अर्द्धशहरी क्षेत्रों के साथ राज्य में ए०टी०एम० की सुविधा का निरन्तर विस्तार किया जा रहा है। राज्य में 30.09.2024 तक ए०टी०एम० सुविधा का क्षेत्रवार विवरण निम्न तालिका–12.3 में दर्शाया गया है–

तालिका–12.3
UTTARAKHAND
BANK WISE ATM NETWORK AS ON 30.09.2024

SR.	Name of Bank	Rural	Semi-Urban	Urban	Total
1	STATE BANK OF INDIA	265	204	310	779
2	PUNJAB NATIONAL BANK	158	113	191	462
3	BANK OF BARODA	57	44	94	195
	Total Lead Banks	**480**	**361**	**595**	**1436**
4	UNION BANK OF INDIA	39	28	53	120
5	CANARA BANK	48	24	35	107
6	CENTRAL BANK OF INDIA	2	10	13	25
7	PUNJAB AND SIND BANK	10	11	11	32
8	UCO BANK	11	22	10	43
9	INDIAN OVERSEAS BANK	10	6	16	32
10	BANK OF INDIA	5	6	11	22
11	INDIAN BANK	2	9	15	26
12	BANK OF MAHARASHTRA	0	6	11	17
	Total Non -Lead Banks	**127**	**122**	**175**	**424**

	Total N. Banks (A + B)	**607**	**483**	**770**	**1860**
13	UTTARAKHAND G.B	6	5	0	11
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	0	0	0	0
	Total R.R.B.	**6**	**5**	**0**	**11**
15	CO -OPERATIVE BANK	34	33	46	113
	Total Cooperative	**34**	**33**	**46**	**113**
	Total (C+D+E)	**647**	**521**	**816**	**1984**
16	THE NAINITAL BANK LTD	0	0	0	0
17	AXIS BANK	20	41	79	140
18	ICICI BANK	7	20	87	114
19	IDBI BANK	11	18	22	51
20	HDFC BANK	27	53	152	232
21	J & K BANK	0	0	3	3
22	FEDERAL BANK	0	0	1	1
23	INDUSIND BANK	3	6	20	29
24	SOUTH INDIAN BANK	0	0	1	1
25	KARNATAKA BANK	0	0	5	5
26	YES BANK	0	4	12	16
27	KOTAK MAHINDRA BANK	0	1	13	14
28	BANDHAN BANK	0	1	5	6
29	IDFC FIRST BANK	0	0	10	10
30	RBL BANK	0	0	1	1
	Total Private Bank	**68**	**144**	**411**	**623**
31	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	1	1	4	6
32	UTKARSH SMALL FIN. BANK	1	7	7	15
33	JANA SMALL FIN. BANK	0	0	1	1
34	SHIVALIK SMALL FINANCE BANK	0	0	0	0
35	EQUITAS SMALL FIN. BANK	0	0	1	1
	SMALL FINANCE BANK	**2**	**8**	**13**	**23**
	Total All Bank	**717**	**673**	**1240**	**2630**

स्रोतः SLBC

12..5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) अर्थात् उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक को एस.बी.आई. बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया है, जिसमें 30 सितम्बर 2024 तक कुल 290 शाखाओं का नेटवर्क है। सहकारी बैंक का 335 शाखाओं का नेटवर्क हैं। जनपद स्तरीय सहकारी बैंकों का रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत को छोड़कर, शेष 10 जनपदों में मुख्यालय है तथा राज्य स्तरीय बैक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग को छोड़कर, शेष 09 जनपदों में मुख्यालय कार्यरत है। उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक की समस्त शाखाएं पूर्णतः सी.बी.एस. प्रणाली पर कार्यरत हैं। उत्तराखण्ड सहकारी बैंक सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाईनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है, जिसके द्वारा बैंक के खाता धारक देश के किसी भी स्थान पर विद्यमान सभी प्रमुख बैंकों के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं। बैंक के खाता धारक ए0टी0एम0, एन0ई0एफ0टी0, आर0टी0जी0 एस0, रूपे कार्ड, आदि के माध्यम से कहीं भी धनराशि का हस्तांतरण कर सकते हैं।

12.6 तालिका–12.4 से स्पष्ट है कि शाखा के आधार पर जनपद देहरादून,उधमसिहं नगर एवं हरिद्वार में सबसे अधिक बैंकिग आच्छादित हुआ है तथा जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत में सबसे कम बैंकिग आच्छादित हुआ है। जबकि ऋण–जमा अनुपात सबसे अधिक जनपद ऊधमसिंह नगर, चम्पावत तथा हरिद्वार में है। सबसे कम ऋण–जमा अनुपात बागेश्वर, पौड़ी एवं अल्मोड़ा में हैं।

तालिका–12.4

उत्तराखण्ड में जनपदवार बैंकों का ऋण: जमा अनुपात

30-Sep-2024 **No. in Actual and Amount in Crore**

SR.	Name of District	Deposits	Adavances	CD Ratio
1	ALMORA	8566.61	2318.87	27.07
2	BAGESHWAR	2595.62	626.00	24.12
3	CHAMOLI	5308.34	2344.14	44.16
4	CHAMPAWAT	3091.61	2838.23	91.80
5	DEHRADUN	95195.52	39522.53	41.52
6	HARIDWAR	30781.90	20911.18	67.93
7	NAINITAL	26584.36	14194.06	53.39
8	PAURI GARHWAL	12418.67	3345.87	26.94
9	PITHORAGARH	6320.81	2089.65	33.06
10	RUDRA PRAYAG	3079.71	873.17	28.35
11	TEHRI GARHWAL	7837.67	2592.44	33.08
12	UDAM SINGH NAGAR	22408.09	24563.49	109.62
13	UTTAR KASHI	3186.20	1596.32	50.10
TOTAL ALL DISTT		**227375.11**	**117815.95**	**51.82**
RIDF			**3276.15**	
TOTAL (ALL DISTT + RIDF)		**227375.11**	**121092.10**	**53.26**

स्रोत: SLBC

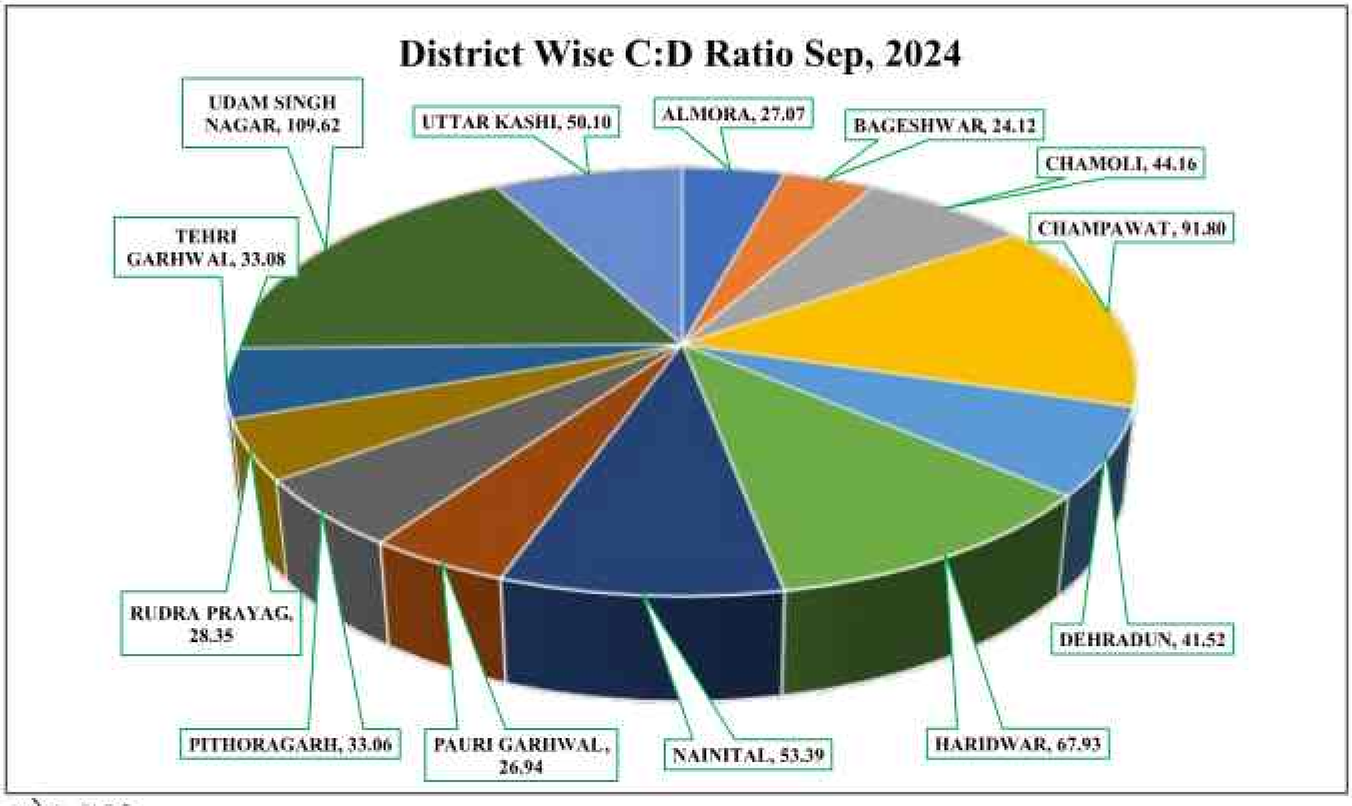

स्रोत: SLBC

12.7 30 सितम्बर 2024 तक राज्य के बैंकों ने आर. बी.आई. द्वारा निर्धारित 6 राष्ट्रीय मानकों की तुलना में 3 राष्ट्रीय मानकों, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम, कमजोर वर्ग ऋण तथा महिला ऋण को अर्जित किया है। वर्तमान में बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र जैसे कृषि, एम.एस.एम.ई., शिक्षा ऋण, आवास ऋण, लघु ऋण आदि गतिविधियों को करने के लिए कुल ₹54192 करोड़ राशि का वितरण किया गया, जोकि कुल ऋण का 46.00 प्रतिशत है। यह प्रतिशत प्राथमिक ऋण के 40 प्रतिशत लक्ष्य स्तर से अधिक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30 सितम्बर 2024 तक प्राथमिक क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में ₹6272 करोड़ अधिक है, जोकि 13.08 प्रतिशत है।

12.8 बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के कुल ऋण में से 13.55 प्रतिशत कृषि अग्रिम राशि का भाग है। 26. 28 प्रतिशत ऋण सूक्ष्म लघु उद्यम में तथा 19.51 प्रतिशत अन्य क्षेत्र में ऋण दिया गया है। बैंको द्वारा कुल ऋण में से कमजोर वर्गो तथा महिलाओं को क्रमशः 12.73 प्रतिशत तथा 13.79 प्रतिशत अग्रिम वितरण किया गया है जोकि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत है। 30 सितम्बर 2024 तक ऋण–जमा अनुपात 52.35 प्रतिशत रहा। ऋण वितरण की स्थिति नीचे तालिका–12.5 में दर्शायी गई है:–

तालिका–12.5

राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क्र. सं.	क्षेत्र	अग्रिम प्रतिशत 30.09.2023	अग्रिम प्रतिशत 30.09.2024	राष्ट्रीय मानक प्रतिशत
1	प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	49.31	46.00	40
1.1	कृषि ऋण	13.96	13.55	18
1.2	**सूक्ष्म लघु उद्यम ऋण**	24.83	26.28	
1.3	**अन्य क्षेत्र**	21.35	19.51	
2	गैर प्राथमिक क्षेत्र	50.68	54.00	
3	कुलअग्रिम			
4	कमजोर वर्ग ऋण	13.35	12.73	10
5	महिला ऋण	13.84	13.79	5
6	डी0आई0आर0 ऋण	0.01	0.01	1
7	जमा एवं अग्रिम अनुपात	55.74	52.35	60
8	अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति ऋण (पी.एस.सी.)			
9	अल्पसंख्यक ऋण (पी.एस.सी.)			

स्रोत: SLBC

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

12.9 राज्य के सामाजार्थिक विकास हेतु वित्तीय समावेश का होना अत्यन्त आवश्यक है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय समावेशीय योजनाएं संचालित की जा रही है जिनकी FI Plan portal के अनुसार वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है–

(क) प्रधानमंत्री जन–धन योजना (PMJDY) : बैंको द्वारा इस योजना के आरम्भ 28.08.2014 से लेकर 30 सितम्बर 2024 तक 36.26 लाख खाते खोले गये है, जिसमें से 3.18 लाख शून्य शेष खाते हैं, 24.38 लाख खाता धारकों को रुपे (Rupay) डेबिट कार्ड जारी किये गये है तथा 29.06 लाख खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया है। बैंकवार एवं जिलावार स्थिति तालिका संख्या 12.6 A एवं 12.6 B में दर्शायी गयी है:–

तालिका–12.6 A

UTTARAKHAND

District Wise Progress under PMJDY AS ON 30.09.2024

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	Name of District	Rural	Urban	Male	Female	Total	Zero Balance A/c	Deposits held in the A/c	Rupay Card Issued	Rupay Card Activated	Aadhaar Seeded
1	RUDRA PRAYAG	52971	0	22507	30409	52971	3149	56.03	29325	22978	39133
2	BAGESHWAR	55982	149	23411	32572	56131	5047	47.32	29477	32756	44066
3	PITHORAGARH	84409	8401	44465	51203	95706	7990	70.28	42359	35584	78783
4	DEHRADUN	225999	277087	249692	268338	518300	58313	419.39	381711	342243	386025
5	CHAMOLI	67350	11898	37665	43410	81113	4262	81.09	57006	26528	58259
6	PAURI GARHWAL	122338	15024	63610	80390	144056	11347	135.8	75007	47714	114933
7	ALMORA	120725	10937	54231	80521	134939	7384	149.63	86197	38941	107011
8	HARIDWAR	376128	542216	502732	469000	971849	96071	460.63	734365	393810	783584
9	CHAMPAWAT	57741	8653	29489	39422	68978	5626	62.64	38588	27959	57076
10	NAINITAL	180045	120869	135748	175601	311486	22060	298.78	175713	106258	253198
11	TEHRI GARHWAL	132646	6259	58984	80668	139698	7022	134.73	81263	77894	112148
12	UDAM SINGH NAGAR	406783	437223	468348	482551	951076	84637	497.37	631466	349590	804464
13	UTTAR KASHI	88130	10555	44932	55257	100207	6056	77.14	75891	39004	68275
		1971247	1449271	1735814	1889342	3626510	318964	2490.83	2438368	1541259	2906955

स्रोत: SLBC

तालिका–12.6 B

UTTARAKHAND

Bank Wise Total Progress under PMJDY AS ON 30.09.2024

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	Name of Bank	Rural	Urban	Male	Female	Total	Zero Balance A/c	Deposits held in the A/c	Rupay Card Issued	Rupay Card Activated	Aadhaar Seeded
1	STATE BANK OF INDIA	377468	353066	348593	381566	730534	20161	443.16	655938	70961	495958
2	PUNJAB NATIONAL BANK	335541	372864	348349	360023	708405	90350	444.98	747367	376033	588287
3	BANK OF BARODA	210194	266218	328103	341526	669760	26095	593.82	466033	84020	589673
	Total Lead Banks	**923203**	**992148**	**1025045**	**1083115**	**2108699**	**136606**	**1481.96**	**1869338**	**531014**	**1673918**
4	UNION BANK OF INDIA	162255	74175	120734	115696	236430	41723	117.06	127701	784464	190694
5	CANARA BANK	116254	70620	92496	94378	186874	25953	150.14	76080	19560	153678
6	CENTRAL BANK OF INDIA	24991	35402	28825	31568	60393	3996	40.51	31209	31209	42150
7	PUNJAB AND SIND BANK	33346	16374	23344	26354	49720	6374	13.76	1145	1122	31115
8	UCO BANK	74035	23286	47821	49041	97321	9776	104.12	56426	32594	82925
9	INDIAN OVERSEAS BANK	49727	23412	35254	37866	73143	6923	40.12	73143	24302	54657
10	BANK OF INDIA	177	338	422	264	686	28	0.41	663	258	686
11	INDIAN BANK	45438	73249	59801	58859	118687	12498	57.54	44866	30403	76540
12	BANK OF MAHARASHTRA	7133	19144	13910	12367	26277	6678	8.97	18882	18882	24599
	Total Non-Lead Banks	**513356**	**336000**	**422607**	**426393**	**849531**	**113949**	**532.63**	**430115**	**942794**	**657044**
	Total N. Banks (A + B)	**1436559**	**1328148**	**1447652**	**1509508**	**2958230**	**250555**	**2014.59**	**2299453**	**1473808**	**2330962**
13	UTTARAKHAND G.B	455771	38804	208471	285821	494575	39308	403.93	71181	23053	454254
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	1627	0	912	715	1627	77	0	0	0	1627
	Total R.R.B.	**457398**	**38804**	**209383**	**286536**	**496202**	**39385**	**403.93**	**71181**	**23053**	**455881**
15	COOPERATIVE BANK	54438	25959	33770	49065	82836	10434	51.13	15412	10113	67860
	Total Cooperative	**54438**	**25959**	**33770**	**49065**	**82836**	**10434**	**51.13**	**15412**	**10113**	**67860**
	Total (C+D+E)	**1948395**	**1392911**	**1690805**	**1845109**	**3537268**	**300374**	**2469.65**	**2386046**	**1506974**	**2854703**
16	THE NAINITAL BANK LTD	10872	7673	11742	16833	28575	3401	0	6091	4403	19653
17	AXIS BANK	2081	8758	7714	3125	10839	2748	4.83	7620	4227	7161
18	ICICI BANK	3314	2445	3117	2642	5759	1927	0.86	5659	3644	1958
19	IDBI BANK	3777	10149	7986	5940	13926	2283	4.75	7561	0	8657
20	HDFC BANK	1639	19065	7519	13185	20704	5883	7.69	20704	20704	9221

21	J & K BANK	0	1119	720	399	1119	120	0.31	747	414	923
22	FEDERAL BANK	0	80	59	21	80	17	0.08	36	27	44
23	INDUSIND BANK	95	1094	961	228	1189	49	0.39	768	177	993
24	SOUTH INDIAN BANK	0	24	16	8	24	12	0	9	9	21
25	KARNATAKA BANK	0	3268	2378	890	3268	0	1.7	1336	128	205
26	YES BANK	1074	83	724	433	1157	618	0.09	1140	545	961
27	KOTAK MAHINDRA BANK	0	2522	2015	507	2522	1521	0.35	600	3	2375
28	BANDHAN BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	IDFC FIRST BANK	0	80	58	22	80	11	0.13	51	4	80
30	RBL BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Private Bank	**22852**	**56360**	**45009**	**44233**	**89242**	**18590**	**21.18**	**52322**	**34285**	**52252**
31	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	UTKARSH SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	JANA SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	SHIVALIK SMALL FINANCE BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	EQUITAS SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SMALL FINANCE BANK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Total All Bank	**1971247**	**1449271**	**1735814**	**1889342**	**3626510**	**318964**	**2490.83**	**2438368**	**1541259**	**2906955**

स्रोतः SLBC

(ख) प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहलः प्रधानमंत्री जन–धन योजना के कार्यान्वयन के द्वितीय चरण के अन्तर्गत भारत सरकार ने गरीबों तथा साधारण व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू किया है जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः–

I) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(PMSBY): प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04. 2024 से 30.09.2024 तक 38.04 लाख ग्राहकों को आच्छादित किया गया है।

ii) प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2024 से 30.09.2024 तक 11.55 लाख ग्राहकों को अच्छादति किया गया है।

iii) **अटल पेंशन योजना (APY) :** अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 7.95 लाख ग्राहकों को नामांकित किया है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान के माध्यम से Financial Literacy Centres आयोजित करके लक्षित समूहों के अच्छादति को गति प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है।

(ग) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): बैंकों द्वारा उत्तराखण्ड में 30.09.2024 तक चालू वित्त वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत 86830 नए सूक्ष्म उद्यमियों को ₹1439.12 करोड़ का नए ऋण स्वीकृत किये गये है।

(घ) स्टैण्ड अप भारत योजना (Stand Up India Scheme) : इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं महिला उद्यमियों को ₹10.00 लाख से अधिक और ₹1.00 करोड़ का ऋण, बैंकों द्वारा नए उद्यम को स्थापित करने के लिए दिया जाता है (इसे ग्रीन फील्ड उद्यम भी कहा जाता है)। 30.09.2024 तक इस योजना के अर्न्तगत बैंकों द्वारा 1609 नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए ₹257.08 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

12.9 आर.बी.आई. रोडमैप 2013.20: उत्तराखण्ड में 2000 से नीचे की आबादी के साथ सभी बैंक रहित गाँवों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार सितम्बर, 2020 तक आर.बी.आई. रोडमैप के

अन्तर्गत ब्रिक और मोर्टार शाखा तथा व्यवसाय प्रतिनिधि (जिन्हें बैंकमित्र कहा जाता है) में समाविष्ट किया जाना था। वित्त सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के जन धनदर्शक ऐप के अनुसार उत्तराखण्ड में वर्तमान में (30.09.2024) कोई भी गॉव बैंकिंग सुविधा से वंचित नही हैं।

बैंकों की व्यापारिक मात्रा :

12.10 राज्य के सभी बैंको द्वारा 30.09.2023 से 30.09.2024 तक जमा मे ₹ 207518 करोड़ से ₹ 227375 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का योगदान 68.73 प्रतिशत, आर.आर.बी. का 3.57 प्रतिशत, सहकारी बैंकों का 6.56 प्रतिशत, तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का 19.89 प्रतिशत योगदान रहा है। बैंकों द्वारा जमा राशि में वर्ष दर वर्ष 9.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल अग्रिमों में 30.09.2023 से 30.09.2024 तक ₹115678 करोड़ से ₹121092 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार 30.09.2024 तक बैंकों द्वारा ऋण राशि में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 4.68 प्रतिशत रही।

12.11 30.09.2024 तक राज्य में बैंकों का कुल कारोबार ₹348467 करोड़ पार कर गया तथा वर्ष दर वर्ष वृद्धि 7.81 प्रतिशत रही। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने अपनी हिस्सेदारी से 61.53 प्रतिशत की भागीदारी से बाजार व्यापार पर अधिकार किया। तुलनात्मक आंकड़े नीचे तालिका 12.5 में दर्शाए गए है–

तालिका–12.7
उत्तराखण्ड में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(₹ करोड में)

क.सं.	मद	30.09.2023	30.09.2024	2023 से . 2024 में परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष)	
				सम्पूर्ण	प्रतिभात
1-	**जमा (पी.पी.डी.)**				
1.1	ग्रामीण	51835	56581	4746	9.16
1.2	शहरी / अर्ध शहरी	155683	170794	15111	9.71
1.3	**कुल (1.1+1.2)**	**207518**	**227375**	**19857**	5.57
2-	अग्रिम (ओ/एस)				
2.1	ग्रामीण	19708	21639	1931	9.80
2.2	शहरी / अर्ध शहरी	95970	99453	3483	3.63
2.3	**कुल (2.1+2.2)**	**115678**	**121092**	**5414**	4.68
3-	**कुल बैंकिंग व्यापार (जमा+अग्रिम) (1.3+2.3)**	**323196**	**348467**	**4746**	1.47
4-	बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बांड़/प्रतिभूतियों में	9388	3276	-6112	-65.10
5-	जमा उधार अनुपात थरोट कमेटी के आधार पर	56%	54%	2%	3.5

6-	प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:	**47920**	**54191**	**6271**	**13.09**
	(i) कृषि	13567	14882	**1315**	**9.69**
	(ii) एम.एस.ई.	24125	28857	**4732**	**19.61**
	(iii)ओ.पी.एस.	10229	10452	**223**	**2.18**
7-	गरीबों को अग्रिम	12973	13970	**997**	**7.69**
8-	डी.आर.आई.अग्रिम	3.45	2.73	**-0.72**	**-20.87**
9-	अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	49256	55620	**6364**	**12.92**
10-	शाखाओं की संख्या	2507	2572	**65**	**2.59**
11-	महिलाओं के लिए अग्रिम	13446	16602	**3156**	**23.47**
12-	अल्प–संख्यकों को ऋण	4865	5683	**818**	**16.81**
13-	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को अग्रिम	5190	6689	**1499**	**28.88**

स्रोतः SLBC

12.10 सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयनः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Programme) : इस योजना के अन्तर्गत राज्य में के.वी.आई.सी. (Khadi & Village Industries Commission)/के.वी.आई.बी. (Khadi & Village Industries Board) तथा डी.आई.सी. (District Industries Centre) द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के मार्जिन राशि के दिनांक 30.09.2023 के अर्द्ध वार्षिक लक्ष्य ₹20.68 करोड़ के सापेक्ष ₹14.96 करोड़ (72 प्रतिशत) की प्रगति दर्ज की गयी है, जबकि दिनांक 30.09.2024 के अर्द्ध वार्षिक लक्ष्य ₹26.82 करोड़ के सापेक्ष ₹31.79 करोड़ (118 प्रतिशत) की प्रगति दर्ज की गयी है।

ख) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम(National Urban Livelihood Mission): इस योजना में शहरी गरीबों को सम्मिलित किया गया है। बैंको को चालू वर्ष में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत 410 लक्ष्य से 30.09.2024 तक 509 लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया है।

ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livlihood Mission) : चालू वर्ष में 30.09.2024 तक 13089 स्वंय सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अर्न्तगत सहायता स्वीकृत की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30.09.2024 तक 11842 समूहों को लाभान्वित किया गया है।

घ) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): 30.09.2024 तक बैंकों द्वारा योजना की शुरूआत से जरूरतमंद किसानों को कुल 613748 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं, जिसमें से गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 179412 नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये है।

ड) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (Rural Self Employment Training Institutes) : राज्य के 13 जिलों में अग्रणी बैंक जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पी0एन0बी0, बैंक ऑफ बड़ोदा ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर.एस.ई.टी.आई.) का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 दिनांक 30.09.2023 तक में

बैंकों द्वारा 3567 ग्रामीण युवाओं को ऋण संबधता के साथ–साथ स्वयं निरन्तर विकास के लिए लाभकारी उपक्रमों को अपनाने हेतु प्रशिक्षत किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिनांक 30.09.2024 तक 5991 ग्रामीण युवाओं को ऋण संबधता के साथ–साथ स्वयं निरन्तर विकास के लिए लाभकारी उपक्रमों को अपनाने हेतु प्रशिक्षत किया है। उक्त कार्यक्रमों में से चयनित कौशल विकास कार्यक्रमों को नाबार्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

12.11 डिजीटल लेनदेन के अंतर्गत प्रगति :
राज्य में बैंकों द्वारा दिनांक 30.09.2024 तक विभिन्न डिजीटल माध्यम से किये गये लेनदेन का विवरण जिलावार एवं बैंकवार स्थिति तालिका संख्या 12.8.A एवं 12.8.B में दर्शायी गयी है:–

TABLE 12.8 A
UTTARAKHAND
DISTRICT WISE DIGITAL TRANSACTION AS ON 30.09.2024

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	NAME OF BANK	BHIM/UPI		BHIM Aadhaar		BharatQR Code		IMPS		Cards (Debit & Credit)		USSD	
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1	RUDRA PRAYAG	11703313	1594.56	450	0.13	1203	0.56	89835	277.32	123688	54.77	96139	20.94
2	BAGESHWAR	9488505	1213.25	382	0.07	405	0.19	63960	296.40	165015	76.57	97494	21.27
3	PITHORAGARH	23284060	2872.37	504	0.11	1201	0.72	102274	658.13	190475	96.84	351028	71.84
4	ALMORA	25994944	3216.40	730	0.67	2224	1.06	138456	717.14	462848	204.87	226069	45.27
5	CHAMOLI	19954298	2346.37	567	0.22	3014	1.09	75164	254.56	207362	78.63	206580	44.55
6	DEHRADUN	188367133	110177.25	3928	1.28	283240	100.57	2713942	49168.12	5798515	2587.95	1722196	392.02
7	PAURI GARHWAL	33070300	4713.10	646	0.22	9051	4.06	216568	2404.41	579054	328.60	399882	82.87
8	HARIDWAR	117173775	86206.87	9251	10.30	53777	24.30	2382826	25301.32	3204636	1331.70	369030	71.51
9	CHAMPAWAT	11739946	1590.74	274	0.05	1872	0.80	91369	444.77	199013	81.34	86524	18.55
10	NAINITAL	66624164	24335.23	1002	0.27	26857	13.34	789229	8284.05	2006728	868.19	474594	105.39
11	TEHRI GARHWAL	24635637	3593.38	926	0.33	3482	0.39	162951	565.38	355526	182.89	145543	32.94
12	UDAM SINGH NAGAR	113210598	66261.00	44207	10.02	114083	55.65	2129689	35676.44	3525011	1598.30	354507	77.32
13	UTTAR KASHI	15958774	2144.71	493	0.15	680	0.40	118971	631.03	306469	143.17	70734	16.81
		661205447	310265.23	63360	23.82	501089	203.13	9075234	124679.07	17124340	7633.82	4600320	1001.28

स्रोत: SLBC

TABLE 12.8 B
UTTARAKHAND
BANK WISE TOTAL INVESTMENT CREDIT UNDER DIGITAL TRANSACTION AS ON 30.09.2024

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	NAME OF BANK	BHIM/UPI		BHIM Aadhaar		Bharat QR Code		IMPS		Cards (Debit & Credit)		USSD	
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1	STATE BANK OF INDIA	272771431	34223.88	4162	1.87	0	0.00	12438	0.98	7530	0.98	4488671	980.32
2	PUNJAB NATIONAL BANK	112545235	17355.88	3205	0.61	0	0.00	2297286	2371.32	4882619	2176.51	0	0.00
3	BANK OF BARODA	70586690	8045.82	38074	8.16	0	0.00	411209	970.51	2836428	965.85	1028	0.10
	Total Lead Banks	455903356	59625.58	45441	10.64	0	0.00	2720933	3342.81	7726577	3143.34	4489699	980.42
4	UNION BANK OF INDIA	29114338	3882.14	8114	2.26	0	0.00	651998	696.09	82219	1.21	0	0.00
5	CANARA BANK	33672932	5629.27	37	0.00	0	0.00	24	0.25	1507051	645.58	327	0.04
6	CENTRAL BANK OF INDIA	68757	853.10	363	0.20	0	0.00	23065	158.79	28969	87.42	0	0.00
7	PUNJAB AND SIND BANK	4156568	435.20	0	0.00	140731	65.15	56925	58.79	240178	101.15	0	0.00
8	UCO BANK	0	0.00	0	0.00	15	0.00	230071	245.54	383400	178.52	0	0.00
9	INDIAN OVERSEAS BANK	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	70386	13.96	0	0.00
10	BANK OF INDIA	66498	756.98	902	0.38	0	0.00	1893	68.88	40461	10.11	0	0.00
11	INDIAN BANK	13257035	1271.17	0	0.00	0	0.00	215415	311.56	595443	202.24	0	0.00
12	BANK OF MAHARASHTRA	1305523	154.80	0	0.00	39566	9.26	76292	73.12	0	0.00	0	0.00
	Total Non-Lead Banks	**81641651**	**12982.66**	**9416**	**2.84**	**180312**	**74.41**	**1255683**	**1613.02**	**2948107**	**1240.19**	**327**	**0.04**
	Total N. Banks (A + B)	**537545007**	**72608.24**	**54857**	**13.48**	**180312**	**74.41**	**3976616**	**4955.83**	**10674684**	**4383.53**	**4490026**	**980.46**
13	UTTARAKHAND G.B	219732	1373.24	0	0	0	0	10086	170.81	108600	235.41	0	0
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	2305	6.76	2520	8.11	120	0.97	1520	4.83	2735	8.69	0	0
	Total R.R.B.	**222037**	**1380**	**2520**	**8.11**	**120**	**0.97**	**11606**	**175.64**	**111335**	**244.1**	**0**	**0**
15	CO-OPERATIVE BANK	0	0	0	0	4482	10.34	88887	73.31	454392	303.48	0	0
	Total Cooperative	**0**	**0**	**0**	**0**	**4482**	**10.34**	**88887**	**73.31**	**454392**	**303.48**	**0**	**0**
	Total (C+D+E)	**537767044**	**73988.24**	**57377**	**21.59**	**184914**	**85.72**	**4077109**	**5204.78**	**11240411**	**4931.11**	**4490026**	**980.46**
16	THE NAINITAL BANK LTD	59307	925.55	0	0	0	0	0	0	11110	13.15	0	0
17	AXIS BANK	177314	5543.93	0	0	79285	62.25	35677	108611.83	61779	316.05	0	0
18	ICICI BANK	136368	3432.65	0	0	49643	24.71	73225	2210.47	27884	208.87	0	0
19	IDBI BANK	0	0	5011	1.79	0	0	34729	110.21	1827	0.59	0	0
20	HDFC BANK	75963010	15481.3	0	0	4983	3.39	2524647	5048.52	5081770	1905.96	0	0

21	J & K BANK	1980	44.79	6	0	0	0	1190	15.41	2010	10.28	0	0
22	FEDERAL BANK	8146	1.49	0	0	0	0	57383	47.51	8440	3.32	0	0
23	INDUSIND BANK	13354925	2711.59	0	0	0	0	1377944	1394.39	3738	0.42	0	0
24	SOUTH INDIAN BANK	26955	10.03	0	0	0	0	5106	10.58	4383	1.94	0	0
25	KARNATAKA BANK	1039349	111.8	0	0	0	0	95605	78.51	56222	20.28	0	0
26	YES BANK	4834328	1075.27	966	0.44	182264	27.06	333546	908.49	306111	89.2	0	0
27	KOTAK MAHINDRA BANK	19455166	205527.45	0	0	0	0	320732	631.34	147775	53.53	110294	20.82
28	BANDHAN BANK	5869768	1134.19	0	0	0	0	76160	179.75	24040	6.47	0	0
29	IDFC FIRST BANK	0	0	0	0	0	0	22831	122.17	454	0.25	0	0
30	RBL BANK	4073	1.45	0	0	0	0	3297	12.49	3080	2.48	0	0
	Total Private Bank	**120930689**	**236001.49**	**5983**	**2.23**	**316175**	**117.41**	**4962072**	**119381.67**	**5740623**	**2632.79**	**110294**	**20.82**
31	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	2103746	211.85	0	0	0	0	12031	40.52	96041	49.05	0	0
32	UTKARSH SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	8219	18.55	30168	13.72	0	0
33	JANA SMALL FIN. BANK	252834	39.56	0	0	0	0	10819	24.05	10757	4.51	0	0
34	SHIVALIK SMALL FINANCE BANK	151026	23.73	0	0	0	0	4895	8.19	6303	2.6	0	0
35	EQUITAS SMALL FIN. BANK	108	0.36	0	0	0	0	89	1.31	37	0.04	0	0
	SMALL FINANCE BANK	**2507714**	**275.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36053**	**92.62**	**143306**	**69.9**	**0**	**0**
	Total All Bank	**661205447**	**310265.23**	**63360**	**23.82**	**501089**	**203.13**	**9075234**	**124679.07**	**17124340**	**7633.82**	**4600320**	**1001.28**

स्रोतः SLBC

1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture & Rural Development):

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भारत में ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। 12 जुलाई 1982 को स्थापित, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देना, सहकारी बैंकों व समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सशक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास करना, सामाजिक–आर्थिक बदलाव को प्रोत्साहित करना और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग देना है। नाबार्ड के सक्रिय सहयोग से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण युक्त अनुदान योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

2. ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund&RIDF):

भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में वर्ष 1995–96 में ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की चल रही आधारभूत संरचना संबन्धित योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ऋण दिए जाते हैं। किसी स्थान से सम्बन्धित विशेष संरचना ढांचे के विकास, जिसका सीधा असर समाज व ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था पर हो, को भी इसमें वित्तीय सहायता दी जाती है।

2.1. शुरुआत से ही, आरआईडीएफ राज्य सरकारों के लिए विकास कार्यों के लिए भरोसेमंद स्रोत रहा है। भारत सरकार हर वर्ष केन्द्रीय बजट में आरआईडीएफ के लिए वार्षिक आबंटन करती है। प्रारम्भ में आरआईडीएफ का उपयोग राज्य सरकार की सिंचाई क्षेत्र की अधूरी पड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया गया था। परन्तु समय के साथ–साथ इस निधि के तहत वित्तीय सहायता का क्षेत्र विस्तृत करके 39 कार्यकलापों जिनमें कृषि तथा संबंधित क्षेत्र (सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, पशुपालन क्षेत्र आदि), सामाजिक क्षेत्र (प्राथमिक/ तकनीकी शिक्षा, पेयजल, आदि) तथा ग्रामीण सम्पर्क (सड़कें एवं पुल) सम्बन्धित आधारभूत कार्यकलापों को सम्मिलित किया गया है। इस निधि के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 में आरआईडीएफ–1 में ₹2,000 करोड़ का बजट प्रावधान था जो अब बढ़कर आरआईडीएफ–XXX में (वर्ष 2024–25) में ₹35,000 करोड़ हो गया है।

2.2. आरआईडीएफ के अन्तर्गत राज्य को 31 मार्च 2024 तक 5221 परियोजनाओं के लिए ₹11,712.66 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें से मुख्यतः ग्रामीण सड़कें, पुल, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, पेयजल, शिक्षा, पशुपालन, आदि की परियोजनाएं शामिल हैं। 31 मार्च 2024 तक आरआईडीएफ के अन्तर्गत कुल ₹9878.22 करोड़ की ऋण राशि जारी की जा चुकी है।

2.3. 31 मार्च 2024 तक स्वीकृत की गई इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद 23 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी, 15,268 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें, 27,699 मीटर स्पैन पुलों के निर्माण तथा 2.29 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी / हो रही है।

3. नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता – नीडा (NABARD Infrastructure Development Assistance & NIDA)

नाबार्ड ने इस योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में पिटकुल को ₹82.33 करोड़ के दो प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं।

4. खाद्य प्रसंस्करण निधि (FPF)रू भारत

उत्तराखण्ड राज्य में पतंजलि मेगा फूड पार्क में 02 प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने हेतु ₹36.80 करोड़ स्वीकृत की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है।

5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत माइक्रो इरीगेशन फंड (MIF):

पीएमकेएसवाई 01 जुलाई, 2015 को लागू की गई थी जिसका उद्देश्य सिंचाई का दायरा बढ़ाने, हर खेत को पानी तथा पानी के प्रयोग की दक्षता बढ़ाना 'Per Drop More Crop' था। माइक्रो इरिगेशन फंड, जो नाबार्ड के पास है, का कॉर्पस वर्ष 2022–23 के दौरान बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ कर दिया गया है। राज्य सरकारें इस फंड के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण ले सकती है। 31.03.2024 तक नाबार्ड द्वारा एम.आई.एफ के तहत 4709.06 करोड़ रुपये के ऋण प्रस्तावों को स्वीकृत एवं 3387.80 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान नाबार्ड, उत्तराखंड ने इस फंड के अंतर्गत ₹5.06 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को स्वीकृत किया है व वित्तीय वर्ष 2023–24 मे ₹57.97 लाख इस फंड के अंतर्गत वितरित किए जा चुके हैं।

6. मत्स्य पालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund-FIDF):

केंद्रीय बजट 2018–19 में इस निधि के संबंध में की गई घोषणा के अनुसरण में भारत सरकार ने कुल ₹7,522 करोड़ की समूहनिधि से मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) की स्थापना की थी। इस निधि का कार्यान्वयन पांच वर्षों (2018–19 से 2022–23) की अवधि के दौरान किया जाना था। भारत सरकार द्वारा इसे बाद में बढ़ाकर 31.03.2026 तक कर दिया गया है। नाबार्ड ऋण प्रदाता नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है और राज्य सरकारों, के माध्यम से सार्वजनिक आधारभूत घटकों, जैसे मछली पकड़ने के बन्दरगाह, मछलियों को उतारने के केंद्र विकसित करने, राज्य के मछली बीज फार्मों के आधुनिकीकरण, आधुनिक मछली बाजारों, रोग निदान प्रयोगशालाओं, जलीय संगरोध सुविधाओं और प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना के निर्माण जैसी विभिन्न निवेश गतिविधियों के लिए ₹2,600.00 करोड़ तक की निधि प्रदान करेगा।

7. पुनर्वित्त सहायता (Re-Finance Support):
ग्रामीण आवास, लघु सड़क परिवहन चालकों, भूमि विकास, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, स्वयं सहायता समूह, कृषि यंत्रीकरण, मुर्गी पालन, वृक्षारोपण, बागवानी, भेड़/बकरी/ सुअर पालन, पैकिंग, अन्य क्षेत्रों में ग्रेडिंग, इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए पुर्नवित सहायता स्वरूप नाबार्ड द्वारा वर्ष 2023–24 में बैंकों को ₹1810.05 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है। जिसमें सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधनों को सप्लीमेंट करने के लिए वर्ष 2015–16 में स्थापित दीर्घावधि ग्रामीण ऋण फंड के अधीन, वर्ष 2023–24 में ₹324.78 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। नाबार्ड ने वर्ष 2023–24 के लिए सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए ₹1,205 करोड़ की ऋण सीमा एस. टी. (एस.ए.ओ.) (शॉर्ट टर्म सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन) के अन्तर्गत स्वीकृत की है तथा बैंकों द्वारा 31 मार्च 2024 तक ₹1124.29 करोड़ का पुर्नवित्त नाबार्ड से लिया गया है। नाबार्ड ने वर्ष 2023–24 के लिए अल्पावधि मौसमी कृषि कार्यों के अलावा अन्य गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए भी सहकारी बैंकों एवं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को ₹ 100.00 करोड़ की अल्पावधि (अन्य) पुनर्वित्त की मंज़ूरी दी है जिसके अंतर्गत बैंकों ने 31 मार्च 2024 तक तक ₹100 करोड़ का पुनर्वित्त नाबार्ड से लिया है।

8. सूक्ष्म ऋण (Micro Finance):
स्वयं सहायता समूह– बैंक ऋण सहबद्धता कार्यक्रम (एसएचजी बीएलपी) अब पूरे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च स्तर पर पहुँचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। उत्तराखंड राज्य में 31 मार्च 2024 तक 107988 स्वयं सहायता समूहों और 3,25,281 संयुक्त देयता समूहों को क्रेडिट लिंक किया गया है। नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों के सदस्यों को उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पिछले 8 वर्षों में आजीविका उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) के अंतर्गत 46 प्रशिक्षण और सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) के अंतर्गत 132 प्रशिक्षण प्रदान किए गए और कुल 9,190 लोगों को विभिन्न रोजगारपरक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। स्वयं सहायता समूह– बैंक ऋण सहबद्धता कार्यक्रम के हितधारकों के लिए राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और एसएचजी के लिए गाँव स्तर पर कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है।

9. जलागम विकास निधि (Watershed Development Fund):
जलागम विकास निधि के अर्न्तगत चल रही 17 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई राशि ₹452.7 लाख में से ₹210.33 लाख वितरित किए गए हैं। सभी परियोजनाओं में लगभग 11,004 हेक्टेयर भूमि को सम्मिलित किया गया है।

10. जनजातीय विकास निधि (Triabl Development Fund) के माध्यम से जनजातीय लोगों का विकास :
नाबार्ड ने जनजातीय विकास निधि के अर्न्तगत 13 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ₹2099.92 लाख में से ₹1,533.90 लाख की अनुदान राशि दिसम्बर, 2024 तक छोटे उद्यानों, पशुपालन, इत्यादि इकाइयों की स्थापना के लिए वितरित कर दी है। इन परियोजनाओं से 4,845 जन जातीय परिवार लाभान्वित हुए हैं।

11. किसान उत्पादक संगठनों (Farmers Producers Organization) को प्रोत्साहनः

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को अब व्यापक रूप से एकत्रीकरण, बड़े पैमाने की किफ्रापतों, संसाधनों के पूलिंग के लाभों को हासिल करने और किसानों के बीच बिखरी हुई जोत और अव्यवस्था की चुनौतियों को कम करने के उपाय के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। एफपीओ की सामूहिक अवधारणा, विशेष रूप से, छोटी जोत वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है क्योंकि एफपीओ सदस्य सामूहिक रूप से नवीनतम तकनीक, गुणवत्ता वाले इनपुट जैसे बीज, उर्वरक आदि को अपनाने के लिए अपनी पहुंच बना सकते हैं। एफपीओ सदस्य अपनी योग्य अधिशेष (मार्केटिंग सरप्लस) को व्यक्तिगत रूप से बेचने के बजाय थोक में बेचने से अच्छा मूल्य प्राप्त करते हैं। राज्य में, नाबार्ड ने 136 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बनाने में सहायता प्रदान की है। 2014–16 के दौरान प्रोड्यूस फंड के तहत ₹468.22 लाख की अनुदान सहायता के साथ 51 एफपीओ बनाए गए हैं। 2018–19 से 2024–25 (दिसम्बर 2024) तक पीओडीएफ आईडी फंड के तहत 56 एफपीओ को ₹958.46 लाख की अनुदान सहायता प्रदान की गई है। 2021–22 से 2024–25 (दिसम्बर 2024) तक एफपीओ की केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत ₹613.23 लाख की अनुसन सहायता प्रदान की गयी है। वर्तमान में, राज्य में नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त 106 सक्रिय एफपीओ हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2019–20 के बजट में 10,000 एफपीओ को बनाने एवं पोषण हेतु केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम की घोषणा की थी, जो अगले 05 वर्ष के दौरान क्रियान्वित की जाएगी। स्कीम के उचित क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करने हेतु दो अलग–क्रेडिट गारंटी फंड (₹1,000 करोड़ का फंड नाबार्ड के पास एवं ₹500 करोड़ एनसीडीसी के पास) बनाए गए हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए एफपीओ पर केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत 165 क्लस्टर (नाबार्ड : 30, एनसीडीसीरू 36, नाफेड : 31, एनडीडीबी : 4, ट्राईफेड : 2 और एसएफएसी 47, एफडीआरवीसी : 15) एफपीओ बनाये गये हैं। नाबार्ड की सब्सिडियरी नैवकिसान फाइनेंस लि. द्वारा भी 05 एफपीओ को क्रेडिट सुविधा प्रदान की गई है।

12. ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र (Rural Non-Agriculture sector):

नाबार्ड ने ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादों के विपणन और उत्पादन के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त नाबार्ड युवाओं के लिए कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। नाबार्ड आरसेटी (RSETI)/रूडसेटी (RUDSETI), (एनएसडीसी) NSDC अनुमोदित साझेदार, गैर सरकारी संगठन कॉर्पोरेट संस्थानो के सीएसआर जैसी संस्थाएं जोकि ग्रामीण युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देती हैं ताकि उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार मिल सके और वे आय–सृजक गतिविधियां शुरू कर सकें जिसके लिए नाबार्ड आर्थिक सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य के ग्रामीण युवकों के कौशल विकास हेतु नाबार्ड ने 10 कौशल प्ररिशिक्षण कार्यक्रम हेतु ₹26.20 लाख के अनुदान को स्वीकृति प्रदान की है।

13. निवेश ऋण (Investment Credit)– सब्सिडी स्कीम

क) नाबार्ड 01 अप्रैल 2014 से एकीकृत कृषि आधारभूत संरचना योजना (ISAM) की उपयोजना कृषि विपणन आधारभूत सुविधा (AMI) के अंतर्गत सब्सिडी का प्रबंधन करता रहा है. भारत सरकार की विपणन योग्य कृषि संबंधी अधिशेष के प्रभावी

प्रबंधन के लिए विपणन संबंधी बुनियादी ढाँचे के विकास एवं फसल कटाई में प्रयुक्त होने वाली नवप्रवर्तनशील तकनीकों को बढ़ावा देने वाली एक नई AMI योजना भी, 22 अक्तूबर 2018 से 31 मार्च 2026 तक क्रियाशील है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों हेतु 50 एमटी से 10000 एमटी की क्षमता के कृषि गोदामों एवं अन्य कृषि मूलभूत संरचना के निर्माण हेतु 33.33/25 प्रतिशत की सब्सिडी लागत का प्रावधान है। इस योजना में अन्य गतिविधियों जैसे ग्रेडिंग, पैकिजिंग, गुणवत्ता परीक्षण, प्रणालीकरण, मूल्य संवर्धन सुविधाएं, इत्यादि हेतु भी सब्सिडी देने का प्रावधान है।

ख) इसके अतिरिक्त भारत सरकार की एक अन्य योजना–कृषि क्लिनिक और कृषि व्यापार केन्द्र (ACABC) योजना भी राज्य में संचालित की जा रही है जिसके लिए नाबार्ड के माध्यम से अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। उत्तराखण्ड राज्य में 31.12.2024 तक, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यापार केन्द्र योजना के के अन्तर्गत 60 लाभार्थियों को ₹350.64 लाख का अनुदान दिया गया है।

14. संस्थागत विकास (Institutional Development):

नाबार्ड ने पिछले 03 वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों/समितियों के 1,391 स्टाफ सदस्यों को 69 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराई है। 670 पैक्स के कंपयूटरीकरण हेतु हेतु ₹ 5.00 करोड़ की सहायता, 17 पैक्स के लिए इनफ्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता 02 जिला सहकारी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों हेतु एक्सपोजर विजिट तथा 04 जिला सहकारी बैंकों के लिए ओडीआई (Organizational Development Initiatives) आयोजित की गई हैं। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने उत्तराखंड पैक्स के मौजूदा सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करने और मौजूदा डेटा को राष्ट्रीय स्तर के डेटा रिपॉजिटरी पर स्थानांतरित करने के लिए पैक्स कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत उत्तराखंड राज्य को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। सहकारिता मंत्रालय ने पत्र दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से पैक्स कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत उत्तराखंड को 13.48 करोड़ रुपये मंजूर किए है। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अनुसार, सभी 670 पैक्स को 31.03.2025 तक ए–पैक्स मोड में पहुंचाना है।

15. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion):

वित्तीय समावेशन भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है, जिसका उद्देश्य देश में अब तक किफायती लागत पर वित्तीय सेवाएँ प्राप्त न कर पाने वाली बड़ी आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। नाबार्ड द्वारा पिछले 03 वर्षों के दौरान राज्य में 9,311 वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता कैंप, 21 डेमो वैन, 1115 पोसध्एमपीओएस, 629 माइक्रो एटीएम, आदि स्वीकृत की हैं। वर्ष 2022–23 एवं वर्ष 2023–24 के दौरान क्रमशः आरएस 948 लाख व ₹ 379 लाख (31 मार्च 2024 तक) की अनुदान सहायता 'फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड' के तहत वित्तीय संस्थाओं को स्वीकृत की गई है।

16. नैवकॉन्स (नाबार्ड Consultancy Services-NABCONS)

नैवकॉन्स नाबार्ड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है और यह कृषि ग्रामीण विकास और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करती है। नेबकॉन्स जिन मुख्य क्षेत्रों में परामर्श कार्य प्रदान करती है वह है– व्यवहारता अध्ययन,

परियोजना तैयार करना, मूल्यांकन, वित्त–पोषण व्यवस्था, परियोजना प्रबंधन और निगरानी, कृषि व्यापार इकाइयों का पुनर्गठन, प्रदर्शन यात्राएं और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण, गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना आदि।

नैबकॉन्स ने उत्तराखण्ड राज्य में उच्चतम गुणवत्ता एवं ग्राहक संतुष्टि के साथ निम्नलिखित प्रमुख कार्य पूर्ण किए हैं:

I- उत्तराखण्ड वन विभाग के लिए "ग्रीन इंडिया मिशन" के अन्तर्गत परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना।

ii- किसान जैविक प्रसंस्करण एवं ट्रेडिंग यूनिट के लिए खाद्य प्रसंस्करण एव ट्रेडिंग प्रोजेक्ट का मूल्यांकन।

iii. भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के लिए गोदामों के प्रत्यापन का कार्य।

iv. हमालयन फूड पार्क परियोजना, काशीपुर का मूल्यांकन।

v. राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं फील्ड मॉनिटरिंग।

vi. पूर्वोतर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) के अन्तर्गत परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं फील्ड मॉनिटरिंग।

vii. उत्तराखण्ड लाइव स्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा कालसी में संकर पशु प्रजनन केन्द्र के अवस्थापना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का निर्माण।

viii. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित "सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों का त्रिपक्षीय मूल्यांकन।

ix. उत्तराखण्ड को–आपरेटिव फेडेरेशन लिमिटेड द्वारा सोयबीन व खाद्य तेल प्रसंस्करण केन्द्रः हल्दूचौड, हल्द्वानी में प्रकल्पित खाय प्रसंसकरण केन्द्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का निर्माण।

x. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि. के अधिकार में आने वाली 102 पैक्सों के बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों में उन्नयन हेतु बेस लाइन सर्वे और डीपीआर का निर्माण।

xi. राज्य में स्थित 1,028 कृषि उपज भण्डारण गोदामों के जीओ टेगिंग का कार्य।

xii. एसजेवीएन द्वारा स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत बनाए गए शौचालयों के स्वतंत्र मूल्यांकन का कार्य।

xiv. उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित होने वाले खाद्यान्नों के लिए श्वेत पत्र का निर्माण।

xv. वर्ष 2022 से 2024 के दरम्यान, जिला चमोली, उत्तराखंड में विष्णुगाढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (वीपीएचईपी) की पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) की निगरानी और मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष की निगरानी और मूल्यांकन के लिए ₹30,59,891/– का अनुबंध किया गया था। परियोजना को ससमय अवधि में क्रियान्वित किया गया है और इसमें 2000 से अधिक हाउस होल्ड शामिल थे।

xvi. उत्तराखण्ड कृषि विभाग के लिए कृषि उत्पादक संगठनों के संवर्धन के लिए राज्य स्तरीय नीति तैयार करना।

xvii. सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाये जा रही विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत सहसपुर पैक्स के लिए अनाज भंडारण की स्थापना, इत्यादि।

17. उत्तराखण्ड में जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड की पहलः

i. नाबार्ड को यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज के अन्तर्गत स्थापित अनुकूलन निधि (Adaptation Fund) एवं भारत सरकार द्वारा स्थापित जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (Adaptation Fund For Climate Change) के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (National Implementing Agency) तथा ग्रीन क्लाइमेंट फन्ड (GCF) के लिए डायरेक्ट एक्सेस इकाई (Direct Access Entity) नामित किया गया है।

ii. अनुकूलन निधि के तहत उत्तराखण्ड में ₹5.36 करोड की लागत वाली एक जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजना चम्पावत जिले में नाबार्ड द्वारा बी.ए.आई.एफ (कार्यकारी इकाई) की सहायता से निष्पादित किया जा चुका है। इस परियोजना से लगभग 800 परिवार लाभान्वित हुए है। इस परियोजना के तहत लगभग ₹4.69 करोड की वित्तीय सहायता वितरित की गई है। पपपण नाबार्ड के जलवायु परिवर्तन निधि के तहत उत्तरकाशी व चमोली जनपद में जीरो एनर्जि कोल्ड स्टोरेज की इकाई व गाय के गोबर में मूल्य वर्धन करके उत्पाद बनाने (दिया, मूर्ति इत्यादि) की परियोजनाएं क्रियान्वित हुई हैं।

18. नाबार्ड की अन्य महत्वपूर्ण स्कीम/ पहले I- पैक्स एक बहुउद्देशीय सेवा केंद्र (PACS as MSC)

पैक्स को आत्म निर्भर बनाने हेतु कुछ उचित विकल्प है जैसे कि व्यवसाय का विविधिकरण, उपक्रमों के लिए रास्ते तलाशने एवं संसाधनों का उचित व्यवस्था कराना, आदि हैं। इसी उद्देश्य के लिए नाबार्ड ने पैक्स को एमएससी के रूप में परिवर्तित करने हेतु विशेष पुनर्वित्त स्कीम वर्ष 2020–21 में लागू की है। इस योजना के तहत नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों को प्रधान मंत्री अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत लगाई गयी परियोजनाओं के लिए 3ः प्रतिवर्ष की दर से (समय–समय पर परिवर्तित), इस शर्त के साथ कि पैक्स से नाबार्ड द्वारा वसूले गए ब्याज से 1ः से ज्यादा ब्याज नहीं वसूला जाएगा, सहायता प्रदान कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए प्रोजेक्ट एग्री इंनफ्रास्ट्रक्बर फंड स्कीम के अधीन ब्याज में छूट (Interest Subvention) प्राप्त करने के लिए भी पात्र होंगे।

II. एग्री इंनफ्रास्ट्रक्बर फंड (AIF): भारत सरकार की आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत इस महत्वाकांक्षी योजना को 09 अगस्त, 2020 को लागू किया था। इस योजना के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ढाँचे एवं सामुदायिक कृषि हेतु 3% प्रतिवर्ष की दर पर 7 वर्ष के अधिकतम समय के लिए मध्यम एवं दीर्घ अवधि का ऋण उपलब्ध है। इस योजना के अधीन भारत/ पूरे देश हेतु आरएस1. 00 लाख करोड़ के ऋण (उत्तराखण्ड राज्य के लिए छ वर्षों (2020–21 से 2025–26 हेतु ₹785.00 करोड़ के ऋण की स्वीकृति का लक्ष्य) रखा गया है। एआईएफ तथा भारत सरकार के World's Largest Decentralized Grain Storage Programme के अंतर्गत उत्तराखंड में सहसपुर पैक्स, देहरादून द्वारा ₹1.28 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे साइलो (गोदाम) हेतु 3% ब्याज छूट का लाभ लिया जा रहा है तथा भारत सरकार की अमी स्कीम के अंतर्गत सब्सिडि के लाभ के लिए भी यह प्रोजेक्ट पात्र है। इस प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड द्वारा 3% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर

उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक को ₹98.00 लाख के पुनर्वित्त की मंजूरी भी दि गयी है व 31.03.2024 तक ₹45.00 लाख का पुनर्वित्त दिया जा चुका है।

III. वाटर, सेनिटेशन एवं हाईजीन (WASH) हेतु पुनर्वित स्कीमः नाबार्ड ने भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के दौरान उच्च जीवन स्तर को स्तत रूप से बनाए रखने के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2020–21 के दौरान आरएस 800.00 करोड़ की यह पुनर्वित स्कीम प्रारंभ की है। इस स्कीम के तहत नाबार्ड सभी पात्र वित्तीय संस्थाओं (वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों सहित) को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु पुनर्वित्त प्रदान करता है।

IV. माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इन्टरप्राईजेज को बढ़ावा देने हेतु विशेष पुनर्वित स्कीमः यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन अवसर उपलब्ध कराने हेतु जिसमें विशेष फोकस महिला उद्यमियों एवं एसपीरेशनल जिलों पर होगा। यह स्कीम एग्री वैल्यू को बढ़ाने एवं सुदृढ़ करने के लिए बनाए गए हैं। इस योजना के लाभार्थियों को बैंक से रियायती दरों पर ऋण तथा बैंकों को ऋण के सापेक्ष पुनर्वित्त सहायता का प्रावधान है।

V. सोलर रूफ टॉप (एसआरटी) के साथ ग्रामीण आवास ऋण हेतु विशेष पुनर्वित स्कीम: संशोधित एनडीसी के अनुसार, भारत ने 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा 50: तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इसके समर्थन में, नाबार्ड ग्रिड से जुड़ी एसआरटी प्रणाली की स्थापना के साथ आवासीय घरों के निर्माण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को कम ब्याज दर पर पुनर्वित्त प्रदान कर रहा है।

VI- आकांक्षी जिलों और कम प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) वाले जिलों के लिए विशेष पुनर्वित योजनाः प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए नाबार्ड कम पीएसएल वाले जिलों व आकांक्षी जिलों में काम करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को कृषि एवं ग्रामीण विकास में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु रियायती ब्याज दर पर पुनर्वित्त प्रदान कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत 31.12. 2024 तक नाबार्ड द्वारा रियायती ब्याज दर पर उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक को ₹14.00 करोड़ का दीर्घकालिक पुनर्वित्त प्रदान किया जा चुका है।

VII. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए विशेष पुनर्वित्त योजनाः एआईएफ परियोजनाओं में ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक) द्वारा ऋण के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 6% प्रति वर्ष की रियायती दर पर पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जा रहा है।

VIII. स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु पुनर्वित्त योजनाः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को एन. आर.एल.एम (NRLM) के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित करने के लिए 3%प्रति वर्ष की रियायती दर पर पुनर्वित्त प्रदान किया जा रहा है। जिससे उन स्वयं सहायता समूहो को 3 लाख रुपये तक का ऋण 7% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर और 3 से 5 लाख रुपये के ऋण के लिए 10% प्रति वर्ष या 1 वर्षीय एमसीएलआर या बैंक की बेंचमार्क दर, जो भी कम हो, की ब्याज दर पर उपलब्ध हो सके।

19. महासंघों को ऋण सुविधा (Credit Facility to Federations): विपणन महासंघ और सहकारी समितियाँ कृषि व्यवसाय और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन संस्थाओं द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ कृषि वस्तुओं की खरीद, एकत्रीकरण, भंडारण और मूल्य संवर्धन और विपणन हैं। इन महासंघों और सहकारी समितियों को अपने दिन–प्रतिदिन के कार्यों का समर्थन करने हेतु तथा विपणन कार्यों के लिए अल्पकालिक ऋण सुविधा की आवश्यकता होती है। महासंघों को उनके खरीद कार्यों में नाबार्ड सीएफएफ के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। यह एक अल्पकालिक ऋण सुविधा है जो राज्य एजेंसियों जैसे महासंघों और सहकारी समितियों द्वारा कृषि उपज के विपणन को समर्थन देने के लिए दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, नाबार्ड ने सीएफएफ के तहत उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ (यूसीएफ) को 100 करोड़ रुपये मंजूर किए थे।

20. राज्य सरकारों को ग्रामीण अवसंरचना सहायता (Rural Infrastructure Assistance to State Governments (RIAS)): बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के विकास का चालक है और राज्य की कठिन भौगोलिक स्थिति तथा पहाड़ी इलाकों के कारण उत्तराखंड सरकार को बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की आवश्यकता है। राज्य सरकारों की वित्तपोषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, नाबार्ड ने राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने के लिए RIAS के तहत ऋण और ऋण प्लस हस्तक्षेप से राज्यों के साथ साझेदारी को मजबूत करने पर विचार कर रहा है। उत्तराखंड सरकार उन क्षेत्रों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं की पहचान कर सकती है जो राज्य के लिए प्राथमिकताएं हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार रियस के तहत ऋण प्राप्त करने पर विचार कर सकती है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
I.S.B.T

अध्याय–13
विद्युत
Electricity

13.1 राज्य के आर्थिक विकास एवं आधारभूत संरचना में विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विगत वर्षों में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षमता सम्बन्धी योजनाओं का क्रियान्वयन द्रुतगति से चलने के उपरान्त भी विद्युत उपलब्धता और विद्युत मांग में अन्तर निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। विद्युत आपूर्ति समस्त आर्थिक गतिविधियों का आधार है तथा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति से ही तीव्र एवं समावेशी विकास सम्भव है। राज्य में विद्युत उत्पादन हेतु गैर–पारम्परिक स्त्रोतों को, अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत, सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

तालिका 13.1
उत्तराखण्ड में वर्षवार विद्युत क्षमता, उत्पादन तथा मांग

वर्ष Year	स्थापित क्षमता (मे0वा0) Installed Capacity (MW)	कुल विद्युत उत्पादन (मि0यू0) Total Electricity Production (MU)	कुल विद्युत मांग (मि0यू0) Total Electricity Demand (MU)
(1)	(2)	(3)	(4)
2011-12	1306.25	5261.82	10571.10
2012-13	1306.25	4812.11	11424.06
2013-14	1288.85	4411.83	11969.21
2014-15	1284.85	4348.95	12440.95
2015-16	1284.85	4942.33	12908.07
2016-17	1284.85	4379.47	13080.91
2017-18	1289.35	4725.66	13455.00
2018-19	1318.56	4663.08	13842.00
2019-20	1318.56	5088.88	13852.00
2020-21	1322.56	5539.00	13135.00
2021-22	1322.60	5157.27	14254.00
2022-23	1447.16	5433.20	15436.00
2023-24	1453.41	4984.53	15690.00
Dec 24	1440.60	4398.00	13046.00

Source: Uttarakhand Jal Vidhyut Nigam Ltd. & Uttarakhand Power Corporation Ltd.(Compiled in Statistical Diaries)

चार्ट 13.1

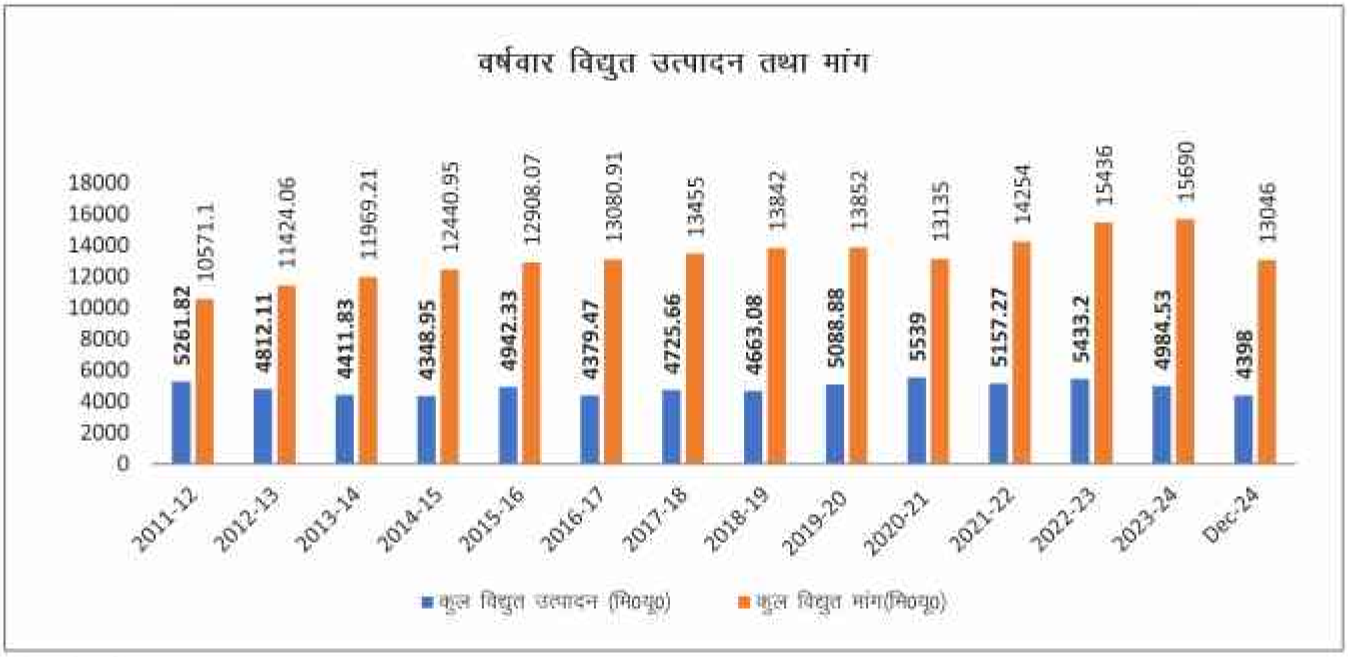

स्रोतः विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 13.2
विगत वर्षो में ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों (Aggregate Technical & Commercial Losses) का विवरण

वित्तीय वर्ष	ए0टी0 एण्ड सी0 हानियाँ
2014 - 15	18.64%
2015 - 16	17.19%
2016 - 17	15.85%
2017 - 18	16.10%
2018 - 19	16.52%
2019 - 20	* 20.44 %
2020 - 21	15. 25%
2021 - 22	17. 20%
2022 - 23	15. 25%
2023 - 24	14.64%
2024 - 25	13 .96 % (लक्ष्यान्वित)

स्रोतः विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

वर्ष 2014–15 में कुल ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस (वाणिज्यिक एवं तकनीकी हानियां) लगभग 18.64 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2024–25 में ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस को कम कर 13.96 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है।

13.1.2 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के विद्युत उपभोक्ताओं को बिलों के ऑनलाईन भुगतान हेतु विभिन्न माध्यम उपलब्ध कराये गये हैः–

- वैबसाईट https://www.upcl.org/wss एवं उपभोक्ता मोबाईल एप (Android ,oa iOS)

- विभिन्न थर्ड पार्टी एप जैसे RTGS/ NEFT के माध्यम से ऑनलाईन बैंक ट्रांसफर

- देव भूमि जन सेवा केन्द्र (CSC Outlet)

- ऑनलाईन भुगतान को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान में ऑनलाईन भुगतान पर 1.5% छूट

- वर्तमान में लगभग 70% विद्युत बिलों का भुगतान ऑनलाईन एवं लगभग 82% विद्युत राजस्व डिजिटल माध्यमों से प्राप्त हो रहा है।

चार्ट 13.2
Financial year-wise Digital Payments vs Digital Collection upto Dec-2024

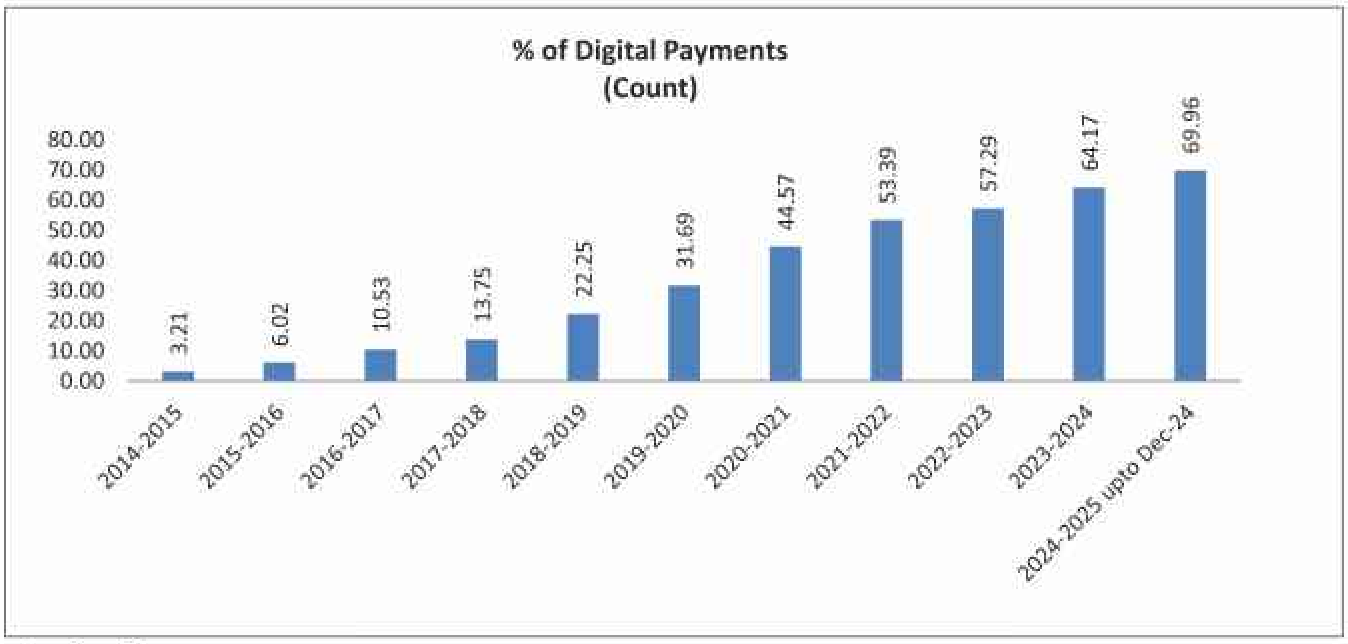

स्रोतः विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 13.3
Financial year-wise Digital Payments vs Digital Collection upto Dec-2024

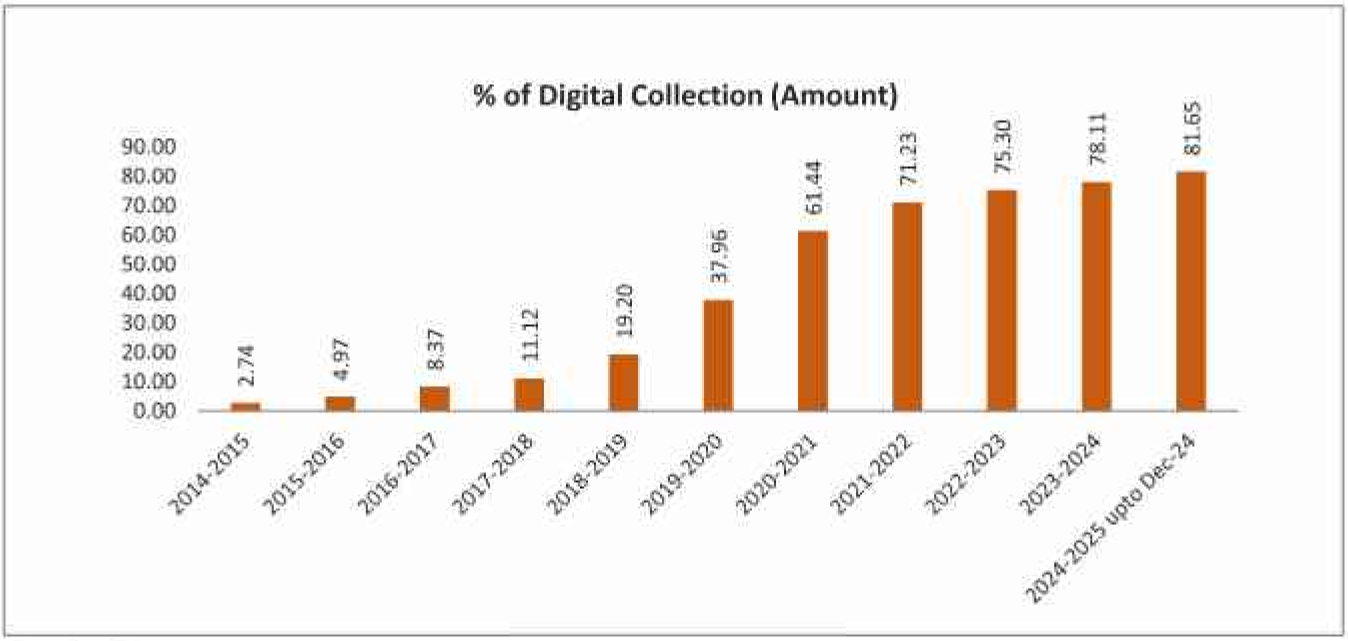

स्रोतः विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

Customer Care Center at Dehradun

राज्य में उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, पिटकुल तथा उरेडा के माध्यम से निम्नानुसार कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैः–

13.2 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited):–

13.2.1 33/11 के0वी0 उपस्थानों का निर्माणः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में 31 दिसम्बर, 2024 तक 41 एम0वी0ए0 क्षमता का 02 नग, नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थानों एवं 98 कि.मी. नयी 33 के0वी0 लाइनों का निर्माण किया जा चुका है।

13.2.2 पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS):– केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक 05 वर्षों की अवधि में विद्युत वितरण क्षेत्र के लिये एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme) (RDSS) का उददेश्य विद्युत वितरण क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। योजना में विद्युत वितरण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर DISCOM को सशक्त वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। यह वित्तीय सहायता पूर्व अर्हता मापदण्डों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बैंचमार्क की उपलब्धि पर आधारित है।

अखिल भारतीय स्तर पर योजना का परिव्यय ₹ 3,03,758 करोड़ है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा अनुमानित ₹ 97,631 करोड़ का Gross Budgetary Support (GBS) निर्धारित किया गया है।

तालिका 13.3

Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) योजना का उददेश्यः

- वित्तीय रूप से स्थायी और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना।
- वर्ष 2024–25 तक AT&C हानियों में अखिल भारतीय स्तर पर 12%–15% के स्तर तक कम करना है।
- **ACS-ARR के gap को कम करके वर्ष 2024–25 तक शून्य करना।**

1: Prepaid Smart Metering

Prepaid Smart Metering के अन्तर्गत निम्न मुख्य कार्य किये जाने हैं:

- 15.84 लाख उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना।
- 2602 नग फीडर मीटरिंग।
- 59212 नग वितरण परिवर्तकों की मीटरिंग।
- 3334 नग HT उपभोक्ताओं का मीटरिंग कार्य।

2: Distribution Infrastructure Work-

Loss Reductions Works - Loss Reductions Works के अन्तर्गत निम्न मुख्य कार्य किये जाने हैं:

- 4837 किमी LT केबिल को AB केबिल से बदलना।
- 10 नग फीडरों का पृथक्कीकरण।
- 469 नग DTR Structure तथा 8828 नग क्षतिग्रस्त पोलों को बदलने का कार्य।

3: Project Management-

Prepaid Smart Metering को सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (PPP) मोड में लागू कर उपभोक्ता सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। Smart Meter उपभोक्ताओं को मासिक आधार के बजाय नियमित आधार पर अपनी बिजली की खपत की निगरानी की सुविधा देगा जो उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार और उपलब्ध संसाधनों के सन्दर्भ में बिजली के उपयोग में मदद कर सकेगा।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण होगा एवं विद्युत हानियों को कम किये जाने तथा प्रणाली सुदृढ़ीकरण के कार्य प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

System Meter, Prepaid Smart Meter से प्राप्त डाटा का विश्लेषण IT/OT उपकरणों के माध्यम से किया जायेगा एवं बिलिंग प्रणाली के साथ integrate किया जायेगा।

चिन्हित शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण होगा जिसमें सभी शहरी क्षेत्रों में परियोजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार पर्यवेक्षी नियन्त्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काडा) प्रणाली की स्थापना किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

योजना में केन्द्र सरकार से अनुदान का प्रावधान :

योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखण्ड राज्य, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप के राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेश सहित विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में चिन्हित है जिसमें Smart Prepaid Metering, वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग एवं प्रणाली मीटरिंग के लिये स्वीकृत लागत का 22.5 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 1350.00 (परिचालन लागत सहित) अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।

Distribution Infrastructure Works] DMS, AB Cable, फीडर पृथक्कीकरण एवं स्काडा हेतु स्वीकृत लागत का 90 प्रतिशत (पूर्व अर्हता मापदण्डों को पूरा करना एवं बुनियादी बैंचमार्क की उपलब्धि पर) अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।

नोडल एजेंसी:

योजना के क्रियान्वयन में राज्य हेतु मै0 पी0एफ0सी0, नई दिल्ली नोडल एजेंसी नामित की गई हैं।

योजना में स्मार्ट मीटरिंग के कार्य हेतु ₹ 1099.84 करोड़ तथा विद्युत हानि को कम करने के कार्य हेतु ₹ 1426.00 करोड का प्रावधान किया गया है।

प्रगतिः–

Smart Prepaid Metering:

योजना के अन्तर्गत वर्तमान में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के लिए AMISP (Advance Metering Infrastructure Service Provider) की नियुक्ति कर गढवाल क्षेत्र में M/s Genus Power Solutions Pvt. Ltd., Rajasthan एवं कुमांऊ क्षेत्र में M/s Adani Energy Solutions Ltd., Gujrat के साथ मार्च–2024 को अनुबन्ध किया जा चुका है।

Loss Reduction Work:

1. योजना में किये जाने वाले कार्यों के अनुबन्ध हेतु समस्त मण्डलों के 12 पैकेजों के अनुबन्ध किये जा चुके है।

2. RT-DAS का निविदा कार्य पूर्ण कर कार्य दिनांक 04.12.2023 को M/s Synergy System Solution, Faridabad, Haryana को आवंटित कर दिया गया है।

3. IT/OT के अन्तर्गत ERP के लाइसेंस हेतु आवंटित कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

4. ERP Hardware License के कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है।

5. System Integration & Billing System कार्यों हेतु निविदा को दिनांक 27.08.2024 में स्कैप (Scrap) कर दिनांक 28.08.2024 को पुनः निविदा जारी कर दी गई है।

❖ ITBP- Border Out Post की चौकियो एवं Vibrant Village Program के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने हेतु निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है।

❖ PM-JANMAN योजनान्तर्गत 669 नं0 Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) लाभार्थियों को विद्युत संयोजन प्रदान कर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

13.2.3 Asian Development Bank (ADB) पोषित योजना:– Asian Development Bank (ADB) द्वारा वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:–

- देहरादून शहर के मुख्य मार्गों पर स्थित एच0टी0 एवं एल0टी0 लाईनों को भूमिगत किये जाने के कार्य। (कार्य की लागत ₹ 886.40 करोड)

- 03 नग नये 33/11 के0वी0 उपस्थानों का निर्माण तथा 25 नग निर्मित 33/11 के0वी0 उपस्थानों की क्षमतावृद्धि के कार्य। (कार्य की लागत ₹ 70.38 करोड)

- प्रस्तावित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु Project Implementation Support Consultant (PISC) की नियुक्ति। (कार्य की लागत ₹ 20.25 करोड)

उपरोक्त कार्यो के सापेक्ष देहरादून शहर की विद्युत लाइनों को भूमिगत करने हेतु सर्वे के उपरान्त तैयार बी0ओ0क्यू0 को अनुमोदित कर दिया गया है।

पी0डब्ल्यू0डी0, एम0डी0डी0ए0 एवं नगर निगम इत्यादि विभागों से रोड कटिंग की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा erection का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

Project Implementation Support Consultant (PISC) नियुक्त करने हेतु निविदा की भाग–2 (वित्तीय/दरें) के उपरान्त चयनित संस्था की Ranking हेतु ADB से NoC प्राप्त हो चुकी है। माह जनवरी, 2025 में चयनित PISC के साथ अनुबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 में ₹ 400.00 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष ₹ 200.00 करोड़ उ0पा0का0लि0 को अवमुक्त कर दिये गये हैं। माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 91.89 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। योजना के कार्य वर्ष 2026–27 तक पूर्ण किये जाने लक्ष्यान्वित है।

1.	**वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा प्रमुख नवोन्मेशी (Innovative) योजना का विवरण:** • पी0एम0 सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत सम्मानित उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर पावर प्लांट स्थापित कर 300 यूनिट तक बिजली का लाभ प्राप्त कर सकते है। इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को केन्द्र सरकार द्वारा 1 कि0वा, 2 कि0वा0 एवं 3 कि0वा0 तक के सोलर प्लांट स्थापित करने पर ₹ 33,000/–, ₹ 66,000/– एवं ₹ 85,800/– तक की सब्सिडी तथा राज्य सरकार द्वारा 1, 2 एवं 3 कि0वा0 पर क्रमशः ₹ 17,000/–,₹ 34,000/– एवं ₹ 51,000/– तक की सब्सिडी दिया जाना प्रावधानित है। • पी0एम0 सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं से कुल 31407 आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसके सापेक्ष 31381 आवेदन पत्र अनुमोदित किये जा चुके हैं। योजना के अन्तर्गत कुल 11966 (42.53 मे0वा0 क्षमता) सोलर प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं। योजना के अन्तर्गत कुल 12160 उपभोक्ताओं को ₹ 97.51 करोड़ की सब्सिडी जारी की जा चुकी है। • वित्तीय वर्ष 2025–26 में निर्माण हेतु कुल 47 .50 एम0वी0ए0 क्षमता के 04 नग (1 . श्री केदारनाथजी धाम, 2. जयपुर पाडली, हल्द्वानी, 3. राजकीय आई0टी0आई0, डहरिया, हल्द्वानी, 4. काठगोदाम, हल्द्वानी) 33/11 के0वी0 सबस्टेशनों का निर्माण प्रस्तावित हैं। • केन्द्र पोषित आर0डी0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत 215 सबस्टेशन पर RT-DAS (Real Time Data Acquisition System) प्रणाली को स्थापित करने का कार्य 04 दिसम्बर, 2023 से प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान तक 137 नग सबस्टेशनों पर RT-DAS प्रणाली की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया हैं।
2.	**वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सृजित रोजगार सृजन का विवरण :** उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं एवं आन्तरिक स्रोत के माध्यम से कार्य किये गये। इस योजनाओं के दौरान सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया गया।

3.	विगत 05 वर्षों (2019 से 2024) के अन्तर्गत विभागीय (मुख्य क्रियाकलाप) प्रगति का संक्षिप्त विवरण :
	• श्री केदारनाथ जी धाम को निर्बाध एवं बेहतर विद्युत आपूर्ति हेतु सोनप्रयाग में 2X3 MVA क्षमता के 33/11 के0वी0 उपसंस्थान को ऊर्जीकृत कर क्षेत्र की लो वोल्टेज की समस्या का निवारण किया गया। • आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत हरिद्वार शहर के कुम्भ क्षेत्र में उपरगामी विद्युत लाईनों को भूमिगत करने का कार्य पूर्ण किया गया। • भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एकीकृत विद्युत विकास योजना (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में राज्य के 36 चयनित शहरों में वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु क्षमतावृद्वि, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण इत्यादि से सम्बन्धित (33 के0वी0, 11 के0वी0, एल0टी0 लाइनों एवं उपसंस्थानों के निर्माण एवं सुदृढीकरण के कार्य पूर्ण किये गये। • आईपीडीएस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के 10 नगरों (देहरादून, मुनि–की–रेती, रूड़की, हरिद्वार, कोटद्वार, रूद्रपुर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, किच्छा तथा सितारगंज) में 10 नग GIS (Gas Insulated Switchgear) अधारित उपसंस्थानों के निमार्ण कार्य पूर्ण किये गये। • आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में देहरादून शहर (32 नग) एवं हरिद्वार शहर (7 नग) के विभिन्न सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफ टॉप कुल क्षमता 2587 के0डब्लू0पी0 की स्थापना का कार्य पूर्ण किया गया। • आई0पी0डी0एस0 योजना के तहत RT-DAS (Real Time Data Acquisition System) के द्वारा 66 नगरीय क्षेत्रों के 11 के0वी0 पोषकों की SAIFI/SAIDI की गणना तथा नियोजित एवं अनियोजित विद्युत आपूर्ति व्यवधानों के स्वचालित पृथक्कीकरण हेतु कार्य मई–21 में समय से पूर्व पूर्ण किये गये तथा उत्तराखण्ड राज्य देश में यह परियोजना पूर्ण करने वाला प्रथम राज्य है। • केन्द्र पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के अन्तर्गत सभी अविद्युतीकृत ग्रामों का शत–प्रतिशत विद्युतीकरण, 44 कृषि व अकृषि पोषकों का पृथक्कीकरण एवं 6469 तोकों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया तथा योजना का बन्दीकरण माह मार्च, 2022 में नोडल एजेन्सी मै0 आर0ई0सी0 लि0 को प्रेषित किया जा चुका है।

13.3 उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (Uttarkhand Jal Vidhut Nigam Limited):–

अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलापों में उत्प्रेरक की भूमिका स्वीकार्यता के साथ–साथ विद्युत राजस्व उत्पादन, रोजगार के अवसर बढ़ाने व लोगों के रहन–सहन के स्तर व जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है।

जल विद्युत क्षेत्र प्रदेश में जल विद्युत के विकास के आर्थिक विस्तार के साथ–साथ पर्यावरण एवं सामाजिक पक्ष पर भी बल देता है। जल विद्युत के 25514 मे0वा0 क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन, बढ़ावा व विकास करने की दिशा में अनुकूल नीतियों का निर्धारण करना है। राज्य जल विद्युत के विकास को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से गति प्रदान हो रही है। जल विद्युत विकास हेतु चलते बहाव पर चाहे नदियों का संगम हो या जल प्रपात, को जीवित रखने पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है।

राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की कुल दोहन क्षमता 25514 मे0वा0 है, जिसमें परिचालन के अंतर्गत 4263 मे0वा0 निर्माणाधीन के अंतर्गत 2369 मे0वा0, डी0पी0आर0 अनुमोदित/स्वीकृति प्राप्त/प्रक्रियाधीन के अंतर्गत 7294 मे0वा0 तथा सर्वे एवं इनवेस्टीगेशन के अंतर्गत 7335 मे0वा0 की परियोजना तथा 3834 मे0वा0 की रूकी हुई परियोजनाये हैं एवं 418 मे0वा0 की ऐसी परियोजनायें हैं जोकि अभी तक आवंटित नहीं की गयी हैं।

राज्य पोषित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु अंशपूंजी एवं ऋण प्रदान किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत वृहद जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण, पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं का

जीर्णोधार शामिल है। लखवाड (300 मे0वा0) पर अंशपूंजी / केन्द्रीय सहयोग के द्वारा निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड (120 मे0वा0) का अनुसंधान कार्य पूर्ण कर लिया गया है, पी0आई0बी0 की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है एवं निविदा संबंधी कार्य किया जा रहा है। सेला उर्थिंग (114 मे0वा0) पर भी अनुसंधान एवं नियोजन का कार्य तथा डी0पी0आर0 बनाने का कार्य गतिमान है।

13.3.1 व्यासी परियोजना (120 मे0वा0)

व्यासी परियोजना (120मे0वा0) पर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दिसम्बर, 2021 को व्यासी परियोजना (120मे0वा0) के लोकार्पण उपरान्त 353 मि0यू0 का विद्युत उत्पादन हो रहा है।

13.3.2 लखवाड परियोजना (300 मे0वा0)

इस राष्ट्रीय परियोजना द्वारा जल घटक का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। परियोजना का निर्माण कार्य प्रकियाधीन है।

13.3.3 किशाऊ परियोजना (660 मे0वा0)

इस राष्ट्रीय परियोजना में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना की लागत, जल घटक एवं विद्युत घटक का निर्धारण कर दिया गया है, जिसकी संशोधित लागत 11500 करोड है, जिसमें परियोजना के जल घटक का 90 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है। उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित परियोजना के निर्माण हेतु 50—50 प्रतिशत की सहभागिता के आधार पर ''किशाउ कारपोरेशन लिमिटेड'' के नाम से एक अन्य कम्पनी का गठन 2017 में किया गया है। कम्पनी की निदेशक मण्डल की बैठकों के माध्यम से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

13.3.4 बावला नंदप्रयाग (300 मे0 वा0) की डी0पी0आर0 के सभी अध्यायों का सी0ई0ए0 / सी0डब्ल्यू0सी0 से अनुमोदन प्राप्त हो गया था एवं तकनीकी आर्थिक स्वीकृति मात्र ही शेष थी परंतु सी0डब्ल्यू0सी0 द्वारा मई 2022 में पूर्व में दी गयी सभी स्वीकृतियों को लम्बित किया गया है। साथ ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन प्रारम्भ करने हेतु Term of Reference (ToR) निर्गत किया जाना, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय में लंबित है।

13.3.5 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को गति प्रदान करने हेतु यूजेवीएन लिमिटेड एवं टी0एच0डी0सी0 का संयुक्त उपक्रम ''मै0 टी0एच0डी0सी0आई0एल0 यूजेवीएन लिमिटेड एनर्जी कम्पनी लिमिटेड'' का गठन कर 05 परियोनाएं जिसमें 03 जल विद्युत परियोजनाएं कुल क्षमता 489 मे0वा0 एवं 02 पम्प स्टोरेज परियोजनाएं कुल क्षमता 1230 मे0वा0 की आवंटित की गयी हैं।

साथ ही यूजेवीएन लिमिटेड को लखवाड परियोजना के डाउन स्ट्रीम में 300 मे0वा0 की पम्प स्टोरेज एवं 60 मे0वा0 की हनोल—त्यूनी परियोजनाएं आवंटित की गयी हैं।

13.3.6 नाबार्ड वित्त पोशित परियोजना में सुरिनगाड़—।। (5 मे0वा0) पूर्ण है। वित्तीय संस्थाओं के अन्तर्गत पीएनबी से वित्त पोषित कालीगंगा—।। (4.5 मे0वा0) का लोकार्पण माह दिसम्बर 2022 को किया गया एवं पीएनबी से वित्त पोषित मध्यमहेश्वर (15 मे0वा0) लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो मार्च 2024 में पूर्ण हो गया है।

13.3.7 वाह्य सहायतित योजनाओं में DRIP-2&3 (Dam Rehabilitation Improvement Program) के द्वारा पुराने बैराज एवं बांधों का सुरक्षा की दृष्टि से पुर्नोद्धार का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मनेरी डैम, इछाडी डैम, वीरभद्र बैराज,

डाकपत्थर बैराज, जोशियाड़ा बैराज एवं आसन बैराज शामिल है।

13.3.8 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के अन्तर्गत माह अगस्त 2017 में पौड़ी जनपद में स्थित 1.50 मे0वा0 स्व0 राम प्रसाद नौटियाल लघु जल विद्युत परियोजना दुनाव, माह जनवरी, 2018 में चमोली जनपद में स्थित 3 मे0वा0 उर्गम, फरवरी 2018 में उत्तरकाशी जनपद में स्थित 2.25 मे0वा0 पिलंगाड एवं जुलाई 2020 में रूद्रप्रयाग जनपद में स्थित 4 मे0वा0 कालीगंगा–। का निर्माण कार्य पूर्ण कर नियमित रूप से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।

निगम की ऐसी परियोजनायें जो कि अपनी आयु पूर्ण कर चुकी हैं, को नवजीवन प्रदान करने हेतु आर0एम0यू0 के कार्य तेजी से पूर्ण किये जा रहे हैं, जिससे उन परियोजनाओं में लगभग 20 प्रतिशत की उत्पादन वृद्धि प्राप्त हुई है। इसी क्रम में 90 मेगावाट के तिलोथ विद्युत गृह के आर0एम0यू0 के कार्य सितम्बर 2022 में एवं 51 मेगावाट ढालीपुर के कार्य अक्टूबर 2023 में पूर्ण कर लिये गये हैं। 33.75 मे0वा0 के ढ़करानी एवं 144 मे0वा0 के चीला विद्युत गृहों के आर0एम0यू0 कार्य जारी हैं।

13.3.9 यूजेवीएन लि0 द्वारा अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में 27.905 मे0वा0 की सोलर परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो डाकपत्थर, ढ़करानी तथा पथरी में अवस्थित है एवं प्रति वर्ष लगभग 34.00 मि0यू0 से 40.00 मि0यू0 का विद्युत उत्पादन नियमित रूप से हो रहा है। इसके अतिरिक्त 17 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

1. कुमाऊँ क्षेत्र में 12 मे0वा0 की तांकुल परियोजना की पुनरीक्षित डीपीआर प्रक्रियाधीन है, 15 मे0वा0 की पेनागाड़, 12 मे0वा0 की जिम्मागाड़, की डीपीआर अनुमोदित हो चुकी है एवं भूमि संबंधी अनुमति प्रक्रियाधीन है।

तालिकाः 13.4

यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा जल विद्युत के उत्पादन का विवरण

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य (मि0यू0)	उत्पादन (मि0यू0)
2017–18	5001	4730
2018–19	4700	4663
2019–20	4822	5058
2020–21	5050	4754
2021–22	4837	5157
2022–23	5390	5433
2023–24	5345	4950
2024–25 (दिसम्बर तक)	5306	4398

स्रोतः यूजेवीएन लिमिटेड

2. 120 मे0वा0 की सिरकारीभ्योल रूपसियाबगड का अनुसंधान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं पी0आई0बी0 की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है एवं निविदा संबंधी कार्य किया जा रहा है। 114 मे0वा0 की सेलाउर्थिंग जल विद्युत परियोजना अनुसंधान एवं नियोजन चरण में है।

3. गढ़वाल क्षेत्र में भिलंगना द्वितीय–A (24 मे0वा0) क्षमता की पीआईबी की अनुमति प्राप्त हो गयी है परन्तु भारत सरकार की अनुमति उपरान्त ही आगे की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

4. भिलंगना द्वितीय–B (24 मे0वा0), की डीपीआर अनुमोदित हो गयी है एवं लैंड केस हेतु प्रक्रिया जारी है, लिम्चागाड़ (2 मे0वा0), तपोवन (2.0

मे0वा0) परियोजनाओं का डीपीआर निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं गुप्तकाशी (1.5 मे0वा0) डीपीआर पूर्ण कर ली गयी है।

5. आराकोट–त्यूनी (81 मे0वा0) तथा त्यूनी–प्लासू (72 मे0वा0)जल विद्युत परियोजनायें यूजेवीएनलि0 को आवंटित की गई हैं, इन परियोजनाओं के निर्माण कार्यों हेतु प्रक्रिया गतिमान है। त्यूनी–प्लासू परियोजना की पी0आई0वी0 स्वीकृति उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है एवं निविद संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन हैं।

प्रमुख नवोन्मेषी (Innovative) योजना का विवरण

- विभाग द्वारा नवोन्मुखी परियोजना

अ) यूजेवीएन लिमिटेड एवं वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूडकी के मध्य सतही विद्युत टरबाईन के शोध एवं विकास हेतु समझौता प्रपत्र हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें कैनालों एवं नहरों में सतही टरबाईन लगाकर उत्पादन किया जायेगा। सतही परियोजनाओं के विकास हेतु स्थायी संरचनाओं की आवश्यकता नहीं होती है और न ही प्रकृति को कोई नुकसान होता है। प्रथम चरण में चीला विद्युत गृह के डाउनस्ट्रीम में 100 कि0वा0 की हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाना प्रस्तावित है, जिसकी प्रकिया गतिमान है।

ब) जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु समस्त कार्मिकों हेतु मुख्य प्रगति संकेतक आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू जिसके आधार पर कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान।

स) पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये निगम में समस्त कार्यों हेतु शैड्यूल ऑफ रेट्स लागू किया गया।

द) विभिन्न कार्यों के लिये निविदाओं में समरूपता हेतु मानक निविदा प्रपत्रों (Standard Bid Documents) लागू किये गये।

य) ग्रीन हाइड्रोजन एवं जियोथर्मल के क्षेत्र में भी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है।

र) यूजेवीएन लि0 द्वारा स्वयं 05 पम्प स्टोरेज परियोजनाओं (2650 मि0यू0) एवं (TUECO) के साथ 02 परियोजनाओं (1230 मे0वा0) का विकास किया जाएगा।

ल) बैटरी इनर्जी स्टोरेज स्कीम (BESS) की तीन परियोजनाऐं 5 मे0वा0 / 12.5 मे0वा0 मार्च 2026 तक पूर्ण की जायेगी।

13.3.10 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों से प्रत्यक्ष सृजित रोजगार सृजन का विवरणः जल विद्युत परियाजनाओं के निर्माण से जहाँ परियोजना के आस पास के क्षेत्र का विकास होता है, वहीं रोजगार, चिकित्सा इत्यादि की सुविधा भी क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप 120 मे0वा0 की व्यासी परियोजना के निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हुआ है वहीं पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति जोकि 28 जून 2013 को निर्गत की गयी है, से स्थानीय लोगों जिनकी जमीनें परियोजना में निहित की गयी हैं, को पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हुआ है। इस नीति के अंतर्गत 57 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त

हुआ है एवं अपरोक्ष रूप से स्थानीय बेराजगारों को छोटे–छोटे निविदा के माध्यम से, स्थानीय समितियों के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है। नये रोजगारों की दिशा में वर्ष 2023–24 में 11 एवं 2024–25 से अब तक 57 कार्मिकों की विभिन्न पदों पर भर्ती की गयी।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों के कियान्वयन में रही चुनौतियों एवं समस्याओं का विवरण :

- राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के वर्ष 2010 के निर्णय के अनुसार लगभग 1461 मे0वा0 की परियोजनायें रोक दी गयी हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6736 / 2013 अनुज जोशी बनाम अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड एवं अन्य प्रकरण में दिये गये निर्णय के कारण अलकनंदा एवं भगीरथी नदी घाटी में 24 जल विद्युत परियोजनाओं कुल क्षमता 2945 मे0वा0 के कियान्वयन में रोक लगी हुयी है। उक्त के अतिरिक्त वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तरकाशी से गंगोत्री तक के क्षेत्र को इको सेंसेटिव जोन घोषित किये जाने से उक्त क्षेत्र में प्रस्तावित 15 जल विद्युत परियोजनायें कुल क्षमता 1743 मे0वा0 का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय एवं वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कॉमन पॉलिसी फ्रेम वर्क के अन्तर्गत अगस्त 2021 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किये गये शपथपत्र में केवल 7 जल विद्युत परियोजनाओं (टिहरी द्वितीय चरण, तपोवन विष्णुगाड, विष्णुगाड पीपलकोटी, सिंगोली भटवाड़ी, फाटा ब्यूंग, मदमहेश्वर एवं कालीगंगा–द्वितीय) के निर्माण पर संस्तुति प्रदान की गयी है। जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एन0जी0आर0बी0ए0), भागीरथी ईको–सेंसटिव जोन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में वर्तमान में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी घाटी में प्रस्तावित कुल 70 जल विद्युत परियोजनाओं में से 44 जल विद्युत परियोजनाओं, कुल क्षमता 4797 मे0वा0 के निर्माण पर रोक लगी हुई है।
- उक्त परियोजनाओं के कियान्वयन न होने से राज्य को आर्थिक रूप से हानि हो रही है जिससे उक्त क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है।

13.3.10 राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों, तकनीकी तथा नवाचारों (Investment, Technology and Innovations) हेतु किये गये प्रयासों का विवरण: विश्व बैंक सहायतित ड्रिप के अन्तर्गत विभिन्न बॉध एवं बैराज के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य गतिमान हैं, जिससे 40 वर्ष पूर्व स्थापित डैम एवं बैराज को सुरक्षा एवं जीवन वृद्धि प्राप्त होगी। 90 मे0वा0 के तिलोथ एवं 51 मे0वा0 की ढालीपुर के आरएमयू के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। 33.75 मे0वा0 की ढ़करानी एवं 144 मे0वा0 की चीला विद्युत गृह के आर0एम0यू0 के कार्य जारी हैं।

13.4 उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (Uttarakhand Renewable Energy Development Authority):-

1. सोलर स्ट्रीट लाईटो की स्थापना :– जनपद उधमसिंह नगर में धनराशि रू0 100 लाख से कुल 2000 संख्या सोलर स्ट्रीट लाईटो की स्थापना का कार्य पूर्ण कराया गया है।

2. उत्तराखण्ड राज्य सौर नीति–2023 :–राज्य में हरित ऊर्जा के विकास एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी लाये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य सौर ऊर्जा नीति–2023 प्रख्यापित की गई है। जिसमें वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सौर परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित है जिसके अन्तर्गत आर0पी0ओ0 की पूर्ति हेतु सौर परियोजनाऐं, रूफ टॉप सोलर पावर प्लान्ट, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सरकारी भवनों में सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना एवं उद्योगो द्वारा स्वंय की खपत की पूर्ति हेतु कैप्टिव सोलर पावर प्लान्ट एवं अन्य सोलर संयत्रों जैसे–सोलर स्ट्रीट लाईट, सोलर हाईमास्ट लाईट आदि की स्थापना लक्षित है।

वर्ष 2019 से वर्तमान तक आवंटित 283 परियोजनाओं में से 238 (सम्मिलित क्षमता 170.00 मे0वा0) स्थापित हो चुकी है।

3. शासकीय भवनों में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लान्ट योजना :– राज्य के समस्त शासकीय भवनो पर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 100.00 करोड स्वीकृत किये गये है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 344 शासकीय भवनों में 18.50 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना की जानी है।

4. पी0एम0 सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना :– एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार द्वारा ग्रिड कनेक्टेड रूफटाप सोलर पावर प्लान्ट योजना के अन्तर्गत 01 कि0वा0 से 02 कि0वा0 तक ₹ 33,000.00 प्रति कि0वा कुल 66000.00 तथा 03 कि0वा0 पर 19800.00 अधिकतम, कुल ₹ 85,800. 00 का अनुदान प्रदान किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी मेचिंग ग्रान्ट के रूप में लाभार्थियों को अनुदान प्रदान किया जा रहा है। 1 कि0वा0 से 10 कि0वा0 तक के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट पर ₹ 17000.00 प्रति कि0वा0 एवं अधिकतम सीमा ₹ 51,000.00 तक अनुदान अनुमन्य है।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अन्र्तगत यू0पी0सी0एल0 के घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा ग्रिड कन्क्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लान्ट स्थापित किये जा सकते है। इस योजना हेतु एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार द्वारा निर्मित पोर्टल www.pmsuryaghar.gov.in पर online आवेदन किये जा रहे है। वर्तमान तक कुल 759 लाभार्थियों को 2.28 मेगावाट क्षमता के सयंत्रों की स्थापना के सापेक्ष कुल ₹ 387.52 लाख का राज्य अनुदान निर्गत किया जा चुका है।

एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार द्वारा जिन उपभोक्ताओं को अनुदान का भुगतान कर दिया गया हो, जिला उरेडा कार्यालय में उक्त स्वीकृति संबंधी उनके दस्तावेजों सहित, आधार कार्ड/बैंक खाता के प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा किये जायेगें। जनपदीय अधिकारी उरेडा उत्तराखण्ड द्वारा सत्यापन के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान प्रदान किया जायेगा।

5. लघु जल विद्युत परियोजना :– राज्य में उरेडा द्वारा वर्तमान में कुल 09 लघु जल विद्युत परियोजनाऐं संचालित है जिनकी कुल संचयी क्षमता 6.150 मेगावाट है जिनसे प्रतिवर्ष 28.48 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन को ग्रिड में प्रवाहित कर ग्रिड स्टेब्लिटी को बेहतर किया जा सकता है।

6. सोलर वाटर हीटर पर राज्य अनुदान :– घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर वाटर हीटर संयत्रों की स्थापना के सापेक्ष आवेदन अनुसार क्रमशः 50 एवं 30 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु एन.आई.सी. के माध्यम से पोर्टल तैयार कराया गया है। पोर्टल पर लाभार्थी संयत्र स्थापना के सापेक्ष अनुमन्य अनुदान धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान तक

106 लाभार्थियों को कुल सम्मिलित क्षमता 37200 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयत्रों की स्थापना के सापेक्ष ₹ 29.00 लाख का राज्य अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

आवेदन एवं चयन हेतु Online portal www.uredaonline.uk.gov.in विकसित किया गया है। आवेदनकर्ता Online portal पर अपने मोबाईल नम्बर, स्थापना स्थल की सूचना, आधार कार्ड, विद्युत बिल, स्थापित संयत्र के बिल की प्रति, निर्धारित स्व–घोषणा पत्र, अनुदान प्राप्त करने हेतु खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति तथा निदेशक उरेडा के पक्ष में निर्धारित आवेदन शुल्क के ड्राफ्ट की प्रति/ऑनलाईन आवेदन शुल्क स्थानान्तरित किये जाने की रसीद portal पर अपलोड कर पंजीकरण करा सकते है। पंजीकरण के समय स्थापित संयत्र की क्षमता का अंकन किया जाना होगा ।

प्रति 100 ली0 प्रतिदिन क्षमता हेतु ₹ 100/– के आधार पर क्षमता अनुसार आवेदन शुल्क Online पोर्टल में किया जाना होगा। निर्धारित शुल्क प्राप्त न होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

आगामी वित्तीय वर्षों में भी अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों में से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के सापेक्ष "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर उपलब्ध बजट धनराशि सीमा तक ही अनुदान अवमुक्त किया जायेगा ।

7. सोलर हाईमास्ट एवं सोलर स्ट्रीट लाईट– प्रदेश के सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक उपयोग हेतु 26390 सोलर स्ट्रीट लाईट एवं 1016 हाईमास्ट की स्थापना लक्षित है जिसमें से 9769 सोलर स्ट्रीट लाईटो एवं 392 हाईमास्ट संयत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है तथा शेष संयत्रों का स्थापना कार्य प्रगति पर है।

8. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बायोगैस योजना :–ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की पूर्ति के लिये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के अन्तर्गत पारिवारिक बायोगैस संयत्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। बायोगैस संयंत्र की स्थापना से उच्च कोटि की खाद (कम्पोस्ट) प्राप्त की जा सकती है। छोटे बायोगैस प्लान्ट में अनुमानित धनराशि ₹ 40,000.00 लगभग व्यय होती है तथा विभाग से रू0 22,000.00 का अनुदान दिया जाता है।

वर्ष 2009–10 से वर्तमान तक 7231 पारिवारिक बायोगैस सयंत्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 165 पारिवारिक बायोगैस संयत्रों की स्थापना लक्षित है, जिसके सापेक्ष 125 बायोगैस संयत्र की स्थापना कराई जा चुकी है।

9. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना :– पात्र आवेदकों/लाभार्थियों को 20/25/50/100 एंव 200 कि0वा0 क्षमता की सौर परियोजनाओं का आवंटन कर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

- 20 किलोवाट हेतु अनुमानित व्यय ₹ 10 लाख एवं 300–400 वर्ग मी0 भूमि की आवश्यकता होगी।
- 25 किलोवाट हेतु अनुमानित व्यय ₹ 12.50 लाख एवं 300–400 वर्ग मी0 भूमि की आवश्यकता होगी
- 50 किलोवाट हेतु अनुमानित व्यय ₹ 25.00 लाख एवं 750–1000 वर्ग मी0 भूमि की आवश्यकता होगी।
- 100 किलोवाट हेतु अनुमानित व्यय ₹ 50.00 लाख एवं 1500–2000 वर्ग मी0 भूमि की आवश्यकता होगी।
- 200 किलोवाट हेतु अनुमानित व्यय ₹ 100.00 लाख एवं 3000–4000 वर्ग मी0 भूमि की

आवश्यकता होगी।

(चयनित लाभार्थीयों को जिला सहकारी बैंकों से 8 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। MSME नीति–2023 के अर्न्तगत अनुमन्य लाभ / प्रोत्साहन देय है। आवंटित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से उत्पादित विद्युत को यू0पी0सी0एल0 द्वारा 25 वर्षो के लिये क्रय किया जायेगा। विक्रय की गयी विद्युत का टैरिफ दरों के अनुसार यू0पी0सी0एल0 द्वारा भुगतान किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी ही आवेदन हेतु पात्र होगें। 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जाना है। आवेदक द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु केवल प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाईटी के रूप में स्थापना अनुमन्य नहीं होगी। ऑन लाइन पोर्टल www.msy.uk.gov.in पर आवेदन हेतु स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, आवेदन शुल्क, शपथ पत्र , प्रस्तावित भूमि विवरण सम्बन्धित दस्तावेजो की आवश्यकता होगी। पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पूर्ण पाये जाने पर यू0पी0सी0एल0 को TFR हेतु प्रेषित किया जायेगा, यू0पी0सी0एल0 द्वारा उक्त कार्यवाही के उपरान्त आवेदन को वापस उरेड़ा को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके उपरान्त जनपदीय कार्यालय द्वारा आवंटन समिति के सम्मुख प्रस्तुत करते हुये समिति के अनुमोदन उपरान्त उरेडा द्वारा आवेदक को सोलर पावर प्लान्ट का आवंटन किया जाता है।) वर्तमान तक 174 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का आवॅटन किया जा चुका है।

13.5 पावॅर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड़ (PTCUL):–

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) उत्तराखंड सरकार का उद्यम और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के तहत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है। साथ ही पिटकुल विद्युत अधिनियम 2003 में परिभाषित एसटीयू है, जिसका मूल उद्देश्य अतिरिक्त उच्च वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज, निम्न वोल्टेज लाईनों और सब–स्टेशनों का अधिग्रहण, स्थापना, निर्माण और संचालन करना है।

वर्तमान में पिटकुल के उपकेन्द्रों की कुल संख्या 45 से बढ़कर 50 (कुल 9312.5 एम0वी0ए0) क्षमता एवं पारेषण लाईनों की कुल लम्बाई 3456 सर्किट कि0मी0 से बढ़कर 3510.59 सर्किट कि0मी0 हो गई है।

वर्ष 2023–24 में पिटकुल की विद्युत पारेषण उपलब्धता (Transmission System Availability) 99.70 प्रतिशत, पारेषण हानियाँ (Line Loss) 1.04 प्रतिशत है जो कि अन्य राज्यों की श्रेष्ठतम् पारेषण निगमों के समतुल्य है। पिटकुल को REC द्वारा A+ की क्रेडिट रेटिंग दी गई है जिसके फलस्वरूप पिटकुल को ऋण में 0.25 फीसदी की छूट मिलेगी, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में प्राप्त हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में पिटकुल द्वारा चम्पावत जिलें में सी0एस0आर0 मद के अन्तर्गत Women Technology Park की स्थापना एवं 10 आंगनबाड़ी केन्द्र के उच्चीकरण हेतु पिटकुल द्वारा कुल 115.84 लाख स्वीकृत किये गये।

प्रतिदिन विद्युत की बढ़ती मांग, तेजी से हो रहे शहरीकरण, उद्योगों के विस्तार तथा चार धाम एवं अन्य धार्मिक यात्राओं में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण विद्युत की मांग में वृद्धि तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधीकरण द्वारा उत्तराखण्ड हेतु नवम्बर 2022 में जारी 20वीं National Electricity Plan of CEA Resources Adequacy Plan को ध्यान में रखते हुए पिटकुल,

उपाकालि एवं यू.जे.वी.एन.एल. संयुक्त रूप से उत्तराखण्ड राज्य का पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क प्लान तैयार किया गया जिसको माह सितम्बर 2024 में स्वीकृति प्रदान की गई।

वर्तमान में पिटकुल द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओ का संक्षेप विवरणः—

13.5. 1400 के0वी0 तपोवन—विष्णुगाड—

पीपलकोटी लाईनः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में कुल 36 सर्किट कि0मी0 लम्बी तपोवन—विष्णुगाड—पीपलकोटी लाईन हेतु माह अक्टूबर 2024 तक रू0 4194.92 लाख व्यय किया गया है, परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2025 है।

13.5.2 400 के0वी0 डबल सर्किट पीपलकोटी श्रीनगर लाईन (पीपलकोटी से नाकोट पैकेज 1):—वित्तीय वर्ष 2023—24 माह अक्टूबर 2024 तक ₹ 15362.51 लाख व्यय किया गया है, जिसकी भौतिक प्रगति 70 प्रतिशत एवं परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2025 है।

13.5.3 400 के0वी0 डबल सर्किट पीपलकोटी श्रीनगर लाईन (नाकोट से दानपुर पैकेज 2):—

वित्तीय वर्ष 2023—24 में माह अक्टूबर 2024 तक ₹ 19584.13 लाख व्यय किया गया है, जिसकी भौतिक प्रगति 88 प्रतिशत एवं परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य दिसम्बर 2024 है।

13.5.4 400 के0वी0 डबल सर्किट पीपलकोटी श्रीनगर लाईन (दानपुर से 400 के0वी0 उपसस्थान, श्रीनगर (खन्दुखाल) पैकेज 3):—वित्तीय वर्ष 2023—24 में माह अक्टूबर 2024 तक ₹ 17658.75 लाख व्यय किया गया है, जिसकी भौतिक प्रगति 72 प्रतिशत एवं परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2025 है।

13.5.5 220 के0 वी0 डबल सर्किट लाईनः— (सिंगोली भटवाडी जल विद्युत परियोजना के इन्टर कनेक्शन प्वांइट से प्रस्तावित रूद्रपुर (ब्रहमवारी) उपसंस्थान तक) वर्तमान में पारेषण लाईन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना की कुल लम्बाई 31 सर्किट कि0मी0 है। वित्तीय वर्ष 2024—25 में माह अक्टूबर 2024 तक ₹ 10182.09 लाख व्यय कर 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है, परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2025 है।

13.5.6 220 के0वी0 डबल सर्किट बरम—जौलजीवी लाईन का निर्माण 220/33 केवी सब स्टेशन बरम को सक्रिय करने के उद्देश्य (लोकेशन नं0 1 से 26 तक):—वित्तीय वर्ष 2024—25 में माह अक्टूबर 2024 तक ₹ 1646. 64 लाख व्यय किया गया है, जिसकी भौतिक प्रगति 78 प्रतिशत एवं परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य अप्रैल 2025 है।

13.5.7 220 के0वी0 डबल सर्किट बरम—जौलजीवी लाईन का निर्माण 220/33 केवी सब स्टेशन बरम को सक्रिय करने के उद्देश्य (लोकेशन नं0 27 से 400 के0वी0 उपसंस्थान पी.जी.सी.आई.एल.):—वित्तीय वर्ष 2024—25 में माह अक्टूबर 2024 तक ₹ 653.50 लाख व्यय किया गया है, जिसकी भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत एवं परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य फरवरी 2025 है।

13.5.8 132 के0वी0 पुरकुल—बिन्दाल लिंक लाईन (10.73 कि0मी0):— इस पारेषण लाईन का मार्ग देहरादून के शहरी क्षेत्र में बिन्दाल नदी के किनारे सेना की भूमि, अनारवाला, गुच्चुपानी से पुरूकुल के मध्य आवासीय, व्यवसायिक एवं पर्यटन स्थलों के आस—पास से निकल रहा है। वित्तीय वर्ष 2024—25 में माह अक्टूबर 2024 तक ₹ 1623. 94 लाख व्यय कर 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है, परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2025 है।

13.5.9 आगामी प्रस्तावित परियोजनाएं –

अल्पकालिक कार्य योजना पर कार्यवाही की अद्यतन स्थिति

समयावधि	योजना	लक्ष्य
अल्पकालिक (1–2 वर्ष) दिसम्बर, 2026 तक	1. 132 केवी बिंदाल–पुरकुल लाईन। (11 सर्किट किमी) राज्य सेक्टर	दिसम्बर, 2024
	2. 220 केवी एल एण्ड टी – ब्रहमवारी लाईन। (31 सर्किट किमी) राज्य सेक्टर	मार्च, 2025
	3. 400 केवी पीपलकोटी–श्रीनगर लाईन (पैकेज– 1, 2, 3)। (173 सर्किट किमी) राज्य सेक्टर	मार्च, 2025
	4. 400 केवी तपोवन–पीपलकोटी लाईन। (36 सर्किट किमी) राज्य सेक्टर	
	5. 220 केवी बरम–जौलजीवी लाईन। (25 सर्किट किमी) राज्य सेक्टर	अप्रैल, 2025
	6. 220 केवी जी0आई0एस0 उपसंस्थान बरम (50 एम0वी0ए0) (मात्र ऊर्जीकरण) राज्य सेक्टर	
	7. एस.एल.डी.सी. भवन का निर्माण कार्य 132 के0वी0 उपसंस्थान माजरा में।	मई, 2026
	ए0डी0बी0 पोशित निर्माणाधीन कार्यः–	
	1. 220 के0वी0 जी0आई0एस0 उपसंस्थान सेलाकुई, देहरादून (2X50 एम0वी0ए0) ए0डी0बी0 पोषित	जुलाई, 2026
	2. 220/132/33 के0वी0 उपसंस्थान मंगलौर (2X160 एम0वी0ए0) ए0डी0बी0 पोषित	जुलाई, 2026
	3. 132/33 के0वी0 (2 X40 एम0वी0ए0) जी0आई0एस0 उपसंस्थान आराघर ए0डी0बी0 पोषित	जुलाई, 2026
	4. 132/33 के0वी0 (2X40 एम0वी0ए0) उपसंस्थान खटीमा–ए0डी0बी0 पोशित	जुलाई, 2026
	5. 132/33 के0वी0 जी0आई0एस0 उपसंस्थान लोहाघाट (2 X20 एम0वी0ए0) ए0डी0बी0 पोषित	जुलाई, 2026
	6. 132/33 के0वी0 (2X40 एम0वी0ए0) जी0आई0एस0 उपसंस्थान धौलाखेड़ा ए0डी0बी0 पोषित	जुलाई, 2026
समयावधि	**योजना**	**लक्ष्य**
अल्पकालिक (1–2 वर्ष) दिसम्बर, 2026 तक	1. 400 केवी स्वीचिंग उपसंस्थान पीपलकोटी एवं लाईन	लाईन मार्च 2026 एवं उपसंस्थान जून 2026
	2. 132 के0वी0 माजरा–लालतप्पड़ लाईन का लीलो प्रस्तावित 132 के0वी0 केबल के माध्यम से उपसंस्थान आराघर पर।	अप्रैल 2026
	3. 220 के0वी0 खोदरी–झाझरा लाईन का लीलो प्रस्तावित 220 के0वी0 उपसंस्थान सेलाकुई पर केबल के माध्यम से।	अप्रैल 2026
	4. 220 के0वी0 रूड़की–नारा लाईन का लीलो 220/132/33 के0वी0 उपसंस्थान मंगलौर पर।	जून 2026
	5. 132 के0वी0 उपसंस्थान चीला–पदार्था लाईन।	अक्टूबर 2026
	6. 132 के0वी0 पिरानकलियर–भगवानपुर–एल.एस.एम. रूड़की लाईन।	दिसम्बर 2026
	8. 132 के0वी0 पिरानकलियर–चुडीयाला–रूड़की लाईन।	दिसम्बर 2026

समयावधि	योजना	लक्ष्य
अल्पकालिक (1–2 वर्ष) दिसम्बर, 2026 तक	**क्षमता वृद्धि का कार्यः–**	
	1. 132 के0वी0 उपसंस्थान पिथौरागढ़ की क्षमता वृद्धि का कार्य (40 एम0वी0ए0)	फरवरी, 2025
	2. 132 के0वी0 मंगलौर–आसाही लाईन का लीलो 220 के0वी0 उपसंस्थान मंगलौर पर।	जनवरी 2026
	3. 132 के0वी0 काठगोदाम–रूद्रपुर लाईन का लीलो प्रस्तावित 132 के0वी0 धौलाखेड़ा उपसंस्थान पर।	जनवरी 2026
	4. 132 के0वी0 खटीमा–सीतारगंज लाईन का लीलो प्रस्तावित 132 के0वी0 उपसंस्थान खटीमा–II पर	जनवरी 2026
	5.132 के .0वी0 डबल सर्किट पिथौरागढ़ (पी0जी0सी0आई0एल0)–चम्पावत (लोहाघाट) ट्रांसमिशन लाईन के दूसरे सर्किट पर तार खिंचाई का कार्य (39 .33 कि0मी0) ए0डी0बी0 पोषित ।	जनवरी 2026
	6. 400 केवी उपसंस्थान काशीपुर की क्षमता वृद्धि का कार्य (500 एम0वी0ए0)	फरवरी, 2026
	7. 400 के0वी0 उपसस्थान काशीपुर (क्षमता वृद्धि– 500 एम.वी.ए.)	दिसम्बर 2026
	8. 220 / 132 / 33 के0वी0 उपसंस्थान ऋषिकेश।(क्षमता वृद्धि– 160 एम.वी.ए.)	दिसम्बर 2026
	9. 132 / 33 के0वी0 उपसंस्थान आई.डी.पी.एल.। (क्षमता वृद्धि– 20 एम.वी.ए.)	दिसम्बर 2026
	10. 132 के0वी0 काठगोदाम। (क्षमता वृद्धि– 80 एम.वी.ए.)	दिसम्बर 2026
	11. 66 के0वी0 उपसंस्थान थिथ्की। (क्षमता वृद्धि– 30 एम.वी.ए.)	दिसम्बर 2026
	12. 132 के0वी0 हल्द्वानी–काठगोदाम लाईन।	दिसम्बर 2026
	13. 132 के0वी0 चीला–पदार्था लाईन।	अक्टूबर 2026
	14. 132 के0वी0 पदार्था–नजीबाबाद–कोठद्वार लाईन।	अक्टूबर 2026
	15. 66 के0वी0 श्रीनगर–जोशीमठ लाईन को सुदृढ करने का कार्य।	जून 2026
	16. 220 के0वी0 झाझरा–व्यासी लाईन को 400 के0वी0 उपसंस्थान शेरपुर (पीजी. सी.आई.एल) पर टर्मिनेशन का कार्य।	अप्रैल 2026
	17. 132 के0वी0 पिरान कलियर–भगवानपुर–एल.एस.एम.–रूड़की लाईन।	दिसम्बर 2026
	18. 132 के0वी0 पिरान कलियर–चुडीयाला–रूड़की लाईन।	दिसम्बर 2026
	19. 220 के0वी0 ऋषिकेश–धरासू लाईन की रिराउटिंग के कार्य।	जून 2026

समयावधि	योजना	लक्ष्य
अल्पकालिक (1–2 वर्ष) दिसम्बर, 2026 तक	**एच.टी.एल.एस. के कार्यः–**	
	1. 132 के0वी0 माजरा–झाझरा लाईन।	फरवरी 2026
	2. 132 के0वी0 ऋषिकेश–टी प्वाईट–भूपतवाला लाईन।(27 सर्किट किमी)	अगस्त, 2025
	3. 66 के0वी0 रूड़की–थिथ्की– मोहम्मदपुर लाईन। (42.6 सर्किट किमी)	अगस्त, 2025
	4. 132 के0वी0 काठगोदाम–भवाली लाईन।(14.06 सर्किट किमी)	दिसम्बर, 2025
	5. 132 के0वी0 सीतारगंज (पी.जी.सी.आई.एल.)– एलडीगो सीतारगंज लाईन एवं 132 के0वी0 किच्छा–सीतारगंज लाईन।	फरवरी 2026
	6. 220 के0वी0 रूड़की–पुहाना लाईन।	अप्रैल 2026

मध्यकालिक कार्य योजना पर कार्यवाही की अद्यतन स्थिति

समयावधि	योजना	लक्ष्य
मध्यकालिक (2–5 वर्ष), जनवरी, 2027 से दिसम्बर, 2029 तक	1. 220 केवी उपसंस्थान बरमवारी (60 एम0वी0ए0)	मार्च, 2027
	2. 132 / 33 के0वी0 (2 X40 एम0वी0ए0) ए0आई0एस0 उपसंस्थान सरवडखेड़ा (उधमसिंह नगर) ए0डी0बी0 पोषित	मार्च, 2027
	4.132 के0वी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण (220 के0वी0 उपसंस्थान मेहुआ खेड़ागंज से 132 के0वी0 उपसंस्थान जसपुर) (23 .32 कि0मी0) ए0डी0बी0 पोषित	मार्च, 2027
	5. 220 / 132 के0वी0 रायपुर (भगवानपुर) उपसंस्थान एवं लाईन	नवम्बर, 2027
	6. 400 के0वी0 (2X315 एम0वी0ए0) जी0आई0एस0 उपसंस्थान रूड़की एवं लाईन	दिसम्बर, 2028
	7. 220 / 33 के0वी0 उपसंस्थान नौगांव एवं सम्बन्धित लाईन।	दिसम्बर 2029
	8. 132 / 33 के0वी0 उपसंस्थान भिक्यासैण।	दिसम्बर 2029
	9. 220 के0वी0 उपसंस्थान मुन्सयारी एवं समबन्धित लाईन।	दिसम्बर 2029
	10. 132 / 33 के0वी0 उपसंस्थान कपकोट।	दिसम्बर 2029
	एच.टी.एल.एस. के कार्य:–	
	1. 132 के0वी0 बिंदाल–माजरा लाईन।	जून 2027
	2. 132 के0वी0 माजरा–लालतप्पड़ लाईन।	जुलाई 2027
	3. 132 के0वी0 पुरकुल–झाझरा लाईन।	अप्रैल 2027
	4. 132 के0वी0 बिंदाल–ऋषिकेश लाईन।	मई 2027
	5. 132 के0वी0 काशीपुर (400)–काशीपुर (सर्किट–1) सिंगल सर्किट लाईन।	दिसम्बर 2027
	6. 132 के0वी0 काशीपुर (400)–काशीपुर (सर्किट–2) सिंगल सर्किट लाईन।	
	7. 132 के0वी0 बिंदाल–माजरा लाईन।	जून 2027
	8. 132 के0वी0 माजरा–लालतप्पड़ लाईन।	जुलाई 2027
	9. 132 के0वी0 पुरकुल–झाझरा लाईन।	अप्रैल 2027
	10. 132 के0वी0 बिंदाल–ऋषिकेश लाईन।	मई 2027
	11. 132 के0वी0 काशीपुर (400)–काशीपुर (सर्किट–1) सिंगल सर्किट लाईन।	दिसम्बर 2027
	12. 132 के0वी0 काशीपुर (400)–काशीपुर (सर्किट–2) सिंगल सर्किट लाईन।	
	13. 220 के0वी0 सिडकुल–ऋषिकेश लाईन।	दिसम्बर 2028
	14. 02 नम्बर 132 के0वी0 बे का निर्माण 132 के0वी0 उपसंस्थान सतपुली पर ।	जनवरी 2027
	15. 220 के0वी0 पिरान कलियर–सिडकुल लाईन।	दिसम्बर 2028
	16. 220 के0वी0 आई.आई.पी. हर्रावाला–ऋषिकेश लाईन।	मार्च 2027
	17. 132 के0वी0 सिडकुल–रूड़की, ज्वालापुर–रूड़की एवं सिडकुल–ज्वालापुर प्रथम सर्किट।	जून 2027
	18. 132 के0वी0 काशीपुर (400 के0वी0)– जसपुर लाईन।	जून 2027
	19. 132 के0वी0 ऋषिकेश–श्रीनगर लाईन।	सितम्बर 2027
	20. 400 / 220 के0वी0 ऐ.आई.एस. उपसंस्थान खुर्पिया फार्म–किच्छा एवं सम्बन्धित लाईन	नवम्बर 2027
	20. 400 / 132 केवी स्वीचिंग उपसंस्थान पीपलकोटी का विस्तार एवं लाईन	मार्च 2028

समयावधि	योजना	लक्ष्य
मध्यकालिक (2–5 वर्ष), जनवरी, 2027 से दिसम्बर, 2029 तक	**क्षमता वृद्धि के कार्यः–**	
	1. 132 के0वी0 उपसंस्थान किच्छा (क्षमता वृद्धि 40 एम.वी.ए.)	जून 2027
	2. 132 के0वी0 उपसंस्थान माजरा (क्षमता वृद्धि 40 एम.वी.ए.)	जून 2027
	3. 132 के0वी0 उपसंस्थान रूद्रपुर (क्षमता वृद्धि 20 एम.वी.ए.)	जून 2027
	4. 220 के0वी0 उपसंस्थान रूड़की (क्षमता वृद्धि 100 एम.वी.ए.)	जून 2027
	5. 132 के0वी0 उपसंस्थान भगवानपुर (क्षमता वृद्धि 40 एम.वी.ए.)	जून 2027
	6. 132 के0वी0 उपसंस्थान श्रीनगर (गढ़वाल) (132 / 66 के0वी0 क्षमता वृद्धि 25 एम.वी.ए.), (132 / 33 के0वी0 क्षमता वृद्धि 20 एम.वी.ए.)	जून 2027
	7. 132 के0वी0 उपसंस्थान अल्मोड़ा (क्षमता वृद्धि 20 एम.वी.ए.)	अप्रैल 2028
	8. 132 के0वी0 उपसंस्थान रानीखेत (क्षमता वृद्धि 10 एम.वी.ए.)	अप्रैल 2028
	9. 66 के0वी0 उपसंस्थान कोठीयालसेण (क्षमता वृद्धि 7.5 एम.वी.ए.)	अप्रैल 2028
	10. 66 के0वी0 उपसंस्थान कर्णप्रयाग (क्षमता वृद्धि 7.5 एम.वी.ए.)	अप्रैल 2028
	11. 220 के0वी0 उपसंस्थान पतंनगर (क्षमता वृद्धि 160 एम.वी.ए.)	अप्रैल 2028
	12. 220 के0वी0 उपसंस्थान चम्बा (क्षमता वृद्धि 25 एम.वी.ए.)	अप्रैल 2028
	13. 220 के0वी0 उपसंस्थान कमलूआगांजा (क्षमता वृद्धि 40 एम.वी.ए.)	अप्रैल 2029
	14. 132 के0वी0 उपसंस्थान रूड़की (132 / 66 के0वी0 क्षमता वृद्धि 60 एम.वी.ए.), (132 / 33 के0वी0 क्षमता वृद्धि 80 एम.वी.ए.)	जनवरी 2029
	15. 132 के0वी0 उपसंस्थान मंगलौर (क्षमता वृद्धि 40 एम.वी.ए.)	जनवरी 2029
	16. 220 के0वी0 उपसंस्थान सिडकुल (क्षमता वृद्धि 80 एम.वी.ए.)	मार्च 2029
	17. 132 के0वी0 उपसंस्थान भूपतवाला (क्षमता वृद्धि 80 एम.वी.ए.)	मार्च 2029

दीर्घकालिक कार्य योजना पर कार्यवाही की अद्यतन स्थिति

समयावधि	योजना	लक्ष्य
दीर्घकालिक जनवरी 2030 से जून, 2031 तक	1. 220 के0वी0 उपसंस्थान थल एवं सम्बन्धित लाईन	मार्च, 2029
	2. 220 के0वी0 उपसंस्थान अल्मोडा एवं सम्बन्धित लाईन	
	3. 220 के0वी0 उपसंस्थान खुर्पिया फार्म एवं सम्बन्धित लाईन	मार्च, 2030
	क्षमता वृद्धि के कार्यः–	
	1. 400 के0वी0 उपसंस्थान ऋषिकेश (क्षमता वृद्धि 500 एम.वी.ए.)	मार्च, 2030
	2. 220 के0वी0 उपसंस्थान आई.आई.पी. हर्रावाला (क्षमता वृद्धि 100 एम.वी.ए.)	जनवरी 2030
	3. 220 के0वी0 उपसंस्थान महूवा खेड़ागंज (क्षमता वृद्धि 120 एम.वी.ए.)	जनवरी 2030
	4. 220 के0वी0 जी0आई0एस0 उपसंस्थान तवाघाट एवं लीलो 220 के0वी0 धौलीगंगा से जौलजीवी लाईन।	दिसम्बर 2030
	5. 220 / 132 / 33 के0वी0 उपसंस्थान बाजपुर–द्वितीय एवं सम्बन्धित लाईन।	दिसम्बर 2031
	6. 220 / 132 / 33 के0वी0 उपसंस्थान लण्ढौरा एवं समबन्धित लाईन।	दिसम्बर 2031

अध्याय–14

जल संसाधन एवं प्रबन्धन

Water Resources & Management

सामान्य विवरण : उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत कुछ मैदानी क्षेत्र के अतिरिक्त अधिकतर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित हैं। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत पेयजल सुविधा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित हैं।

संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य संख्या–6 की प्राप्ति हेतु सभी के लिए स्वच्छता और जल के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, जिस हेतु राज्य में उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड जल संस्थान, परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना इत्यादि संस्थाओं द्वारा ग्रामीण, नगरीय एव अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में कार्य किया जाता हैं। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (Liter Per Capita Daily- LPCD) तथा शहरी क्षेत्र में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (Liter Per Capita Daily- LPCD) की आपूर्ति लक्षित है।

14.1 ग्रामीण पेयजल :

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित जेजेएम–आईएमआईएस पोर्टल के अनुसार दिनांक 01.04.2024 के अनुरूप राज्यान्तर्गत कुल 38,622 बस्तियों के सापेक्ष कुल 14,50,619 ग्रामीण परिवार परिदर्शित है। ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नानुसार परियोजना क्रियान्वित कराई जा रही है:–

14.1.1 जल जीवन मिशन : भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना ''जल जीवन मिशन'' में ''हर घर नल से जल'' के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक समस्त ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू जल संयोजन (FHTCs) उपलब्ध कराना लक्षित है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाना है।

उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के 14,50,619 परिवारों को माह मार्च 2025 तक घरेलू क्रियाशील नल संयोजन (Functional Household Tap Connections-FHTCs) के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति की दर एवं BIS–10500 द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति की जानी है। JJM-MIS पोर्टल पर उपलब्ध आंकडों के अनुरूप दिनांक 31.03.2024 तक 13,64,620 ग्रामीण परिवारों को घरेलू क्रियाशील नल संयोजन (FHTCs) उपलब्ध कराये जा चुके थे। तदोपरान्त वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निर्धारित लक्ष्य 88,538–एफ.एच.टी.सी. के सापेक्ष वर्ष 2024–25 में दिनांक 21.12.2024 तक 43,205 FHTCs दिए जा चुके है। इस प्रकार वर्तमान तक कुल 14,07,825 (97.05%) ग्रामीण परिवार नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किये जा चुके हैं तथा अवशेष ग्रामीण परिवारों को मार्च 2025 तक नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किया जाना लक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु परियोजना पर कुल अनुमोदित परिव्यय ₹ 1066.80 करोड (केन्द्रांश– ₹ 1016.80 करोड व राज्यांश– ₹ 50.00 करोड़) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से दिनांक 21.12.2024 तक ₹ 591.07 करोड़ की धनराशि परियोजना पर व्यय की जा चुकी है।

तालिका–14.1
जनपदवार दिए गए व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजनों की संख्या (वर्ष 2024–2025)

जनपद	01.04.2024 को कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या	01.04.2024 तक दिए गए घरेलू जल संयोजनों की संख्या	वर्ष 2024–25 में दिनांक 21.12.2024 तक दिए गए जल संयोजनों की संख्या			दिनांक 21.12.2024 तक कुल दिए गये घरेलू जल संयोजनों की संख्या
			घरेलू	प्राईवेट / स्वंय के संसाधनों से	योग	
01	03	03	04	05	6 (4+5)	7 (3+6)
देहरादून	129491	129404	45	0	45	129449
हरिद्वार	249725	228753	8877	0	8877	237630
पौड़ी गढ़वाल	111552	110721	2	0	2	110723
टिहरी गढ़वाल	129099	128395	84	30	114	128509
उत्तरकाशी	65013	64957	30	0	30	64987
चमोली	76725	76442	36	0	36	76478
रूद्रप्रयाग	55119	54265	418	0	418	54683
अल्मोड़ा	126280	105487	9409	227	9636	115123
बागेश्वर	54659	54274	369	0	369	54643
चम्पावत	45141	44603	172	0	172	44775
नैनीताल	114714	95505	7995	767	8762	104267
पिथौरागढ़	94577	91567	2436	0	2436	94003
ऊधमसिंह नगर	198524	180247	6231	6077	12308	192555
कुल	**1450619**	**1364620**	**36104**	**7101**	**43205**	**1407825**

स्रोतः– पेयजल निगम उत्तराखण्ड

तालिका–14.2
जल जीवन मिशन शुभारम्भ पश्चात् नल संयोजन की प्रगति

Sl	District	Total Rural household as on (01/04/2024)	Households with tap water connections as on 15 Aug 2019	Remaining households as on 15 Aug 2019	Cumulative Household Connections with PWS as on					
					01.04. 2020	01.04. 2021	01.04. 2022	01.04. 2023	01.04. 2024	21.12. 2024
1	Dehradun	129491	12841	116650	37927	109011	120613	125575	129404	129449
2	Haridwar	249725	15321	234404	24580	39076	103823	192630	228753	237630
3	Pauri Garhwal	111552	3954	107598	6997	50567	72070	89842	110721	110723
4	Tehri Garhwal	129099	10270	118829	17039	68282	88336	112607	128395	128509
5	Uttarkashi	65013	1937	63076	9496	47039	56320	62597	64957	64987
6	Chamoli	76725	23556	53169	28429	63030	71634	72505	76442	76478
7	Rudraprayag	55119	10725	44394	12742	31704	40040	45674	54265	54683
8	Almora	126280	10920	115360	17059	40319	66848	81642	105487	115123
9	Bageshwar	54659	3135	51524	5344	46751	49319	50045	54274	54643
10	Champawat	45141	7069	38072	9071	25329	33724	39368	44603	44775
11	Nainital	114714	24910	89804	32963	51433	65446	72582	95505	104267
12	Pithoragarh	94577	5612	88965	12354	52043	66434	76703	91567	94003
13	US Nagar	198524	75	198449	3119	24837	89786	117551	180247	192555
	Total	**1450619**	**130325**	**1320294**	**217120**	**649421**	**924393**	**1139321**	**1364620**	**1407825**

स्रोतः– पेयजल निगम उत्तराखण्ड

14.1.2 भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल के अनुसार दिनांक 01.04.2024 को राज्यान्तर्गत कुल 14,50,619 ग्रामीण परिवार दर्शाये गये हैं। दिनांक 15.08.2019 को मिशन शुभारम्भ के बाद पोर्टल के अनुरूप 1,30,325 (8.98%) घरों में नल संयोजन उपलब्ध थे। तत्पश्चात् जल जीवन मिशन में दिनांक 31.03.2020 तक 86,795 वर्ष 2020–21 में 4,32,301 वर्ष 2021–22 में 2,74,972, वर्ष 2022–23 में 2,14,928, वर्ष 2023–24 में 2,25,299 एवं वर्ष 2024–25 में 43,205 नल संयोजन

(FHTCs) को सम्मिलित करते हुए 12,77,500 (88.07%) परिवारों को नल संयोजन प्रदान किए गये हैं। इस प्रकार वर्तमान तक कुल 14,07,825 (97.05%) परिवार नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किये जा चुके हैं।

तालिका–14.3
हर घर जल योजना के अंतर्गत नल सयोजन कि प्रगति

Har Gahr Jal Status (Har Ghar Jal implies 100% FHTC coverage in that area)							
Sl.	District	Total as on 01.04.2024		No. of Har Ghar Jal Panchayat		No. of Har Ghar Jal Village	
		Panchayats	Villages	Reported	Certified	Reported	Certified
1	Dehradun	401	635	397	304	628	522
2	Haridwar	310	473	182	114	310	206
3	Pauri Garhwal	1170	2962	785	470	2350	1587
4	Tehri Garhwal	1031	1743	757	540	1358	981
5	Uttarkashi	508	666	413	308	560	432
6	Chamoli	611	1113	443	229	877	500
7	Rudraprayag	336	637	214	105	473	225
8	Almora	1158	2134	441	244	1013	581
9	Bageshwar	402	823	363	299	762	656
10	Champawat	313	644	183	80	448	232
11	Nainital	479	1012	141	106	381	279
12	Pithoragarh	686	1538	586	407	1379	1029
13	U S Nagar	375	605	138	109	280	228
	Total	**7780**	**14985**	**5043**	**3315**	**10819**	**7458**

स्रोतः– पेयजल निगम उत्तराखण्ड

14.1.3 भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल पर राज्यान्तर्गत जनपदवार कुल 19,123 विद्यालय के सापेक्ष 19,103 (99-93%) विद्यालयों तथा 16,439 आंगनवाडी केन्द्रों के सापेक्ष 16,437 (99-99%) आंगनवाडी केन्द्रों में वर्तमान तक नल संयोजन सुविधा प्रदान की जा चुकी है, शेष विद्यालय/आंगनवाडी केन्द्रों हेतु FHTCs सुविधा प्रदान किए जाने का कार्य प्रगति पर है।

14.1.4 जल जीवन मिशन शुभारम्भ पश्चात् मिशन अन्तर्गत हर घर जल (100% FHTCs Coverage) में राज्यान्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल के अनुसार दिनांक 01.04.2024 को जनपदवार कुल 7,780 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत कुल 14,985 राजस्व ग्राम दर्शाये गये है, जिसके सापेक्ष जेजेएम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में आई.एम. आईएस. पोर्टल के अनुसार दिनांक 21.12.2024 तक जनपदवार 10,819 राजस्व ग्रामों को एवं 5,043 ग्राम पंचायतों को 100% FHTCs से आच्छादित किया जा चुका है। हर घर जल के अन्तर्गत इन ग्रामों को Online Certified किए जाने की कार्यवाही गतिमान है।

तालिका–14.4							
Sl	District	Schools			AWCs		
		Total	Schools with tap water supply	Schools with tap watersupply (%)	Total	AWCs with tap water supply	AWCs with tap water supply (%)
1	Dehradun	1393	1393	100	1154	1154	100
2	Haridwar	1779	1765	99	2450	2449	99.9
3	Pauri Garhwal	2125	2125	100	1643	1643	100
4	Tehri Garhwal	2163	2163	100	1923	1923	100
5	Uttarkashi	1265	1265	100	962	962	100
6	Chamoli	1385	1385	100	953	953	100
7	Rudraprayag	907	907	100	655	655	100
8	Almora	1969	1969	100	1854	1853	100
9	Bageshwar	848	848	100	789	789	100
10	Champawat	752	752	100	643	643	100
11	Nainital	1289	1289	100	979	979	100
12	Pithoragarh	1778	1778	100	1050	1050	100
13	U S Nagar	1470	1470	100	1384	1384	100
	Total	**19123**	**19103**	**99.93**	**16439**	**16437**	**99.99**

स्रोतः– पेयजल निगम उत्तराखण्ड

14.1.5 बाहय सहायतित योजनायें (अर्द्ध नगरीय क्षेत्र):

केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्य के 22 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु विश्व बैंक सहायतित परियोजना (अनुमानित लागत ₹ 975 करोड़) आरम्भ हो गई है। परियोजना अवधि 06 वर्षों (कार्यक्रम की प्रभावी तिथि 08 मार्च 2018) की है, जिसमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न पांच जनपद चयनित किए गये हैं।

कार्य क्षेत्रः जनपद टिहरी गढवाल–ढालवाला, जनपद देहरादून–जीवनगढ, नथनपुर, मेंहूवाला माफी, नथुवावाला, ऋषिकेश देहात, गुमानीवाला, प्रतीत नगर एवं खडक माफी।

जनपद नैनीताल–हल्द्वानी, तल्ली, कुसुमखेडा, गौझाजाली उत्तर।

जनपद हरिद्वार–सैदपुरा, भंगेडी मेहवतपुर, नगला इमरती, ढंढेरा, मोहनपुर मौहम्मदपुर, बहादराबाद, जगजीतपुर।

जनपद उधमसिंह नगर–उमरू खुर्द, महोलिया एवं बंडीया।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा 15 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है, जबकि 7 योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य उत्तराखण्ड जल संस्थान के माध्यम से कराया गया।

समस्त 22 योजनाओं को परियोजना की समय–सीमा मार्च 2024 तक पूर्ण कराया जा चुका है तथा विश्व बैंक से हुये समझौते के अनुसार समस्त योजनाओं का 5 वर्षीय अनुरक्षण कार्य का क्रियान्वयन गतिमान है।

इन योजनाओं के अन्तर्गत निम्नानुसार व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजन प्रदान किए जा चुके है।

तालिका 14.5

कार्यदायी संस्था का नाम	योजनाओं की संख्या	योजना के अन्तर्गत प्रदान किये गये जल संयोजन दिसम्बर 2024 तक
उत्तराखण्ड पेयजल निगम	15	66074
उत्तराखण्ड जल संस्थान	07	40188
योग	**22**	**106262**

इस परियोजना के द्वारा कुल 87757 व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजन प्रदान किया जाना लक्षित है। **अतः परियोजना के अन्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष 121** : निशुल्क जल संयोजन प्रदान किये जा चुके है। परियोजना के अन्तर्गत जून 2025 तक निशुल्क जल संयोजन दिये जाने का प्राविधान है।

14.1.6 नगरीय पेयजलः— स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक शहरी क्षेत्र में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (litre Per Capita Daily- LPCD) है। उत्तराखण्ड में कुल 107 स्थानीय निकाय है, इनमें से 84 नगरों में जलापूर्ति 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (litre Per Capita Daily- LPCD) से कम है, जिस हेतु नियोजित रूप से नगरों को पेयजल सुविधा से संतृप्त किये जाने की कार्ययोजना है।

अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 07 नगरों देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी, काशीपुर, रूद्रपुर एवं नैनीताल नगरों के अंतर्गत ₹ 567.54 करोड़ लागत की 35 पेयजल, 38 सीवरेज एवं 11 ड्रेनेज योजनाएं स्वीकृत है, जिनमें से 33 पेयजल, 36 सीवरेज एवं 10 ड्रेनेज योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है।

अमृत 2.0 कार्यक्रम के फेज—1 में ₹ 263.04 करोड़ (निर्माण कार्य लागत— ₹ 233.74 करोड़ तथा 5 वर्षीय अनुरक्षण लागत— ₹ 29.30 करोड़) की 19 परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है तथा शासनादेश भी निर्गत किये जा चुके है। उक्त कार्यक्रम के द्वारा 18 नगरों क्रमशः नरेन्द्रनगर, मुनीकीरेती, पोखरी, कर्णप्रयाग, गौचर, देवप्रयाग, सतपुली, दुगड्डा, स्वर्गाश्रम, पौड़ी, गजा, डीडीहाट, धारचुला, कपकोट, लालकुआँ, शक्तिगढ, बनबसा तथा नानकमत्ता में शत—प्रतिशत घरों को पेयजल संयोजनों से आच्छादित किया जाना है तथा एक नगर देहरादून में शास्त्रीनगर वार्ड में 24X7 योजना शत—प्रतिशत जल संयोजनों के साथ प्रस्तावित है। उक्त 19 परियोजनाओं के सापेक्ष 10 परियोजनाओं में निर्माण कार्य गतिमान है तथा शेष 09 परियोजनाओं हेतु निविदा प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त अमृत 2.0 कार्यक्रम के फेज—2 द्वारा 06 नगरों क्रमशः चौखुटिया, थलीसैण, तपोवन, हर्बटपुर, लौहाघाट तथा रूद्रप्रयाग एवं देहरादून शहर के कौलागढ और सहस्त्रधारा क्षेत्र के शत्—प्रतिशत घरों को जल संयोजनों के साथ पेयजल योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित योजनाओं हेतु ₹ 446.64 करोड़ (निर्माण कार्य लागत— ₹ 406.12 करोड़ तथा 5 वर्षीय अनुरक्षण लागत— ₹ 40.52 करोड़) की कार्य योजना तैयार कर शहरी विकास निदेशालय को प्रेषित की गई है तथा विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने/उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया गतिमान है।

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड पेयजल निगम को जायका कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹ 1366.80 करोड के ऋण अनुबन्ध हस्ताक्षरित हो चुके है। जिसमें 18 नगरों की पेयजल व्यवस्था को सुदृढीकरण करने हेतु Baseline Survey के कार्यों हेतु REoI उपरान्त Shortlisted फर्मो के साथ RFP के माध्यम से Consultant को नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त जायका कार्यक्रम के अन्तर्गत PMC हेतु Consultant की नियुक्ति हेतु REoI की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

14.1.7 नगरीय जलोत्सारणः— वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में कुल 430.92 एम.एल.डी. क्षमता के 70 सीवर शोधन सयंत्र स्थापित हैं। जिनका उपयोग कर लगभग 321.92 एम.एल.डी. सीवेज का परिशोधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 178.17 एम.एल.डी. क्षमता के 35 सीवर शोधन सयंत्र निर्माणाधीन/प्रस्तावित है।

तालिका–14.5
प्रदेश के अन्तर्गत जलोत्सारण व्यवस्था हेतु सीवेज शोधन संयत्र

क्र०सं०	नगर	चालू एस0टी0पी0 की संख्या	सीवर शोधन सयंत्र (STP)			
			अधिश्ठापित क्षमता (एम.एल.डी.)	भाोधित की जा रही मात्रा (एम.एल.डी.)	निर्माणाधीन / प्रस्तावित एस.टी.पी. की संख्या	प्रस्तावित क्षमता (एम.एल.डी.)
01	हरिद्वार	5	145.00	140.22	1	8.00
02	देहरादून	8	118.14	92.99	3	44.00
03	रूड़की	1	33.00	6.50	0	0.00
04	ऋषिकेश	1	26.00	17.92	1	5.00
05	मसूरी	5	7.32	2.65	5	3.25
06	श्रीनगर	4	4.63	2.72	0	0.00
07	कोटद्वार	0	0.00	0.00	1	21.00
08	स्वर्गाश्रम, नीलकंठ (पौडी)	1	3.00	2.98	2	4.50
09	कीर्तिनगर	2	0.06	0.04	0	0.00
10	देवप्रयाग	3	1.63	1.49	0	0.00
11	उत्तरकाशी	1	2.00	1.99	1	4.00
12	गंगोत्री	1	1.00	0.20	0	0.00
13	नैनीताल	4	11.7	7.65	1	17.50
14	भीमताल	1	1.25	0.81	0	0.00
15	अल्मोड़ा	1	2.00	1.20	1	1.50
16	नई टिहरी	1	5.00	2.50	0	0.00
17	मुनि की रेती	2	12.50	10.28	2	8.30
18	नरेन्द्र नगर	0	0.00	0.00	1	2.00
19	तपोवन	1	3.50	3.46	0	0.00
20	कर्णप्रयाग	5	0.35	0.148	0	0.00
21	गोपेश्वर	5	4.37	1.13	0	0.00
22	जोशीमठ	2	3.78	1.53	0	0.00
23	श्री बद्रीनाथ	3	1.27	0.765	0	0.00
24	काशीपुर	0	0.00	0.00	6	31.80
25	हल्द्वानी	1	28.00	12.00	1	10.50
26	रामनगर	2	8.50	2.90	0	0.00
27	पिथौरागढ़	2	6.25	2.10	0	0.00
28	रूद्रप्रयाग	6	0.525	0.52	0	0.00
29	नंदप्रयाग	2	0.15	0.10	0	0.00
30	तिलवाड़ा	0	0.00	0.00	5	0.32
31	सुल्तानपुर	0	0.00	0.00	1	0.50
32	किच्छा	0	0.00	0.00	1	3.00
33	सितारगंज	0	0	0	1	3.00
34	बाजपुर	0	0	0	1	10.00
	योग	**70**	**430.92**	**316.79**	**35**	**178.17**

स्रोतः– पेयजल निगम उत्तराखण्ड

14.1.9 नमामि गंगे (सीवरेज सिस्टम)– भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी की मुख्य धारा पर स्थित 15 नगरों क्रमश हरिद्वार, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, तपोवन, मुनि–की–रेती, कीर्तिनगर, श्रीनगर, श्रीकोट,नन्दप्रयाग, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर–चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ एवं उत्तरकाशी में गंगा नदी की स्वच्छता एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन एवं सीवेज शोधन संयंत्र इत्यादि के निर्माण कार्य किये गये है। इसके अतिरिक्त गंगा की सहायक नदियों पर स्थित नगरों क्रमशः रामनगर, देहरादून एवं उधमसिंहनगर में भी इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन एवं सीवेज शोधन संयंत्र इत्यादि के निर्माण कार्य किये गये/गतिमान है। उक्त योजना में वर्तमान तक कुल 29 योजनाऐं कुल लागत ₹ 1605.19 करोड़ स्वीकृत हुई है। उक्त स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष 23 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके है, 01 योजना उधमसिहं नगर, 01 योजना (गौरीकुण्ड एवं तिलवाड़ा), 01 योजना मुनि की रेती, 01 योजना सपेरा बस्ती, देहरादून, 01 योजना खो–नदी, कोटद्वार एवं 01 योजना पूर्व अवस्थित हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर तथा देवप्रयाग के एस0टी0पी0 पर को–ट्रीटमेन्ट का स्थापन के कार्य गतिमान है।

14.1.10 गंगा नदी की मुख्य धारा

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान तक गंगा नदी की मुख्य धारा पर 32 कुल क्षमता 131.87 एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) के नये सीवेज शोधन संयंत्रों के कार्य पूर्ण किये जा चुके है इसके अतिरिक्त पूर्व से स्थापित 57 एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) क्षमता के 06 सीवेज शोधन सयंत्रों के उच्चीकरण के कार्य भी पूर्ण किये गये है। उक्त के अतिरिक्त 61 नालों के टैपिंग के कार्य भी पूर्ण किये जा चुके है।

14.1.11 गंगा नदी की सहायक नदियां

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी की सहायक अन्य नदियों पर भी स्वीकृत कुल 04 योजनाओं (रामनगर–01, देहरादून–02 एवं उधमसिंह नगर–01) में से रामनगर में कोसी नदी में प्रदूषण की रोकथाम हेतु 06 नालो की टैंपिंग तथा कुल 8.50 (7.00+1.50) एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) के 02 सीवेज शोधन सयंत्रों के निर्माण कार्य पूर्ण किये गये है। देहरादून में रिस्पना तथा बिन्दाल नदी में प्रदूषण की रोकथाम हेतु 17 नालों की टेंपिग के कार्य एवं 22.00 कि.मी. सीवर नेटवर्क के कार्य पूर्ण किये जा चुके है 01 योजना "06 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज" उधमसिहं नगर में गतिमान है, जिसके निर्माण कार्य 73 प्रतिशत पूर्ण हो चुके है तथा शेष कार्य माह फरवरी–2025 तक पूर्ण किये जाने लक्षित है। योजना में कुल क्षमता 30.30 एम0एल0डी0 के 09 सीवेज शोधन संयंत्र प्रस्तावित है तथा 01 योजना सपेरा बस्ती, देहरादून के अन्तर्गत 15 एम0एल0डी0 क्षमता के 01 एस0टी0पी0 के निर्माण कार्य गतिमान है।

14.1.12 विशिष्ट कार्य

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यों में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिद्वार नगर में प्रदेश एवं देश में प्रथम ''हाई ब्रिड एन्यूटी पी.पी.पी. मॉडल'' के आधार पर 68 एवं 14 एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) क्षमता के सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त मुनीकिरेती क्षेत्र में 7.50 मिलीयन लीटर प्रतिदिन क्षमता के बहुमंजिला सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण किया गया, जिसकी सराहना एवं उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा किया गया।

14.1.13 के0एफ0डब्ल्यू0 विकास बैंक वित्त पोशित कार्यक्रम

हरिद्वार एवं ऋषिकेश में शत–प्रतिशत

जलोत्सारण आच्छादन हेतु के0एफ0डब्ल्यू0 विकास बैंक, जर्मनी द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम के फेज–1 एवं फेज–2 की ₹ 1533.00 करोड लागत की परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्य किये जाने हैं। योजना में सीवरेज कार्यों हेतु पैकेज 1, 2 एवं 5 के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। पैकेज 6 एवं 7 हेतु अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान है। पैकेज 3 एवं 10 (A&B) हेतु निविदा प्रकाशन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी है। योजना के शेष पैकेजों के आंगणन एवं निविदा प्रपत्र तैयार किये जा रहे हैं।

14.1.14 ग्रामीण स्वच्छता:

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–द्वितीय चरण

भारत सरकार के ध्वजवाहक कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)–प्रथम चरण के सफलतापूर्वक समापन के उपरान्त भारत सरकार द्वारा जन समुदाय की क्षमताओं को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रो में ओ0डी0एफ0 स्थायित्व का स्तर बनाये रखने तथा गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन तन्त्र स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक के लिए जन आन्दोलन के रुप में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)– द्वितीय चरण प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण के निम्न कार्य संचालित किये जा रहे है, जिसके अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक गाँव को वर्ष 2025 तक ओ0डी0एफ0 प्लस किया जाना है।

(अ) ओ0डी0एफ0 प्लस

✓ ओ0डी0एफ0 स्थायित्व के अन्तर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण एवं स्थायित्व तथा सामुदायिक स्वच्छता काम्पलैक्सों का निर्माण।

✓ दृश्य स्वच्छता

✓ ठोस अपशिष्ट तथा तरल अपशिष्ट प्रबन्धन

✓ आई0ई0सी0 / बी0सी0सी0– जनजागरूकता कार्य

(ब) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

✓ जैविक अपशिष्ट प्रबन्धन

✓ अजैविक अपशिष्ट प्रबन्धन

✓ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन

(स) फीकल स्लज प्रबन्धन

✓ एकल / ट्विन पिट की मरम्मत (शौचालयों की रैट्रोफिटिंग कार्य (Community Retrofitting)

✓ एस0टी0पी0 मैपिंग

✓ फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की सीापना

फीकल स्लज प्रबन्धन के अन्तर्गत नगरीय एस0टी0पी0 के निकट के समस्त ग्राम पंचायतों को फीकल स्लज के उपचार हेतु एस0टी0पी0 से मैप किये जाने की योजना है। 15वां वित्त आयोग / मनरेगा फंड से समस्त एकल गड्ढे शौचालयों को दो गड्ढे वाले शौचालयों में परिवर्तित किये जाने की योजना है। आवश्यकतानुसार एवं व्यवहारिकता के आधार पर तराई / मैदानी जनपदों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जायेगा। वर्तमान तक 211 घरेलू शौचालयों की रेट्रोफिटिंग का कार्य पूर्ण किया गया है एवं अवशेष शौचालयों की रेट्रोफिटिंग हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है जिसमें 15वें वित्त आयोग / मनरेगा से अभिसरण किये जाने की योजना है।

(द) भूरा जल प्रबन्धन

✓ जल निकास

✓ सोख्ता / लीच गड्ढे

✓ भूरा जल उपचार इकाई

वित्तीय उपलब्धता

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

➢ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर : 70%

➢ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, ब्लाक स्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन तथा गोबरधनः 100%

2. 15वां वित्त आयोग

➢ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर : 30% अनिवार्य अथवा > 30%

➢ ब्लाक स्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, काम्पैक्टर स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव : 100%

➢ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का मरम्मत कार्यः 100%

3. मनरेगा एवं अन्य :

➢ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्ध, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों तथा मरम्मत हेतु अभिसरण

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु गतिविधि

1. ग्राम पंचायत के उत्तरदायित्व

- व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्तर पर जैविक अपशिष्ट प्रबन्धन
- घरेलू स्तर पर अपशिष्ट का पृथक्कीकरण
- प्लास्टिक /अजैविक अपशिष्ट का संग्रहण
- ग्राम पंचायत से वाहन मार्ग तक प्लास्टिक अपशिष्ट का ढुलान

2. ब्लॉक पंचायत के उत्तरदायित्व

- ग्राम पंचायत वाहन मार्ग से ब्लॉक स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन इकाई तक अपशिष्ट का ढुलान।
- ग्राम पंचायत वाहन मार्ग से प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण हेतु रणनीति तैयार करना।
- कलस्टर स्तरीय वाहनों का संचालन एवं रखरखाव।

3. जिला पंचायत के उत्तरदायित्व

- ब्लाक स्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र में लगे काम्पैक्टरों का संचालन एवं रखरखाव।
- काम्पैक्ट बेल्स को पुर्नचक्रण केन्द्र तक पहुँचाना।
- धार्मिक स्थलों, स्थानीय बाजार, हाट बाजार आदि में स्वच्छता की स्थिति बनाये रखना।

14.1.15 खुले में शौच मुक्त के स्थायित्वता को सुनिश्चित किये जाने में मुख्य कार्य क्षेत्र

(अ) गांव की ओ0डी0एफ0 स्थिति का भौतिक सत्यापन

राज्य के शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालय निर्मित कर माह जून, 2017 में खुले में शौच की प्रथा से मुक्त घोषित कर देश में राज्य द्वारा चौथा स्थान प्राप्त किया गया। जिसके सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय चरण के भौतिक सत्यापन का कार्य शत–प्रतिशत गांवों में पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–फेज 2 का संचालन ओ0डी0एफ0 स्थायित्व हेतु किया जा रहा है।

14.1.16 वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि

1. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वार्षिक क्रियान्वयन योजना के अनुसार कुल 20146 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण लक्ष्य के

सापेक्ष 12829 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) के अन्तर्गत आई0एम0आई0एस0 वेबसाईट के अनुसार आतिथि तक कुल 543094 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

2. सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लैक्सों के निर्माणः

वार्षिक कार्य योजना में कुल 655 ग्रामों में सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों के निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 479 के निर्माण कार्य पूर्ण एवं 189 में कार्य गतिमान है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) के अन्तर्गत आई0एम0आई0एस0 वेबसाईट के अनुसार आतिथि तक कुल 2956 सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों के निर्माण किया जा चुका है।

3. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धनः

स्वच्छ भारत मिशन–ग्रा0 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विगत वर्षो सहित क्रमिक कुल 15049 ग्रामों की डी.पी.आर. तैयार की गयी हैं, जिसके सापेक्ष क्रमिक 12046 ग्रामों में कार्य पूर्ण, 2833 ग्रामों में निर्माणाधीन एवं शेष ग्रामों में कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कुल 6790 ग्रामों को लक्षित किया गया है, जिसके सापेक्ष 3932 ग्रामों में कार्य पूर्ण किये गये हैं। उक्त कार्य मनरेगा, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, उरेडा एवं कृषि विभाग इत्यादि के साथ केन्द्राभिसरण ;Convergence) के माध्यम से भी करवाया जा रहा है।

4. प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन इकाई– ब्लाक स्तर पर पंचायती राज विभाग के समन्वय से समस्त 95 विकासखण्डों में प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन इकाई स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 24 विकासखण्डों के लक्ष्य के सापेक्ष स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के 11 इकाईयों में शेड निर्माण पूर्ण कराया गया है (क्रमिक 82 पूर्ण)। उक्त में पंचायती राज विभाग के माध्यम से क्रमिक 78 कॉम्पैक्टर लगाये गये तथा विद्युत संयोजन दिया गया है एवं भलीं–भांति संचालित किया जा रहा है। 11 विकासखण्डों में इकाई का निर्माण कार्य गतिमान है। 02 में कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर लिया जायेगा।

उपरोक्त परिसम्पत्तियों के संचालन एंव रखरखाव हेतु 15वां वित्त आयोग के अनुदान तथा अपने स्वयं के संसाधनों (उपयोगकर्ता शुल्क आदि) का उपयोग करके ओ0डी0एफ0 तथा ओ0डी0एफ0 प्लस स्थिति की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए शत–प्रतिशत रखरखाव एवं संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा। समस्त 95 विकासखण्डों में कूड़ा एकत्रीकरण हेतु हाइड्रोलिक टिप्पर मशीन दिए गये हैं जो कि पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

5.ओ0डी0एफ0 प्लस की वर्तमान स्थिति (आई0एम0आई0एस0 के अनुसार)

राज्य के कुल 15049 ग्रामों में से आतिथि तक क्रमिक कुल 14882 ग्राम ओ0डी0एफ0 प्लस (आकांक्षीः 52, उदीयमानः 03 तथा मॉडलः 14832) बनाए गये।

6. सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का संचालनः

राज्य में ओ.डी.एफ. स्थायित्व को बनाये रखने हेतु समय–समय पर विभिन्न जन–जागरूकता कार्यक्रम (स्वच्छता गोष्ठी, नुक्कड नाटक, रैलियों, स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छता रथ, विकासखण्ड / जनपद / राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन इत्यादि किए गये हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 14 प्रशिक्षण (490 प्रतिभागी), 142 बैठकों (2401 प्रतिभागी) का आयोजन किया गया, 334 दीवार लेखन तथा 02 बैनर लगाये गये। आई0ई0सी0 गतिविधियों के अन्तर्गत 953 गतिविधियाँ संचालित की गयीं।

7. वॉश पी0एम0यू0 की स्थापना

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में जल एवं स्वच्छता कार्यों को एकीकृत रूप से संचालित किये जाने के लिये राज्य तथा जनपद स्तर पर वॉश पी0एम0यू0 (Water, Sanitation and Hygiene-WASH) का गठन किया गया है जिसके मुख्य उद्देश्य पेयजल एवं स्वच्छता गतिविधियों के एकीकृत रूप से कियान्वयन हेतु समन्वय, आई0ई0सी0 / बी0सी0सी0 तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों का संचालन, रेखीय विभागों के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता गतिविधियों के अभिसरण व्यवस्थाओं का नियोजन,कियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु सहयोग तथा पेयजल एवं स्वच्छता गतिविधियों के विभिन्न कमियों को पूर्ण किये जाने हेतु सहयोग करना है।

14.1.16 वित्तीय वर्ष 2024–25 की वित्तीय प्रगति

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' हेतु ₹ 8764.59 लाख का बजट (₹ 120. 91 करोड़ राजस्व तथा ₹ 8643.68 करोड़ पूंजीगत)प्राविधानित किया गया है जिसमें ग्रामीण स्वच्छता के स्तर को बनाये रखे जाने हेतु ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधियों के माध्यम से आधार–भूत ढॉचों को निर्मित कराये जाने, आई0ई0सी0 एवं प्रशासनिक व्ययों हेतु अनुमन्य धनराशि तथा शौचालय निर्माण एवं ओ0डी0एफ0 सस्टैनेबिलिटी से सम्बन्धित गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत गत वर्ष 2023–24 की अवशेष धनराशि ₹ 4209.78 लाख तथा अन्य स्रोत रू0 25.06 लाख सहित कुल उपलब्ध ₹ 4234.84 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक (अनन्तिम) कुल ₹ 3926.93 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

14.1.17 गोबर धन योजना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 05 इकाईयों को स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। वर्तमान वर्ष में 03 इकाईयों का कार्य पूर्ण किया गया है एवं अवशेष जनपदों में एक–एक गोबर धन इकाई स्थापित किये जाने की योजना है। क्रमिक 11 इकाईयां स्थापित की जा चुकी हैं।

14.1.18 स्वजल 2.0 के अन्तर्गत अभिलाषी जनपदों (Aspirational Districts) में चयन

उत्तराखंड के दो जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर चिन्हित अभिलाषी जनपद हैं। इन दो जनपदों की कुल 12 सौर ऊर्जा चलित मिनी पम्पिंग पेयजल योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिनमें योजनाएँ पूर्ण होने वाली हैं। घरेलू संयोजन उ0पे0नि0 / उ0ज0सं0 द्वारा दिए जायेंगे।

महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

- दिनांक 17 सितम्बर 2024 से 02 अक्टूबर 2024 के मध्य स्वच्छता ही सेवा–2024, ''स्वभाव स्वच्छता–संस्कार स्वच्छता'' पखवाड़ा राज्य एवं जिला स्तरों पर आयोजित किया गया। प्रमुख उपलब्धियों में स्वच्छता प्रथाओं के बारे में ग्रामीण स्वच्छता के प्रति जन–भागीदारी को बढाना तथा आम जन–मानस में जागरूकता का सृजन किया जाना शामिल है।

- जिला उत्तरकाशी में नव युवक मंगल दल, झाला द्वारा शुरू किया गया "थैंक यू नेचर" कार्यक्रम, गांव और आस–पास के स्थानीय बाजारों में नियमित स्वच्छता अभियान चलाने पर केंद्रित है। इस जमीनी स्तर की पहल को राष्ट्रीय मान्यता मिली है, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2024 को अपने "मन की बात" संबोधन में इसकी सराहना की है।

1.नलकूपों का स्वचालितीकरण (Automation of Tubewells and SCADA):- उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा आधुनिकतम तकनीक SCADA अपनाकर कुल 1022 नलकूप / मिनी नलकूपों का स्वचालितीकरण किया गया है, जिससे मानवीय भूल एवं अन्य विद्युत सम्बन्धी त्रुटियों के कारण जलापूर्ति व्यवस्था के व्यवधान को अत्यन्त न्यून

किया जा सका है।

2. जल गुणवत्ता मैनेजमेंट (Water Quality Management):- उत्तराखण्ड जल संस्थान के अधीन राज्य में पेयजल गुणवत्ता परीक्षण हेतु कुल 27 (1 राज्य स्तरीय 13 जनपदीय एवं 13 उपखण्डीय) पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालायें क्रियान्वित हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 2024–25 में 82989 रासायनिक एवं जैविक पेयजल के नमूनों की जॉच की गयी है। कुल 27 प्रयोगशालाओं में से 27 प्रयोगशालाओं को NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) से मान्यता प्राप्त कराया जा चुका है।

3. ऑनलाईन बिलिंग डिमाण्ड एवं क्लैक्शन सिस्टम (Online billing demand and collection System):- उत्तराखण्ड जल संस्थान के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ऑनलाईन बिलिंग डिमाण्ड कलैक्शन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपभोक्ता को अपने बिलों की जानकारी, देयक के ऑनलाईन भुगतान एवं नये कनेक्शन के लिए ऑलाईन आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है।

4. हैण्ड पम्पः एक सफल वैकल्पिक रणनीति (Hand Pump: A Successful alternative Plan):- राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हैण्ड पम्प स्थापित कर पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्थान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 52 हैण्ड पम्पों (उ0पे0नि0–37, उ0ज0स0–15) की स्थापना की गयी है।

5. मिनी नलकूपः न्यून लागत, त्वरित उपचार (Mini Tubwell: Low Cost, Accelerated Treatment):- नलकूपों के खनन में लगने वाले व्यय एवं समय की बचत एवं छोटी बस्तियों के पेयजल समस्या के त्वरित निदान हेतु कम श्राव के नलकूपों को एक सप्ताह के अन्दर 'न्यूमेटिक खनन' विधि से तैयार किया जाता है। वर्तमान तक 529 मिनी नलकूप (उ0पे0नि0–227, उ0ज0स0–302) स्थापित किये गये हैं।

6.चाल–खालः परम्परा का पुनर्जीवन (Movement: Revival of the Traditional water source):- ग्राम समाज के सहयोग से संस्थान द्वारा विगत चार वर्षों में वर्तमान तक 4632 चाल–खाल का निर्माण किया गया है।

7. रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजना (Rain Water Harvesting): वर्षा जल को एकत्र कर, संचय करने तथा उसको मनुष्य एवं पशुओं के उपयोग में लाने तथा उससे भू–जल को रीचार्ज करना वर्षा जल का दोहन (Rain Water Harvesting) है। उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा वर्षा जल के संग्रहण हेतु प्रथम प्रयास उत्तराखण्ड जल संस्थान मुख्यालय, "जल भवन" देहरादून में किया गया है जो सफल रहा है। वर्षा जल संग्रहण हेतु विभाग द्वारा शासकीय विभागों एवं जन सामान्य के उपयोगार्थ एक मार्ग निर्देशिका भी प्रकाशित की गयी है जिसमें वर्षा जल संग्रहण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान में शासकीय भवनों में वर्षा जल के दोहन हेतु स्वीकृति प्राप्त कर 122 शासकीय भवनों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

14.1.19 वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत परिव्यय, अवमुक्त व्यय एवं प्राप्त राजस्व का विवरणः

वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभिन्न मदों में पेयजल एवं जलोत्सारण हेतु कुल स्वीकृत परिव्यय, अवमुक्त धनराशि, व्यय धनराशि एवं अर्जित राजस्व को विवरण निम्नानुसार हैः

राजकीय सिंचाई

14.2 राज्य में सिंचाई विभाग का मुख्य कार्य नहरों, पम्प नहरों, नलकूपों के निर्माण एवं जलाशय निर्माण व रखरखाव तथा बाढ सुरक्षा कार्यो का सम्पादन करना है। राज्य में सिंचाई के तीन प्रमुख संसाधनों में नहरें, नलकूप तथा पम्प नहरें हैं।

दिसम्बर 2024 तक विभाग के अधीन 3103 छोटी पर्वतीय एवं भावर नहरें हैं, इसके अतिरिक्त 1745 नलकूप व 324 लघुडाल नहरें निर्मित हैं। नहरों, नलकूपों एवं पम्प नहरों का कुल कमाण्ड 4.099 लाख हेक्टेयर है व खरीफ तथा रबी की सिंचन क्षमता क्रमशः 2.625 लाख है0 व 2.247 लाख है0, कुल 4.872 लाख है0 है, जिसके सापेक्ष कुल 3.184 लाख है0 में सिंचन सुविधा उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में वास्तविक सींच में 2 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है। राज्य में सर्वेक्षण अनुमानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य का कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल लगभग ₹ 6.905 लाख है0 है, जिसमें सिंचाई विभाग के अधीन सिंचित क्षेत्रफल 3.184 लाख है0 है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभाग को कुल ₹ 7192.756 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर 2024 तक विभाग को कुल ₹ 6527.431 लाख का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

राज्य गठन के समय विभाग में 2104 नहरें, 84 लघुडाल नहर व 667 नलकूप निर्मित थे, जिनका कमाण्ड क्षेत्र 2.609 लाख हैक्टेयर, सिंचन क्षमता 2. 850 लाख हैक्टेयर तथा वास्तविक सींच 2.278 लाख हैक्टेयर थी।

राज्य गठन के बाद अब तक 999 नहरों, 240 लघुडाल नहरों एवं 1078 नलकूपों का निर्माण कर 2.023 लाख हैक्टेयर और सिंचन क्षमता सृजित की गई है, जिससे 0.906 लाख हैक्टेयर सींच में वृद्धि हुई है, जो एक सराहनीय कदम है।

राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के लिये विभाग सतत् प्रयत्नशील है। नई नहरों, लघुडाल नहरों एवं नलकूपों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, जिससे आगामी भविष्य में सिंचाई सुविधाओं का और विस्तार होगा, जिसका राज्य के कृषकों को लाभ मिलेगा।

उत्तराखण्ड राज्य जल नीति, 2019

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में प्रतिपादित मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर तैयार उत्तराखण्ड राज्य जल नीति, 2019 दिनांक 20.12.2019 को प्रख्यापित की गयी जिसका उद्देश्य जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति का संज्ञान लेते हुये इनके नियोजन, विकास एवं प्रबन्धन हेतु कुशल ढांचा प्रस्तावित करना है।

2. राज्य जल नीति में विशेष तौर पर जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में इसके कु–प्रभाव की चुनौतियों का सामना करने हेतु शमन के उपायों को शामिल किया गया है।

3. इसके अतिरिक्त जल संसाधनों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं परिरक्षण हेतु विभिन्न उपायो को भी राज्य जल नीति में सम्मिलित किया गया है।

4. जल लेखा–परीक्षण, आयतन आधारित तार्किक जल प्रभार तंत्र एवं प्रबन्धन सूचना तंत्र विकसित किये जाने सम्बन्धी प्रावधान भी शामिल किये गये हैं।

5 .उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राष्ट्रीय जल नीति, 2019 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न 13 संख्या विभागों के विभागवार दायित्व मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 29.01.2020 से जारी किये जा चुके है।

14.17 सिंचाई सुविधाओं में आधुनिक तकनीकों का प्रयोगः– सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के क्रम में नलकूप निर्माण एवं लघुडाल निर्माण की योजनाओं स्प्रिकलर प्रणाली से सिंचाई किये जाने हेतु जनपद देहरादून, चमोली एवं जनपद पौडी में स्प्रिकलर आधारित Lift Scheme से सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने (लागत ₹ 22. 79 करोड़) हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है।

14.18 वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहन–राज्य के पर्वतीय जनपदों में प्राकृतिक स्त्रोतों को पुनर्जीवित एवं वर्षा जल का पेयजल एवं सिंचाई में प्रयोग को बढावा देने हेतु चैकडेम / जलाशयों के निर्माण कार्य कराये गये हैं / कराये जा रहे हैं।

1–जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना:–

अनुमानित लागत ₹ 3808.16 करोड़ परियोजना के लाभ :–

- जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर हेतु 117 MLD पेयजल सुविधा।

- PMKSY-AIBP के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना में स्वीकृत लागत के सापेक्ष बांध निर्माण हेतु ₹ 626.826 करोड़ की धनराशि का व्यय करते हुए निर्माण कार्य प्रगति में है। परियोजना का निर्माण मार्च, 2029 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

- उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के 150027 हैक्टेयर कमाण्ड में उत्तर प्रदेश में 47,607 हैक्टेयर एवं उत्तराखण्ड में 9,726 हैक्टेयर कुल 57065 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन ।

- पर्यटन तथा मत्स्य पालन।

2–सौंग बाँध पेयजल परियोजना :–अनुमानित लागत ₹ 2491.966 करोड़ परियोजना के लाभ :–

- Scheme For Special Assistance to State For Capital Investment (SASCI) के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना में स्वीकृत लागत के सापेक्ष बांध निर्माण हेतु ₹ 121.635 करोड़ की धनराशि का व्यय करते हुए कार्य प्रगति में है। परियोजना का निर्माण मार्च, 2030 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

- देहरादून एवं उप नगरीय क्षेत्र की वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी हेतु 150 MLD पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

- योजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त।

3–जनपद पौडी गढ़वाल के द्वारीखाल विकासखण्ड में पूर्वी नयार नदी पर सतपुली बैराज की योजना परियोजना के लाभ :–

- जनपद पौडी गढ़वाल के द्वारीखाल विकासखण्ड में पूर्वी नयार नदी पर सतपुली बैराज की योजना नाबार्ड मद के अन्तर्गत स्वीकृत लागत ₹ 5634.97 लाख के सापेक्ष ₹ 258.5 लाख की धनराशि का व्यय करते हुए कार्य प्रगति में है।

- विकासखण्ड द्वारीखाल की जनता को पेयजल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।

- पर्यटन को बढ़ावा देना तथा 12 है0 सिंचन क्षमता का सृजन करना।

मास्टर ड्रेनेज प्लान–

- उत्तराखण्ड राज्य के 17 महत्वपूर्ण शहरों क्रमशः भगवानपुर शहर, ऋषिकेश (मुनिकीरेती, नगर पालिका क्षेत्र), ऋषिकेश (जनपद देहरादून), ऋषिकेश (स्वर्गाश्रम क्षेत्र, पौड़ी), बनबसा, टनकपुर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रूड़की, देहरादून, हरिद्वार, रूद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, सितारगंज, मसूरी, एवं उत्तरकाशी में ड्रेनेज समस्याओं के निदान हेतु मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार करते हुए निर्माण कार्य किया जाना है।

- चिन्हित 17 शहरों में से प्रथम चरण में भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रेनेज की समस्या के निदान हेतु प्लान तैयार करते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भगवानपुर शहर, ऋषिकेश (मुनि की रेती, नगर पालिका क्षेत्र) में ड्रेनेज की समस्या के निदान हेतु प्लान तैयार करते हुए निर्माण कार्य प्रगति में है।

- द्वितीय चरण में 04 शहरों क्रमशः बनबसा, टनकपुर, पिथौरागढ़ ऋषिकेश (स्वर्गाश्रम क्षेत्र, पौड़ी) में ड्रेनेज की समस्या के निदान हेतु प्लान तैयार कर विशेष सहायता योजना मद में डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु शासन को संदर्भित कर दी गयी है।

- तृतीय चरण में शेष शहरों की डी0पी0आर0 गठन का कार्य प्रगति पर है।

14.3 लघु सिंचाई विभाग

1. पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाले अप्रयुक्त सतही पानी को रोक कर सिंचाई हेतु उपयोग में लाना।
2. राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप सिंचाई हेतु भू–जल, सतही प्रवाह एवं सतही लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
3. सिंचाई लागत को कम करने हेतु सोलर चालित पम्पसेट के उपयोग को बढ़ावा देना।
4. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

विभाग द्वारा कृषकों की इनपुट लागत कम करने तथा उनकी आय बढ़ाने हेतु सोलर पम्पसेटों की स्थापना, आर्टीजन कूपों का निर्माण, डीजल पम्पसेट को सोलर पम्पसेट में परिवर्तित करने का कार्य, जल संरक्षण एवं संबर्द्धन को बढ़ावा देने हेतु रिचार्ज शाफ्ट एवं छोटे चैक डेम का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पानी की बचत एवं जल उपयोग दक्षता के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप/स्प्रिंकलर) की स्थापना का कार्य भी किया गया है।

लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत माह मार्च 2024 तक 212 सोलर बोरिंग पम्पसेट, 147 सोलर लिफ्ट योजना, 41950 सिंचाई हौज, 1151 हाईड्रम, 56767 बोरिंग पम्पसेट, 842 भूस्तरीय पम्पसेट, 731 मध्यम/गहरी बोरिंग, 32214 कि0मी0 सिंचाई

तालिका 14.7
उत्तराखण्ड में वर्षवार सिंचन क्षमता एवं उपयोग

(हजार हेक्टेयर)

वर्ष Year	क्षमता Potential				उपयोग Uses			
	राजकीय लघु सिंचाई State Minor Irrigation	निजी लघु सिंचाई Minor Irrigation (Private)	वृहद एवं मध्यम सिंचाई Large & Medium Irrigation	योग Total	राजकीय लघु सिंचाई State Minor Irrigation	निजी लघु सिंचाई Minor Irrigation (Private)	वृहद एवं मध्यम सिंचाई Large & Medium Irrigation	योग Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2013-14	363.40	490.00	32.20	885.60	248.90	368.00	37.20	654.10
2014-15	366.90	509.00	32.20	908.10	253.30	382.00	37.20	672.50
2015-16	394.40	518.00	32.20	944.60	266.20	389.00	37.20	692.40
2016-17	370.00	524.00	74.80	968.80	251.60	393.00	62.60	707.20
2017-18	373.50	529.00	74.80	977.30	261.80	397.00	62.60	721.40
2018-19	382.60	534.00	74.80	991.40	252.00	401.00	62.60	715.60
2019-20	398.30	539.00	74.80	1012.10	199.10	404.00	45.00	648.10
2020-21	400.30	लघु सिंचाई	74.80		278.10	लघु सिंचाई	45.00	
2021-22	407.30		74.80		278.10		45.10	
2022-23	408.20		74.80		279.20		45.10	
2023-24	412.00		74.80		277.30		45.10	
2024-25 (01/25 तक)	412.40		74.80		273.30		45.10	

स्रोत: राजकीय सिंचाई/लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका 14.8
वर्षवार सृजित सिंचन क्षमता

(लाख हेक्टेयर)

वर्ष year	सिंचन क्षमता: कुल राजकीय सिंचाई Total Sate Irrigation			सिंचन क्षमता: बृहद एवं मध्यम सिंचाई (कुल राजकीय सिंचाई में भी सम्मिलित है) Large& Mediumirrigation (Total State Irrigation Incuded)			उपभोग: राजकीय सिंचाई State Irrigation			उपभोग: बृहद एवं मध्यम सिंचाई (कुल राजकीय सिंचाई में भी सम्मिलित है) Large& Medium irrigation (Total state irrigation incuded)		
	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
2014—15	2.150	1.841	3.991	0.422	0.326	0.748	1.467	1.438	2.905	0.319	0.307	0.626
2015—16	2.296	1.970	4.266	0.422	0.326	0.748	1.462	1.572	3.034	0.319	0.307	0.626
2016—17	2.407	2.041	4.448	0.422	0.326	0.748	1.523	1.691	3.214	0.319	0.307	0.626
2017—18	2.422	2.061	4.483	0.422	0.326	0.748	1.599	1.645	3.244	0.319	0.307	0.626
2018—19	2.482	2.092	4.574	0.422	0.326	0.748	1.541	1.605	3.146	0.320	0.308	0.628
2019—20	2.567	2.164	4.731	0.422	0.326	0.748	1.634	1.588	3.222	0.320	0.308	0.628
2020—21	2.576	2.175	4.751	0.422	0.326	0.748	1.638	1.593	3.231	0.322	0.309	0.631
2021—22	2.599	2.222	4.821	0.422	0.326	0.748	1.644	1.588	3.232	0.322	0.309	0.631
2022—23	2.604	2.226	4.830	0.422	0.326	0.748	1.618	1.625	3.243	0.324	0.311	0.635
2023—24	2.623	2.245	4.868	0.422	0.326	0.748	1.630	1.594	3.244	0.324	0.311	0.635
2024—25 (01/25तक)	2.625	2.247	4.872	0.422	0.326	0.748	1.590	1.594	3.184	0.324	0.311	0.635

स्रोतः राजकीय सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड (सांख्यिकीय डायरियों में संकलित)।

तालिका 14.9
उत्तराखण्ड में वर्षवार सिंचाई अवस्थापना

वर्ष Year	नहरों की लम्बाई (कि०मी०) Length of Canals (Km)	लघुडाल नहरों की संख्या Number of Lift Canals (No)	ट्यूबवेल (संख्या) Tubewells (No.)	सिंचाई राजस्व * संग्रहण (सींचकर+अन्य विभिन्न मदों से प्राप्त राजस्व+जल वि०परि० पर लगाये गये जल कर से प्राप्त राजस्व) Revenue Collection By Irrigation (Lakh ₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014-15	12215	195	1376	1788.819
2015-16	12421	211	1503	2126.303
2016-17	12578	220	1529	10687.792
2017-18	12626	226	1628	23789.179
2018-19	13205	234	1679	18326.900
2019-20	13239	245	1686	1537.899
2020-21	13276	268	1700	1790.79
2021-22	13292	282	1704	1838.00
2022-23	13330.12	296	1720	13400.597
2023-24	13375.13	321	1742	7192.756
2024-25 (01/25)	13385.13	324	1745	6527.431

स्रोतः राजकीय सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड (सांख्यिकीय डायरियों में संकलित)।

*– सिंचाई, जल विद्युत परियोजनाओं में जल पर सेस, एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल जलकर। स्रोतः राजकीय सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड (सांख्यिकीय डायरियों में संकलित)।

तालिका 14.10
गत वर्षो के अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यक्रमों/योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

क्र0 सं0	विवरण	वर्षवार क्रियान्वयन किये जाने वाले कार्यों /योजनाओ का विवरण										
		वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25 (12/24 तक)
1	वित्तीय प्रगति (लाख ₹ में)	6325945	6947043	4159240	3890204	3933262	3176322	2481055	2338465	3211391	4839393	–
2	वर्षवार निर्मित नहर (सं0 में)	40	60	46	26	8	34	46	18	15	16	03
3	वर्षवार निर्मित नहरों की लम्बाई गूलों सहित (कि0मी0)	300.67	205.71	157.226	48.616	577.72	34.508	37.11	16.00	38.12	45.01	10.00
4	वर्षवार निर्मित नलकूप (सं0 में)	48	127	26	99	51	7	14	14	16	22	03
5	वर्षवार निर्मित लघुडाल नहर (सं0 में)	12	16	9	6	9	11	23	14	14	26	03
6	कमाण्ड क्षेत्र में वर्षवार वृद्धि (लाख है0)	0.082	0.208	0.170	0.040	0.059	0.007	0.092	0.050	0.006	0.025	0.005
7	वर्षवार सृजित सिंचन क्षमता (लाख है0)	0.035	0.275	0.182	0.035	0.091	0.157	0.020	0.007	0.009	0.038	0.005
8	वास्तविक सींच (लाख है0)	2.905	3.034	3.142	3.244	3.146	3.222	3.231	3.225	3.243	3.224	3.184
9	बाढ कार्य (सं0 में)	55	46	50	26	41	34	25	15	15		
10	वर्ष के अंत में कमाण्ड क्षेत्र (लाख है0)	3.437	3.645	3.815	3.855	3.914	3.921	4.013	4.063	4.069	4.094	4.099
11	वर्ष के अंत में सिंचन क्षमता (लाख है0)	3.991	4.266	4.448	4.483	4.574	4.731	4.751	4.821	4.830	4.868	4.872

स्रोतः राजकीय सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड (सांख्यिकीय डायरियों में संकलित)।

गूल/पाईप लाइन, 33 छोटे गेटेड वियर एवं 455 आर्टीजन कूपों का निर्माण कर, 5,59,048 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक 33 सोलर लिफ्ट सिंचाई योजना, 66 बोरिंग पम्पसेट, 36 सोलर बोरिंग पम्पसेट, 316 कि0मी0 सिंचाई गूल/पाईप लाइन, 12 आर्टीजन कूप एवं 446 सिंचाई हौज का निर्माण/स्थापना कर 5740 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत संचालित योजनायें

1. सोलर पम्प आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण : राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर लघु एवं सीमान्त कृषकों की कृषि भूमि, उपलब्ध जल स्रोतों से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, सोलर पम्प से पानी को अपलिफ्ट कर, कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रथम बार राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सोलर पम्प आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु बजट प्राविधान स्वीकृत हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 192.13 लाख लागत की 12 योजनायें स्वीकृत हुई हैं, जिसके अन्तर्गत 12 सोलर लिफ्ट योजनाओं का निर्माण कार्य गतिमान हैं।

2. भूजल संरक्षण/संबर्द्धन हेतु पुनर्भरण व संग्रहण योजनाओं का निर्माण : राज्य के मैदानी जनपदो में भूजल स्तर के पुनर्भरण तथा पर्वतीय क्षेत्रों में भू–कटाव को रोकने, जल संरक्षण व संबर्द्धन हेतु भूजल संरक्षण/संबर्द्धन हेतु

पुनर्भरण व संग्रहण योजनाओं का निर्माण हेतु ₹ 200.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 207.97 लाख लागत की 12 योजनायें स्वीकृत हुई हैं, जिसके अन्तर्गत 8 चैकडेम, 6 तालाब एवं 5 रिचार्ज शॉफ्ट योजनाओं का निर्माण कार्य गतिमान हैं।

3. नाबार्ड वित्तपोषित योजनाः–नाबार्ड वित्तपोषित, लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण मद में विभाग द्वारा सोलर पम्पसेट, चैक डेम, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, रिचार्ज शाफ्ट, छोटे गेटेड वियर, सिंचाई हौज तथा पाईप लाईन आदि का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में नाबार्ड वित्तपोषित योजना RIDF-XVIII o RIDF-XXIX के अन्तर्गत 59 सोलर पम्पसेट, 64 रिचार्ज शॉफ्ट, 185 चैकडेम, 56सिंचाई हौज तथा 54.97 कि0मी0 पाईपलाईन / गूल का निर्माण किया गया है। RIDF-XXX के अन्तर्गत ₹ 9061.06 लाख लागत की 35 योजनाएं स्वीकृत हुई है, जिस पर निर्माण कार्य गतिमान है।

4. ड्रिप / स्प्रिंकलरों का निर्माणः– विभाग द्वारा निर्मित सिंचाई योजनाओं पर जल अपव्यय न्यून किये जाने, सिंचाई दक्षता में वृद्धि एवं जल की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 100.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है।

5. आर्टीजन कूपों का निर्माण :– ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों का निर्माण कर, सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। आर्टीजन कूपों के निर्माण हेतु ₹ 100.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 69.43 लाख लागत की 06 आर्टीजन कूपों के निर्माण की योजनाऐं स्वीकृत हुई है, जिसका निर्माण कार्य गतिमान है।

6. स्पेशल कम्पोनेट सब प्लान–एस.सी.एस. पी. :– उक्त योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में गूल एवं हौज पाईप लाईन आदि का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2024–25 में एस0सी0एस0पी0 मद में ₹ 450.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। योजनाओं की स्वीकृति हेतु कार्यवाही गतिमान है।

7. ट्राईबल सब प्लान–टी.एस.पी :– उक्त योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में गूल एवं हौज पाईप लाईन आदि का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में टी0एस0पी0 मद में ₹ 120.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। योजनाओं की स्वीकृति हेतु कार्यवाही गतिमान है।

केन्द्रपोषित / केन्द्र सेक्टर योजना के अन्तर्गत संचालित योजनायें

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी :– केन्द्रपोषित योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना–हर खेत को पानी (सतही लघु सिंचाई योजना) मद में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–24 हेतु ₹ 34939.33 लाख लागत की 422 कलस्टर / योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त योजनान्तर्गत 19524 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त योजना में माह दिसम्बर, 2024 तक 4204 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

2. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कार्यक्रम(पी0एम0कुसुम) :– पी0एम0–कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट–बी के अन्तर्गत जैविक ईधन आधारित ऊर्जा पर निर्भरता को कम किये जाने एवं सौर ऊर्जा में अधिकाधिक प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से जनपद ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून एवं हरिद्वार में कृषकों के

व्यक्तिगत संचालित डीजल, सिंचाई पम्पस के स्थान पर 10.00 एच0पी0 क्षमता तक के सोलर पम्पस स्थापित किये जाने है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5367 डीजल पम्पस् के स्थान पर सोलर पम्पस स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक 589 डीजल पम्पसेटों को सोलर पम्पसेटों में परिवर्तित किया जा चुका है।

तालिका 14.11

उत्तराखण्ड में निजी लघु सिंचाई कार्यों की वर्षवार उपलब्धियाँ

वर्ष Year	सोलर लिफ्ट Solar Lift (No.)	सोलर बोरिंग पम्पसेट Solar Boring Pump sets (No.)	बोरिंग पम्प सेट Boring Pump sets (No.)	गहरे / मध्यम नलकूप Deep/Medium Tubewells (No.)	हाईड्रम Hydram (No.)	हौज Tanks (No.)	सिंचाई गूल Irrigation Gule (Km)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2017–18	0	0	55784	731	1448	38784	30711
2018–19	0	0	55979	731	1448	39471	30951
2019–20	0	0	56217	731	1433	40003	31212
2020–21	0	0	56431	731	1433	40549	31449
2021–22	21	46	56565	731	1433	41085	31609
2022–23	51	186	56625	731	1230	41467	31929
2023–24	147	212	56767	731	1151	41950	32214
2024–25 (दिसम्बर 2024 तक)	180	248	56833	731	1151	42396	32530

स्रोत :– लघु सिंचाइ विभाग उत्तराखण्ड

14.4 जलागम प्रबन्धन–

जलागम प्रबन्धन विकास योजनाओं का मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल एवं वनस्पतियों का संवर्धन, संरक्षण एवं सुनियोजित प्रबन्धन करना है। परियोजना कार्यक्रमों से जहाँ एक ओर प्राकृतिक संसाधनों के सुनियोजित प्रबन्धन में सहायता मिलती है, वहीं दूसरी ओर उत्पादकता एवं ग्रामीण समुदाय की क्षमता का विकास करते हुये आय में वृद्धि के नये अवसर उत्पन्न होते है। इन योजनाओं का संचालन ग्रामीण समुदाय की सामुहिक सहभागिता से ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है।

जलागम विभाग द्वारा प्रथम परियोजना के रूप में वर्ष 1982 से वर्ष 1988 तक यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ई0ई0सी0) द्वारा वित्त पोषित दक्षिण भागीरथी फेज–। परियोजना, जनपद टिहरी गढ़वाल के 6 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में संचालित की गई। वर्ष 1982 से विभाग द्वारा कुल 11 विभिन्न बाह्य सहायतित तथा केन्द्र पोषित योजनायें सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी हैं।

सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र का जलागम के आधार पर उपचार हेतु सम्पूर्ण विकास की योजना का निर्माण किया गया जिसमें प्रदेश को 1164 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में विभक्त किया गया, जिनका उपचार शनैः–शनैः किया जाना प्रस्तावित था। इन 1164 सूक्ष्म जलागमों में से 195 सूक्ष्म जलागम क्षेत्र हिमाच्छादित अथवा अभ्यारण्य क्षेत्र में हैं, जिनमें उपचार नहीं किया जा सकता है। अवशेष 969

सूक्ष्म जलागम में से विभागीय वाह्य सहायतित तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत 464 सूक्ष्म जलागम का उपचार जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा तथा 291 सूक्ष्म जलागम का उपचार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मार्च 2019 तक किया गया है। वर्तमान में जलागम विभाग द्वारा केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत 25 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में तथा वाह्य सहायतित उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना में 58 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में जलागम विकास के कार्य किये जा रहे हैं। वर्तमान में 418 सूक्ष्म जलागमों का उपचार किया जाना अवशेष है। जिसका विवरण निम्नवत है–

वर्तमान में विभाग द्वारा 2 वाह्य सहायतित परियोजनायें यथा जैफ वित्त पोषित जैफ–6 ग्रीन एग्रीकल्चर व विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (UCRRFP) तथा 1 केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– जलागम विकास घटक 2.0 संचालित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में जलागम विभागान्तर्गत राज्य स्तरीय Spring And River Rejuvenation Authority (SARRA) की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

14.4.1 जलागम प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित की जा रही परियोजनाओं का विवरण

1. केन्द्र वित्त पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास घटक 2.0

• परियोजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबन्धन के माध्यम से वर्षा आधारित/निम्नकोटी भूमि की उत्पादक क्षमता में सुधार करना है तथा ग्रामीण समुदायों का संस्थागत सुदृढीकरण एवं क्षमता विकास करते हुए उनकी सहभागिता से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्षता तथा आजीविका सम्बन्धित गतिविधियों के माध्यम से आय में वृद्वि करना है।

• 05 वर्षीय यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 (माह जनवरी 2021 से प्रभावी) तक राज्य के तीन जनपदों पौड़ी, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ हेतु 12 परियोजनाए स्वीकृत की गयी हैं, जो 11 विकासखण्डों के 25 सूक्ष्म जलागमों के 70,231 हैक्टर क्षेत्रफल में क्रियान्वित की जायेगी। जिससे 370 ग्राम पचायतों के 918 राजस्व ग्राम लाभान्वित होंगे। परियोजना लागत–धनराशि ₹ 196.65 करोड़ (90% केन्द्रांश धनराशि ₹ 176.98 करोड़ एवं 10% राज्यांश ₹ 19. 67 करोड़) है।

• वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु निर्धारित वित्तीय लक्ष्य ₹ 84.41 करोड़ (विगत वर्ष की अवशेष धनराशि ₹ 2.23 करोड़ को सम्मिलित करते हुये कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 33.05 करोड़) के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक कुल ₹ 22.17 करोड़ का व्यय हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में, माह दिसम्बर 2024 तक परियोजना की अद्यतन भौतिक प्रगति–

❖ **प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के अन्तर्गत–**

• भूमि एवं मृदा संरक्षण गतिविधि के अन्तर्गत 21,415 धन मी0 चैक डैम निर्माण।

• जल संग्रहण एवं लघु सिंचाई के अन्तर्गत 192 जल संग्रहण संरचनाएं यथा सिंचाई टैंक, ग्रामीण तालाब/अमृत सरोवर, जियो मैम्बरेन टैंक निर्माण तथा 70.02 कि0मी0 सिंचाई गूल एवं HDPE पाईपलाईन।

• जल स्रातों के प्रबन्धन हेतु 74,537 खन्तियां एवं रिचार्ज पिट निर्माण, 270 डग आउट पॉण्ड/चाल–खाल निर्माण, 151 चाल–खाल एवं

नौला–धारा जीर्णोद्धार।

• 27 हैक्टेयर वनीकरण, 52 हैक्टेयर परती भूमि उपचार एवं 137 हैक्टेयर नैपियर घास रोपण।

❖ **उत्पादक प्रणाली के अन्तर्गत–**

• 3600.60 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु उच्च मूल्य फसल बीज उपलब्ध कराये गये। 120 हैक्टेयर रबी फसलों एवं 289 हैक्टेयर खरीफ फसलों हेतु सहयोग।

• 54 हैक्टेयर में मसाले कल्टीवेशन। 294 हैक्टेयर घरबाड़ी पौधरोपण एवं 125 पॉली हाउस एवं पॉली टनल स्थापना कार्य।

निर्बल वर्ग हेतु आजीविका संवर्धन गतिविधियों के अन्तर्गत–

• 648 स्वयं सहायता समूहों/व्यक्तिगत लाभार्थियों का गठन कर विभिन्न गतिविधियों यथा– बकरी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, मौन पालन इत्यादि हेतु सहयोग प्रदान करना।

2. जैफ वित्त पोषित जैफ–6 ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना (वाह्य सहायतित परियोजना)–

• सामुदायिक सहभागिता से जलागम विकास की अवधारणा पर वैश्विक पारिस्थितिकी/पर्यावरण लाभ और महत्वपूर्ण जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, सतत् भूमि प्रबन्धन तथा वन भू–दृश्य के संरक्षण के लिये कृषि क्षेत्रों में सुधार/प्रोत्साहन के दृष्टिगत जनपद पौडी गढवाल के राजाजी कार्बेट वन्य जीव कोरिडोर तथा कार्बेट वन्य जीव परिदृश्य क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल 3,73,290 हैक्टेयर में 5.867 मिलियन अमेरिकन डॉलर (लगभग ₹ 46.93 करोड़ /₹ 80 प्रति डॉलर) लागत की जैफ वित्त पोषित जैफ–6 ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2019–20 से किया जा रहा है, जो वर्ष 2025–26 में पूर्ण होगी। परियोजना की राष्ट्र स्तरीय कियान्वयन संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) है।

• परियोजनान्तर्गत 03 विकासखण्डों (दुगड्डा, जहरीखाल, यमकेश्वर) के उच्च प्राथमिकता वाले 83 ग्राम पंचायतों के 230 राजस्व ग्राम प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

• परियोजना व्यय की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुदान के माध्यम से होती है। माह दिसम्बर 2024 तक जैफ संस्था से परियोजना कार्यों हेतु ₹ 1285.

तालिका 14.12

जलसमेट क्षेत्र, जलागम, उप जलागम एवं सूक्ष्म जलागमों का विवरण

क0सं0	जलसमेट क्षेत्र का नाम	जलागमों की संख्या	उप जलागमों की संख्या	सूक्ष्म जलागमों की संख्या
1	यमुना	5	19	161
2	गंगा ''अ''	2	5	56
3	गंगा ''ब''	2	12	88
4	भागीरथी	2	18	159
5	अलकनन्दा	5	22	207
6	रामगंगा	3	11	87
7	कोसी	4	13	117
8	काली	3	16	235
9	2B6D & 2C6B	2	6	54
कुल		**28**	**122**	**1164**

स्रोतः–जलागम विभाग उत्तराखण्ड

तालिका 14.13
जनपदवार सूक्ष्म जलागमों की अध्यावधिक स्थिति

क. सं.	जनपद	सूक्ष्म जलागम संख्या	सूक्ष्म जलागम जिनका उपचार सम्भावित नहीं	उपचार योग्य सूक्ष्म जलागम सं0	जलागम प्रबन्धन विभाग द्वारा उपचारित सूक्ष्म जलागम						अन उपचारित सूक्ष्म जलागम
					वर्ष 2000 से पूर्व	वर्ष 2000 के उपरान्त	वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही पी0एम0के0एस0वाई WDC 2-0	वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना	कालम 6 में से पुनः उपचारित	कुल उपचारित + कार्यान्वित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अल्मोड़ा	99	1	98	4	28	10	8	2	48	50
2	बागेश्वर	59	2	57	0	41	0	0	0	41	16
3	चमोली	139	36	103	2	30	0	0	0	32	71
4	चम्पावत	41	0	41	4	20	0	0	4	20	21
5	देहरादून	94	12	82	0	60	0	0	1	59	23
6	नैनीताल	71	8	63	8	38	0	7	5	48	15
7	पौड़ी गढवाल	126	18	108	43	43	6	9	19	82	26
8	पिथौरागढ	129	42	87	0	35	9	0	0	44	43
9	रुद्रप्रयाग	45	4	41	5	23	0	10	1	37	4
10	टिहरी गढवाल	131	17	114	37	25	0	12	7	67	47
11	उधमसिंहनगर	11	0	11	0	2	0	1	0	3	8
12	हरिद्वार	54	7	47	0	18	0	2	0	20	27
13	उत्तराकाशी	165	48	117	0	41	0	9	0	50	67
	योग	**1164**	**195**	**969**	**103**	**404**	**25**	**58**	**39**	**551**	**418**

स्रोतः–जलागम विभाग उत्तराखण्ड

71 लाख की अनुदान धनराशि प्राप्त हुई है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में, माह दिसम्बर 2024 तक परियोजना की अद्यतन भौतिक प्रगति–

• ग्राम कार्यान्वयन समितियों (Village Implementation Committee- VIC) की 68 बैठकों का आयोजन।

• कुल 23 School Ecoclubs की स्थापना।

• Sustainable Energy Alternatives एवं Incentives for reviving agrobiodiversity विषयों पर अध्ययन गतिमान है।

• Farmer Field Schools on Sustainable Green Agriculture पर 674 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन।

• Farmer Field Schools on Livestock Management पर 429 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन।

• परियोजनान्तर्गत महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुल 3,690 महिलाओं को Farmer Field Schools एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से लाभान्वित किया गया है।

• Green Lanscape Management Plans (GLMP's) तैयार कर परियोजना क्षेत्रों में निम्नलिखित लाभार्थीपरक गतिविधियां संचालित की गई हैं–

✓ Natural Resource Management (NRM) सम्बन्धी– 10 हैक्टेयर क्षेत्र में लेंटाना उन्मूलन, 4250 cum Drainage Line Treatment, 30 Springshed Management Plan निर्माणाधीन आदि।

✓ **कृषि सम्बन्धी–** 6200 रनिंग मी0 चेनलिंक फैन्सिंग, 20 कुन्तल लहसुन बीज वितरण, 106 उन्नत कृषि यंत्र वितरण आदि।

✓ **औद्यानिकी सम्बन्धी–** 3 हेक्टेयर में घरवाड़ी पौध रोपण, 5 हैक्टेयर फलोद्यान स्थापना आदि।

✓ **पशुपालन सम्बन्धी–** 3500 मिनीरल मिक्सचर वितरण, 10 पशुनांद निर्माण आदि।

✓ **जल संरक्षण एवं संवर्द्धन सम्बन्धी–** 4 LDPE टैंक निर्माण, 18 जियो मैम्बरेन टैंक निर्माण आदि।

3. विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (वाह्य सहायतित परियोजना)

• परियोजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य में विस्तृत बारानी कृषि क्षेत्र पर स्थानीय कृषकों की निर्भरता को दृष्टिगत रखते हुए "राज्य के चयनित भू–परिदृश्य क्षेत्रों में वर्षा आधारित पर्वतीय कृषि प्रणाली को जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणाली के रूप में विकसित करना"।

• छः वर्षीय यह परियोजना राज्य के आठ जनपदों के 14 विकासखण्डों के चयनित 58 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के 2,37,634 है0 क्षेत्रफल में व्यवस्थित 510 ग्राम पंचायतों के 990 राजस्व ग्रामों में संचालित की जा रही है। परियोजना द्वारा लगभग 3,65,182 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

• परियोजना की कुल लागत 138.06 MUS (₹ 1148 करोड़), जिसमें विश्व बैंक का अंश 96.2 MUS (₹ 800 करोड़), राज्य का अंश 34.19 MUS (₹ 284.35 करोड़) तथा लाभार्थी अंश 7.66 MUS (₹ 63.68 करोड़) है।

• दिनांक 14 अगस्त, 2024 को परियोजना की समस्त औपचारिकता पूर्ण कर परियोजना के

अनुबन्ध पर भारत सरकार, राज्य सरकार एवं विश्व बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

• दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 से परियोजना क्रियान्वयन का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

• वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु संशोधित वित्तीय लक्ष्य ₹ 34.17 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक कुल ₹ 15.80 करोड़ का व्यय हुआ है।

परियोजना के घटक –

1– ग्रीन हाउस गैस (जी.एच.जी.) न्यूनीकरण हेतु सक्षम तथा सुदृढ़ उत्पादन प्रणाली विकसित करना।

2– सुदृढ़ स्प्रिंगशेड का विज्ञान आधारित विकास।

3– आय में सशक्तता वृद्धि ।

4– परियोजना प्रबंधन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, तथा सीख।

5– आकस्मिक आपातकालीन अनुक्रिया घटक।

परियोजना के Key Performance Indicator (KPI)

KPI–1: प्रतिनिधि कृषि भूमि क्षेत्रों से ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में न्यूनतम कमी– 5%

KPI–2: चयनित फसलों की उत्पादकता में वृद्धि– 20%

KPI–3: चयनित स्प्रिंग–शेड क्षेत्रों में जल उत्सर्जन में वृद्धि– 20%

KPI–4: परियोजना प्रोत्साहित Climate Smart कृषि तकनीकें व पद्धतियाँ अपनाने वाले कृषक– 50%

KPI–5: परियोजना क्षेत्रों में घरेलू कृषि आय में वृद्धि– 25%

वित्तीय वर्ष 2024–25 में, माह दिसम्बर 2024 तक परियोजना की अद्यतन भौतिक प्रगति–

• दिनांक 30 जनवरी, 2024 को Department of Economic Affairs (DEA), भारत सरकार एवं विश्व बैंक के साथ सफलतापूर्वक Negotiation पूर्ण किया गया।

• विश्व बैंक बोर्ड द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को परियोजना अनुमोदित / स्वीकृत की गई।

• दिनांक 14 अगस्त, 2024 को परियोजना अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है।

• दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 से परियोजना क्रियान्वयन का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

• Project Appraisal Document (PAD), Cost Table, Project Implementation Plan (PIP) विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किये गये हैं।

• Monitoring & Evaluation (M&E) Consultancy द्वारा परियोजना क्षेत्र में Baseline survey का कार्य किया जा रहा है।

• परियोजना क्षेत्र में Household survey का कार्य गतिमान है।

• परियोजनान्तर्गत स्थापित 20 इकाई कार्यालय स्तर पर कुल 20 Project Orientation Workshops का आयोजन।

• परियाजना में रिपोर्टिंग, अनुश्रवण व वित्तीय एवं भैतिक प्रगति हेतु MIS Portal का निर्माण।

4. राज्य स्तरीय स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (SARRA) (नवीन प्रस्ताव / योजना)

• उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 169384/2023-07(05)(XIII-A-1)/2023,

दिनांक 17 नवम्बर, 2023 के द्वारा राज्य में विशेष रूप से जलागम उपचार अवधारणा से सम्बन्धित योजनाओं के निरूपण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु स्थापित एवं इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव एवं विशेषज्ञता धारित करने वाले जलागम विभाग के अंतर्गत "स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (Spring and River Rejuvenation Authority-SARRA)" को स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

• स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण का उद्देश्य "राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों का चिन्हीकरण, जल उत्सर्जन में वृद्धि, मापन एवं अनुश्रवण तथा वर्षा आधारित नदियों के चिरस्थायी प्रवाह हेतु स्थानीय जनसमुदाय की सहभागिता एवं वैज्ञानिक पद्वतियों से वर्षा जल संग्रहण तकनीको यथा चैकडैम आदि के माध्यम से उनका उपचार करते हुये सतत् उपयोग सुनिश्चित करना" है।

• इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जलागम विभाग नोडल विभाग के रूप में समस्त रेखीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेगा।

कार्य क्षेत्र –राज्यान्तर्गत प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों का चिन्हीकरण कर समस्त जनपदों में उपचार/पुनरोद्धार के कार्य किये जायेंगे।

प्रस्तावित महत्वपूर्ण कार्य–

• वर्षा जल संग्रहण तकनीकों यथा चेक डैम आदि के माध्यम से स्प्रिंग एवं नदियों का प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध रूप से पुनरोद्धार/उपचार

• सामुदायिक सहभागिता से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जल स्रोतों का सतत् रूप से अनुरक्षण

• सहभागी व्यवस्था के अन्तर्गत जल स्रोतों के बहाव एवं जल गुणवत्ता का समय–समय पर मूल्यांकन

• जल स्रोतों एवं नदियों के पुनरोद्धार हेतु प्रदेश के समस्त हितभागियों को इस विषय पर जागरूक करने हेतु राज्य, जनपद तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन।

➢ **वित्तीय वर्ष 2024–25 में, माह दिसम्बर 2024 तक प्राधिकरण की अद्यतन भौतिक प्रगति** –

➢ SARRA का राज्य स्तरीय कार्यालय स्थापित किया जा चुका है।

➢ SARRA के कियान्वयन हेतु Society Registration Act के अंतर्गत पंजीकरण किया गया है।

➢ जलागम विभाग के अंतर्गत राज्य के समस्त जनपदों में जिला स्तरीय SARRA सेंटर की स्थापना एवं जिला स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

➢ हाई पावर कमेटी (HPC) की दो बैठकों का आयोजन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में किया गया है।

➢ राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (SLEC) की दो बैठकों का आयोजन अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में किया गया है।

➢ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति, (DLEC) की बैठकों का समय–समय पर आयोजन कर चिह्नित जल स्रोतों एवं चिह्नित सहायक नदियों/धाराओं की उपचार योजनाओं/प्रस्तावों का अनुमोदन कर DPR निरूपण की कार्यवाही की जा रही है। समिति द्वारा समय–समय पर प्रगति समीक्षा/मूल्यांकन किया

जाता है।

➢ राज्यान्तर्गत SARRA के निर्देशन में माह–अप्रैल 2024 से जल संरक्षण अभियान–2024 गतिमान है, जिसके अन्तर्गत अद्यतन प्रगति निम्नवत् है:–

- ग्राम स्तर पर 5421 जल स्रोतों का चिह्निकरण व उपचार क्षेत्रों में जल संभरण गतिविधियाँ गतिमान हैं।
- विकासखण्ड स्तर पर 929 Critical सूख रहे जल स्रोतों को चिह्नित कर उपचार गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- जनपद स्तर पर 292 सहायक नदियो/धाराओं को चिह्नित कर उपचार गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- राज्यान्तर्गत 8,48,189 विभिन्न जल संचय व संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कार्यों द्वारा 32,12,693 घ0मी0 Water Recharge.
- शहरी क्षेत्रों में भू–जल रिचार्ज के दृष्टिगत कुल लक्षित 297 रिचार्ज पिट/शॉफ्ट के सापेक्ष 57 निर्माण कार्य।
- 629 है० लक्षित वृक्षारोपण के सापेक्ष 2640 है0 की प्रगति।

➢ वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दीर्घावधिक उपचार के दृष्टिगत राज्य के जनपद–देहरादून के सौंग, पौड़ी की पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, नैनीताल से शिप्रा एवं चम्पावत की गौड़ी वर्षा आधारित नदियों की उपचार कार्य योजना का निरुपण कार्य गतिमान है।